इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ

,e th, l&001

tsaMj ,oa fodkl % ladYiuk]
nf"Vdks.k ,oa dk;Zuhfr;k¡

[k.M

5

tsaMj ,oa cktkj vFkZO;oLFkk

bdkbZ 17 fyax vkSj vkfFkZd fodkl dh izfØ;k	5
bdkbZ 18 m|e fodkl	23
bdkbZ 19 df"k] lk;koj.k rFkk ikfjfLFkfrdh; lajp.kk	42
bdkbZ 20 vkSipkfjd rFkk vukSipkfjd vFkZO;oLFkk	64
bdkbZ 21 uo mnkj uhfr;k¡	82

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

dk;Øe :ikdu lfefr

प्रो. पूनम अग्रवाल, दिल्ली
प्रो. जया इन्द्रेसन, दिल्ली
डा. रीना रामचन्द्रन, गुडगांवा
प्रो. रतना सुदर्शन, दिल्ली
डा. किरण प्रसाद तिकपति
प्रो. छाया दत्तार, मुम्बई
प्रो पूनम धवन, जम्मू
प्रो ताप्तीवासु, कोलकाता
प्रो. सविता सिंह, नई दिल्ली
प्रो. मालाश्री लाल, दिल्ली
प्रो. हर्ष पारिश्व, मुम्बई
प्रो, सुधा राव, दिल्ली
प्रो. पारवती राजन, देवलाली
प्रो. जयंती घोष, दिल्ली
डा. शीला वीर, दिल्ली
डा. सुंदरी रामाकृष्णन, चेन्नई
प्रो. अर्चना शर्मा, गुवाहाटी
प्रो. अन्नू जें. थामस, नई दिल्ली
प्रो. एस.ए. वर्धीज, बैंगलोर
प्रो. विभूति पटैल, मुम्बई
प्रो. मैवेई कृष्णाराज, मुम्बई
डा. नूतन जैन, जयपुर
प्रो. रजनी पालरीवाला, दिल्ली
प्रो. शीरीन मूसवी, अलीगढ
डा. चन्द्रा आईनगार, मुम्बई
प्रो. वीना मिस्त्री, वडोदरा
डा. वानी श्री जे., नई दिल्ली
डा. जी.उमा, नई दिल्ली

Cykd fodkl Vhe

,dd y[kd		,dd :ikrj
इकाई 13	रीना मारवाह	जी. उमा
इकाई 14	सुनीता ढल	वाणीश्री जे.
इकाई 15	सी.पी.सुजाया	जी. उमा
इकाई 16	जी. उमा	जी. उमा

dkWih lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस
निदेशक और कार्यक्रम सहयोगी
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
आई.जी.एन.ओ.यू,
नई दिल्ली

प्रो. सविता सिंह
कार्यक्रम सहयोगी,
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
आई.जी.एन.ओ.यू,
नई दिल्ली

dkWih lEikndd

कोर्स चेयर और सम्पादक
रजनी के. मूर्ती

इन हाउस सम्पादन
प्रो. अन्नू जे. थामस
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

dkWih lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस, और
डा. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

Cykd lg;kxh

डा. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

eqn.k mRiknu

मि. के. एन. मोहनन
वि. अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी
आई.जी.एन.ओ.यू,
नई दिल्ली

सितंबर, 2014

© *इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2014*

ISBN-81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी,, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक (जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित ।

लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, V-166A, भगवती विहार, (नजदीक सेक्टर–2, द्वारका), उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

[kM iLrkouk

इस खंड में पाँच इकाइयाँ हैं जो महिला और आर्थिक विकास से संबंधित हैं। ''जेंडर और आर्थिक विकास की प्रक्रिया'' नाम की इकाई 17 का संबंध आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति, आर्थिक ढांचे में जेंडर पहलू और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी, श्रम, कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और वित्तीय। इकाई 18 जिसका शीर्षक ''उद्यम विकास'' है उद्यमिता की अवधारणा, भारत में महिला उद्यमी और कुछ उदाहरणों के साथ महिलाओं के बीच उद्यमिता के विकास के लिए लघुवित्त की भूमिका से आपका परिचय कराती है। इसमें लघुवित्त कार्यक्रमों और महिला उद्यमियों की समस्याओं की समीक्षा भी की गई है। इकाई 19 जिसका शीर्षक ''कृषि, वातावरण तथा पारिस्थितिकीय सरोकारों पर जेंडर (gendered) और इसमें प्रभाव'' है कृषि में जेंडर भेदों की जाँच की गई है। यह इकाई कृषि में महिलाओं की भूमिका और भूमि, जल एवं अन्य सर्वनिष्ठ संपत्तियों के संबंध में उनकी पहुँच का अध्ययन करती है। इसमें विकास प्रेरित विस्थापन का भी विश्लेषण किया गया है। इकाई 20 ''औपचारिक तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था'' पर है और इसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर वैश्विक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है और यह भारतीय संदर्भ में किया गया है। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के संबंध में अधिनियमों की भी चर्चा इस इकाई में की गई है। इस खंड की अंतिम इकाई 21 नव–उदारवादी नीतियों पर है और यह नव–उदारवादी नीतियों से आपका परिचय कराती है और विशेष आर्थिक, अंचल, निर्यात प्रक्रमीकरण (प्रोससिंग), अंचल, निर्यात उन्मुखी अंचल और मुक्त व्यापार अंचल का विहंगावलोकन पेश करती है। इस इकाई में श्रमिक पर विशेष आर्थिक अंचल के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। नव–उदार आर्थिक युग में, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, व्यावसाय प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग, ज्ञान प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण भी इकाई 21 में किया गया है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 17 fyax vkSj vkfFkZd fodkl dh izfØ;k

bdkbZ dh :ijs[kk

17.1 प्रस्तावना

17.2 उद्देश्य

17.3 विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति

- 17.3.1 ग्रामीण समुदायों में महिलाएं
- 17.3.2 निर्यात क्षेत्र के लिए सस्ता श्रम
- 17.3.3 ठेके के कामगारों के निम्न मजदूरी
- 17.3.4 गृह उत्पादन में महिलाएं
- 17.3.5 महिलाएं और कारखाना उत्पादन
- 17.3.6 शहरी आधुनिक क्षेत्र में महिलाएं
- 17.3.7 आधुनिक क्षेत्र में महिलाओं की निम्न योग्यता और निम्न रोजगार का दुश्चक्र

17.4 आर्थिक संरचना में लैंगिक पहलू

- 17.4.1 गैर–वेतनिक देखरेख अर्थव्यवस्था को मूर्त बनाना
- 17.4.2 आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं
- 17.4.3 लिंग–आधारित विकृतियां
- 17.4.4 लिंग–आधारित सांस्थानिक अभिनति (या पूर्वाग्रह)

17.5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

- 17.5.1 शिक्षा
- 17.5.2 स्वास्थ्य
- 17.5.3 मजदूर
- 17.5.4 कृषिगत तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध
- 17.5.5 वित्तीय सेवाएं

17.6 निष्कर्ष

17.7 शब्दावली

17.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

17.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

17.10 बोध प्रश्न

VoMZ l bDokfyfV ¼oeu l ikfVZfl i'ku bu MoyieSV
Lkkr ¼foekpuk] cxykj

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

17-1 iLrkouk

महिलाओं में निवेश या महिलाओं से जुड़े मुद्दों में निवेश करना अनविरत विकास के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विश्वभर का अनुभव दर्शाता है कि महिलाओं के लिये ज्यादा शक्तिशाली या मजबूत भूमिका का पक्ष लेने से उच्चतर आर्थिक विकास में योगदान मिलता है, बाल उतरजीविता तथा समग्र पारिवारिक स्वास्थ्य सुधरता है, प्रजनन दर कम होती है और जनसंख्या वृद्धि की दरें कम होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, भूमि स्वामित्व के अवसरों, इत्यादि के सम्बन्ध में महिलाओं में निवेश करने से न सिर्फ गरीबी सीधे कम होती है, परन्तु यह उच्चतर उत्पादकता तथा संसाधनों के ज्यादा कुशल उपयोग की ओर भी प्रवृत करता है। फिर भी, इन ज्ञात प्रतिफलों के बावजूद विकास की प्रक्रिया में योगदान करने तथा उससे लाभन्वित होने में महिलाएं कई रुकावटों का सामना करनी हैं।

महिलाएं विश्व की जनसंख्या का लगभग पचास प्रतिशत हैं परन्तु वे सर्वाधिक उपेक्षित तथा गरीब तबकों से होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा गरीब हैं और अधिकांशत्या इसलिए क्योंकि वे समान अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं, वित्तीय तथा आर्थिक संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं है, और उन्हें सम्मानजनक सामाजिक दर्जा नहीं दिया गया है। महिलाओं के पारिवारिक कर्तव्यों में उनकी आय अर्जनकारी क्रियाओं के अतिरिक्त, बच्चों, बीमार तथा बुजुर्गों की देखरेख करना, परिवार का भरण–पोषण, भोजन तैयार करना तथा ईंधन एवं जल लाना समाविष्ट है। घर तथा बाजार की जिम्मेदारियों के बीच समतुल्यता लाने की जरूरत महिलाओं की आमदनी, उत्पादकता तथा मानव पूँजी संचय में मुख्य रूकावट है। शिक्षा तथा अन्य अवसरों के सम्बन्ध में महिलाओं की ज्यादा सीमित गम्यता होने के कारण, उनकी उत्पादकता उनके सामर्थ्य तथा पुरुषों की उत्पादकता दोनों की तुलना में निम्न बनी रहती है। महिलाओं को प्रायः परिवार नियोजन की सेवाओं तक भी पहुँच सुलभ नहीं होती है, जिसका परिणाम निम्न शिक्षा के साथ उच्च मातृ मृत्यु दर होता है। महिला उद्यमियों के लिये ऋण की उपलब्धता का अभाव, उनके उद्यमों की उपादेयता तथा उनके विकास को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, गिरवी रखने से जुड़ी आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योकि महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार पुरुषों को जो अधिकार मिले हैं उसकी अपेक्षा प्रायः ज्यादा प्रतिबंधित होते हैं। अतः, जेंडर–सम्बन्धित मुद्दें विकास की चर्चा तथा गरीबी घटाने की योजनाओं में प्रमुख बनें रहते है।

महिलाओं की उत्पादकता में सुधार आर्थिक संवृद्धि, क्षमता, और गरीबी घटाने में मदद कर सकता है। इन लाभों के बावजूद, बहुत से देशों में लिंग अंतराल काफी बना हुआ है। लड़कियों की नामांकन दरें लड़को की नामांकन दरों से पीछे रहती है। स्त्री पुरुष के बीच भोजन की मात्रा को लेकर जो भेदभाव किया जाता है उस के कारण स्त्रियों की जीवन प्रत्याशाएं पुरुषों की जीवन प्रत्याशाओं से प्रायः निम्न होती हैं हालांकि यह सत्य है कि स्त्रियों को बच्चे के जन्म के समय पर स्वाभाविक लाभ प्राप्त हैं। फलस्वरूप, श्रम, बाजार में स्त्रियां अलाभकारी स्थिति में होती है, जिससे निम्न आमदनी तथा विद्यालयी शिक्षा में निम्न निवेश का दुष्चक्र जन्म लेता है।

इस इकाई में, हमने ग्रामीण समुदायों के बीच घर एवं कार्यस्थल में, और आधुनिक शहरी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया के दौरान स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति का एतिहासिक दृश्य प्रस्तुत किया है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, वेतनिक रोजगार, तथा वित्तीय सेवाओं जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जिनमें कि कार्य करने की आवश्यकता है की भी चर्चा की है। अंततः, हमने वो सब उपाय बताएं हैं जिनसे सरकार की सहभागिता, और प्रतिबद्धता और नेतृत्व लैंगिक विषमताओं को कम करने में सहायता कर सकते हैं।

17-2 mnn'

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होगे :

- विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का विश्लेषण करने में;
- आर्थिक संरचना में लैंगिक पहलुओं का वर्णन करने में;
- उन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जिनमें कार्य करने की जरूरत है की चर्चा करने; और
- उन तरीकों जिनके द्वारा सरकार की सक्रिय सहभागिता, नेतृत्व तथा प्रतिबद्धता को सुनिश्चित प्रगति में बदला जा सकता है को स्पष्ट करने में;

17-3 fodkl dh izfØ;k esa efgykvksa dh {kh.k gkrh fLFkfr

इ. बोसरप (1970) द्वारा प्रस्तुत इतिहासिक दृष्टिकोण यह स्पष्ट कर देगा कि महिलाएं हमेशा से अलाभकारी स्थितियों में नहीं थीं। वे इस स्थिति जो कि पुरुषों की स्थिति की तुलना में निम्न है में किस प्रकार पहुँची, यह एक लम्बी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास की भिन्न अवस्थाओं के दौरान उनकी स्थिति में गिरावट आई जिस कारण से स्त्रियों की अधीनस्थता की नींव पड़ी। विश्व के भिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण हमने स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति के प्रमाण पाएं है। निम्नलिखित उप अनुभागों में इस पतन के भिन्न पहलूओं का इतिहासिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

17-3-1 xkeh.k lekt esa efgyk,

विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में, कृषि व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति से जुड़े दो सामान्य समूह देखे जा सकते हैं। पहले प्रकार का समूह अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पाया गया जहां मुख्यतः स्थानांतरित खेती का प्रचलन है और कृषिगत कार्य का बड़ा भाग महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे समुदायों में, बहुविवाह की प्रथा का ज्यादा प्रचलन पाया गया, और भावी पति या उसके परिवार द्वारा कन्या शुल्क दिया जाता है। महिलाएं मेहनती हैं और उन्हें अपने पतियों से आर्थिक सहायता का सिर्फ सीमित अधिकार है, परन्तु उन्हें गतिविधि की प्रायः काफी स्वतन्त्रता होती है और अपनी खुद की फसलों की बिक्री से कुछ आर्थिक स्वतन्त्रता भी मिल जाती है। इस व्यवस्था में बदलाव तब आया जब, औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत, यूरोपियन प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका में भूमि को स्त्रियों से पुरुषों को हस्तांतरित किया। उन्होंने बहुविवाही की प्रत्येक पत्नि को अपना खुद का भूखण्ड रखने के अधिकार से वंचित कर दिया और ''एक पुरुष एक भूखण्ड'' का नियम लागू किया। परिणाम स्वरूप, पत्नियों को न केवल अपने पतियों की जमीन पर साझी खेती करनी पड़ती थी परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् उन्हें वो जमीन पुरुष उत्तराधिकारियों के हाथों खोनी पड़ती थी।

अफ्रीकी महिलाओं ने अपनी स्थिति में पतन का सदैव विरोध किया। स्त्रियों से पुरुषों को अधिकारों के हस्तांतरण को प्रायः यूरोपियों द्वारा किया गया अन्याय समझा जाता था। प्राचीन समाज में लोग स्त्रियों को, जमीन पर उनके अपने उन्हीं अधिकारों को वापस दिलाना चाहते थे जो प्राचीन समाज में उन्हें प्राप्त थे। परन्तु यह बदलाव लाने की सब कौशिशें रूढ़ नौकरशाही तंत्र को समझाने–बुझाने में विफल रहीं क्योंकि वे लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नही था।

दूसरा समूह भारत जैसे इलाकों में पाया जाता है जहां हल से खेती की प्रथा का प्रचलन है और जहां स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम कार्य करती हैं। इन समुदायों में सिर्फ एक छोटा समूह ही बहु विहाहित पाया जा सकता है और दहेज प्रायः कन्या के परिवार द्वारा दिया जाता है; और पत्नी आर्थिक सहायता के लिये पूर्णत्या अपने पति पर आश्रित होती है; पति अपनी पत्नी तथा बच्चों के भरण–पोषण के लिये बाध्य होता है, कम से कम तब तक जब तक कि विवाहित है। दूसरे समूह में, आकस्मिक (या अनियमित) कामगारों, पुरुष एवं स्त्री दोनों को भू–स्वामियों द्वारा खेतीकार्य में उनकी मदद के लिये भाड़े पर रखा जाता है। कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के बीच सामाजिक अंतराल सदैव व्यापक रहता है। ऐसा विशेष रूप से वहां होता है जहां निम्न जाति या जनजाति समूह की महिला–कृषि–श्रमिक उन समुदायों के पुरुष किसानों के लिये कार्य करती हैं जिनमें महिलाएं गैर कामकाजी एवं पर्दानशीन है या अलग रहती हैं। यहाँ अन्तरों के तीन स्तर – सामाजिक वर्ग, प्रजातीय समूह तथा लिंग, नियोक्ता और श्रमजीवी वर्ग के बीच चौड़ी खाई को उत्पन्न करने में चरम सीमा तक पहुँचा देते हैं। यह जटिल सामाजिक तथा लैंगिक प्रतिमान विश्व भर, में पाया जाता है। दक्षिण भारत में, बहुत से समुदायों में स्त्री द्वारा खेती की परम्परा है। अतः, उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में केन्द्रीय तथा दक्षिण भारत में खेती में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में महिला सहभागिता की दर ज्यादा उच्च है। उत्तरी क्षेत्रों में खेतों में महिलाओं के कार्य के विरूद्ध पूर्वाग्रह उस क्षेत्र की गरीबी का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

17-3-2 fu;kZr {ks= esa lLrk Je

एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से भागों में, औपनिवेशिक काल में स्थापित बागानों में सस्ते श्रम का उपयोग करते हुए नकद फसलों का बड़ा अनुपात निर्यात क्षेत्र के लिये उत्पादन किया जाता है। इन बागानों में भर्ती करने के नीति भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अत्याधिक भिन्न–भिन्न है। कुछ स्थितियों में सिर्फ पुरुषों को लिया जाता था, अन्य स्थितियों में पूरें परिवार को। श्री लंका, वियतनाम तथा भारत में, बागानों में श्रम बल का 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। परन्तु, अफ्रीका के कई भागों में, बागानों में रोजगार पुरुषों के लिये आरक्षित रहता है। महिलाएं केवल अनाज की फसलों की पारिवारिक खेती का कार्य करने के लिये पीछे घर में रहती है। अतः, अफ्रीकी महिलाओं ने नकद फसलों के उत्पादन में बहुत कम योगदान दिया जो कि मुख्य रूप से निर्यात के लिये उत्पादित की जाती है। एशिया तथा अफ्रीका में महिला श्रम के उपयोग में यह बहुत स्पष्ट भेद है इसे प्रभावित करने वाले कारक निर्यात क्षेत्र के लिये दी जा सकने वाली श्रम लागतों को प्रदत्त स्थानीय परिस्थितियों में निम्नतम बनाते हैं। अतः एशियाई तथा अफ्रीकी स्थितियों में बागान पूरे परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त मजदूरी पुरुष को देने से इन्कार कर सकते है। निर्यात क्षेत्र में श्रम लागतों को नीचा रखने के यह दोनों तरीके स्त्रियों की लागत पर उपयोग किये जाते है। एशियाई बागान में स्त्रियों को दुगना काम करना पड़ता है, गृह पत्नी के रूप में और पूर्ण–कालिक श्रमिक के रूप में अफ्रीकी महिलाएं भी पारिवारिक खेतों पर उस समय दुगना कार्य करती है जब, अधिकांश युवा पुरुष बागानों या खादानों में कार्य करने के लिये बाहर चल जाते हैं।

17-3-3 Bsds dh dkexkjksa dk fuEu etnwjh ¼Hkqxrku½

बहुत सी महिलाएं जो आकस्मिक कृषि श्रमिकों का कार्य लेती है अन्य प्रकार के शारीरिक, अकुशल कार्य का रोजगार भी लेने को तैयार हो जाती है जैसे कि महिला कुली का कार्य। यह उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वे रहती हैं उपलब्ध होता है। सभी जगहों पर हमें ऐसी महिला सामान्य श्रमिक देखने को मिलती हैं, जो ठेकेदारों के द्वारा भर्ती की जाती

है आर उनकी देखरेख में अकेले या समूह में कार्य करती हैं। वे प्रायः प्रतिरोपण, कटाई, सड़क निर्माण व अन्य निर्माण कार्य तथा खदानों एवं परिवहन में कार्य के लिये श्रम की परिवर्ती मांग को पूरा करने के लिए एक से दूसरे जिले जाती रहती है। इन कार्यों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा पसन्द किया जाता है क्योंकि वे कम मजदूरी लेने को तैयार हो जाती है और बहुधा अनाधिकृत कटौतियां, झूठे लेखे और विलम्ब भुगतान स्वीकार कर लेती है।

17-3-4 xg ;k dVEc mRiknu e efgyk,

शहर में, बहुत पिछड़े समुदायों में, महिलाएं घर के उपयोग के लिये विविध प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में अपना काफी समय व्यतीत करती हैं। बाद में, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के कुछ भाग का लेनदेन गांव के अन्दर लोगों के बीच या पड़ोसी गाँवों में लोगों के साथ होने लगता है। यदि प्रतीत हो कि गृह उद्योगों के ऐसे किसी केन्द्र ने उन वस्तुओं में विशेषीकरण प्राप्त कर लिया है जो पारम्परिक रूप से महिलाओं द्वारा तैयार की जाती हैं, तो हम उन वस्तुओं में बहुत उच्च महिला प्रतिभागिता दर पा सकते हैं। कई विकासशील देशों में गृह उद्योगों के श्रमबल का बड़ा अनुपात स्त्रियां ही हैं। क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है और वे इन उद्योगों में बहुत निम्न दरें पर मजदूरी स्वीकार करने लग जाती हैं। और ये उद्योग तुलनात्मक रूप से मंहगे पुरुष श्रमिकों पर आधारित बड़े उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। महिलाओं के कार्य पर समाजिक प्रतिबंधों का परिणाम यह होता है कि कुछ ही कार्यों को वो बिना किसी विरोध के कर सकती हैं और इन कार्यों के लिये महिलाओं की विषाल आपूर्ति उपलब्ध होती है। परिणामस्वरूप, ऐसे कार्यों में कमाई थोड़ी रहती है। उदाहरण के लिये, भारतीय शिल्पकार जो निम्न जातियों से होते हैं और जहां स्त्रियों के लिये कार्य करना सामान्य बात होती है। भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्र जैसे कि मणिपुर में ऐसे गृह उद्योग हैं जहां पूर्णतया स्त्रियों का आधिपत्य है।

17-3-5 efgyk, vkj dkj[kkuk mRiknu

परन्तु जब बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही थी, महिलाओं ने विभिन्न कारणों से उद्योग में कार्य करना छोड़ दिया। अधिकांश नियोक्ता पुरुष श्रमिक को रखना ज्यादा पसन्द करते थे क्योंकि बहुत से विकासशील देशों में स्त्री और पुरुष को एक समान कार्य की एवज में एक समान मजदूरी देने के नियम का पालन किया जाता है। यदि इसके अलावा, महिलाओं को विशेष सुविधाएं या हितलाभ जैसे कि प्रसव अवकाश, बच्चों के लिये क्रेच, रात्री को कार्य से और खानों में भूतल में कार्य से छूट का अधिकार इत्यादि मिलते हैं, तो इसका परिणाम शायद पुरुष कामगारों को काम पर रखकर इसे ज्यादा लाभदेय बनाने का होगा। इन नियमों का अनुप्रयोग उद्योग में पुरुष श्रमिक की पूर्वाग्रहयुक्त नियुक्ति की ओर अग्रसर करता है और महिलाओं को सिर्फ वही कार्य दिये जाते हैं जिनके लिये कोई भी पुरुष आवेदन देने की परवाह नहीं करता है।

उद्योग में महिला रोजगार की निम्न दरों के लिये केवल मांग पक्ष ही जिम्मेदार नहीं है। प्रायः महिलाएं ही स्वयं गृह उद्योगों या सेवा कारोबारों में कार्य करना ज्यादा पसन्द करने लगती हैं बजाय बड़े पैमाने के उद्योग में मजदूरी पर कार्य को। विवाहित स्त्रियों जिनके छोटे बच्चे हैं के लिये ज्यादा नम्य/लचीले कार्य घंटे एक बहुत बड़ा लाभ हैं। इसके अतिरिक्त गृह उद्योगों में अंश–कालिक रोजगार प्राप्त करना संम्भव होता है परन्तु ज्यादा बड़े उद्योगों में जहां कार्य की ज्यादा कड़ी चर्या होती है असम्भव होता है।

कई विकासशील देशों में, गृह उद्योग में रोजगार को ज्यादा पसन्द किया जाता है क्योंकि इसमें स्त्रियों को अपने खुद के परिवारों से बाहर के पुरुषों के साथ सम्पर्क की

आवश्यकता नहीं रहती है। इन हितकारी सुविधाओं का न सिर्फ अरब देशों में और भारत में प्रायः उल्लेख किया जाता है परन्तु लेटिन अमेरिकन एवं अफ्रीका देशों में भी इसका जिक्र किया जाता है। श्रम का इस प्रकार का ध्रुवीय विभाजन, एक ही क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के बीच उत्पादकता तथा आय में चौड़ी खाई उत्पन्न कर देता है, और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाता है। पुरुषों तथा स्त्रियों की उत्पादकता तथा आमदनी के बीच खाई आगे और चौड़ी हो जाती है क्योंकि वो कुछ स्त्रियां जो आधुनिक उद्योग में भर्ती की जाती हैं अधिकांश रूप से अकुशल कार्य करती हैं।

17-3-6 'kgjh vkèkqfud {ks= esa efgyk,a

लिपिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये पुरुषों को भर्ती करने की गहन पसन्द शहरी व्यवस्था क्रम में स्त्रियों की निम्न स्थिति को प्रबल करती है। आधुनिक क्षेत्र में यदि स्त्रियों को लिया भी जाता है, तो सामान्यतया अकुशल, निम्न मजदूरी के कार्य के लिए लिया जाता है। अतः आधुनिक क्षेत्र में भी पुरुषों तथा महिलाओं की निर्दिष्ट भूमिकाएं, प्रत्येक की उत्पादकता तथा आमदनी के बीच चौड़ी होती खाई को इंगित करती हैं। विकासशील देशों में श्रम बाजारों की एक मुख्य विशेषता अत्याधिक प्रशिक्षितत तथा कुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं अकुशल श्रमिको की मजदूरी के बीच व्यापक खाई है। इस अन्तर की मौजूदगी उद्योग में महिलाओं के लिये हानिकर होती है क्योंकि वे भारी संख्या में अकुशल श्रमिक समूह से आती हैं।

जब देश आर्थिक उद्विकास की पिछड़ी अवस्था से ज्यादा उन्नत अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है तो बाजार और सेवा व्यावसाय, कृषि तथा आधुनिक व्यवसायों के बीच मध्यवर्ती सोपान की असामान्य भूमिका निभाते हैं। अतः आर्थिक विकास में दो क्रमबद्ध सोपान देखे जा सकते है : i) पहला सोपान, पारिवारिक उपयोग के लिये जीविका निर्वाह की गतिविधियों स्थान का बिक्री के लिये वाणिज्यिक उत्पादन तथा छोटे पैमाने के बाजार कारोबार तथा सेवाओं द्वारा ले लिया जाता है; ii) दूसरा सोपान : इस प्रकार की गतिविधि का प्रतिस्थापन आधुनिक फैक्टरियों, कार्यालयों, आधुनिक दुकानों तथा आधुनिक सेवा उद्योगों में रोजगार द्वारा हो जाता है।

आर्थिक विकास के साथ आधुनिक क्षेत्रों में विनियोजित कुल श्रम बल में आनुपातिक वृद्धि होती है, जबकि कृषि में और कुछ बाजार एवं सेवा व्यवसायों में इसकी कमी होती है। अर्थव्यवस्था में इस संरचनात्मक बदलाव (shift) का प्रभाव कुल श्रम बल में महिलाओं के अनुपात को घटाने का हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रों जिन में महिलाएं भारी तादाद में भर्ती की जाती है उनकी तुलनात्मक या सकल ह्रास की क्षतिपूर्ति करने के लिये महिलाएं यथेश्ट शीघ्रता के साथ आधुनिक क्षेत्र में रोजगार पाने में विफल हो सकती है। जब आर्थिक विकास पुरुषों की भारी संख्या को कृषि, बाजार तथा सेवा रोजगार के स्थान पर आधुनिक क्षेत्र में रोजगार लेने को प्रेरित करता है, तो परिवारों की ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को जाने की सहक्रिया, कृषि या बाजार या सेवा व्यवसायों में उनकी पत्नियों का रोजगार समाप्त कर देती है, और अभी भी थोड़े आधुनिक क्षेत्र जहां अधिकांश रूप से पुरुष कार्य करते है में रोजगार के उन्हें पर्याप्त अवसर नही दिए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में, आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं का समग्र प्रतिशत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप गिर जाएगा।

17-3-7 vkèkqfud {ks= esa efgykvksa dh fuEu ;ksX;rk vkSj fuEu jkstxkj dk n"pØ

बहुत से विकासशील देशों में महिलाओं की कार्य सहभागिता की निम्न दरें शहरी पारिवारिक आमदनी को मंद करती हैं। विकासशील देशों से कुछ अर्थशस्त्रियों ने इस

ओर ध्यान दिलाया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों दृष्टिकोण से महिलाओं के लिये शहरी कार्य सहभागिता की उच्च दरें आवश्यक हैं। परन्तु इसका उल्टा विचार ज्यादा व्यापक है। यह तर्क किया जाता है कि महिलाओं के ज्यादा रोजगार से कुछ परिवारों को जो फायदा होता है वह अन्य परिवारों को समवर्ती हानि द्वारा समाप्त हो जायेगा क्योंकि उनका जीविकोपार्जक अपना कार्य खो बैठेगा यदि ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया जाता हैं। एक बार यह पक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, कि सिर्फ पुरुष ही आर्थिक विकास के प्रति योगदान कर सकते हैं, यह अविवेक पूर्ण प्रतीत होता है कि उस अवधि के दोरान उच्चशिक्षा के लिये उन्हे प्राथमिकता न दी जाए।

भारत समेत, अधिकांश विकासशील देशों में, आधुनिक क्षेत्र में रोजगार पाने के लिये महिलाओं का मार्ग उनकी उचित योग्यता के अभाव में अवरूद्ध होता है। लेकिन अमेरिका में लड़कियों के लिये वाणिज्यिक स्कूलों के बड़े अपवाद को छोड़कर, विकासशील देशों में लड़कियों को प्रशिक्षितत करने के बहुत कम अवसर मौजूद हैं। यह बताता है कि अधिकांश विकासशील देशों में पुरुष एवं महिला श्रमिकों के बीच योग्यता अंतराल विस्तृत हो रहा है।

पिछले कुछ दशकों से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में स्त्रियों की स्थिति में पतन के परिणामस्वरूप जेंडर सम्बन्धित मुद्दों ने विकास की कार्यसूची में ज्यादा से ज्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है। विकासशील देशों में गरीब तथा अभाव ग्रस्त स्त्रियों की दशा पर, तथा उन्नत देशों में अधूरी जेंडर कार्यसूची पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। न्याय तथा क्षमता दोनों के आधार पर, तथा निर्धनता घटाने तथा आर्थिक विकास प्राप्त करने के उपकरण के रूप में महिलाओं और पुरुषों के लिये समान अवसर महत्व को पहचानते हुए, अंतरराष्ट्रीय विकास समुदाय ने जेण्डर समानता को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में शामिल कर लिया है।

ckèk i'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शहरी आधुनिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में पतन के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें

....

....

....

....

17-4 vkfFkd l jpuk e ylfxd igy

उपर्युक्त इतिहासिक विचार ध्यान में रखते हुए, आर्थिक संरचना में जेंडर के पहलूओं को निरूपित करने के चार तरीके हैं :

17-4-1 xj&orfud n[kj[k vFkO;oLFkk dk erl cukuk

इस रूपरेखा में अर्थव्यवस्था को दो रूपों में उपविभाजित किया जा सकता है, एक 'वस्तु अर्थव्यवस्था' जहां उत्पादित वस्तु (आउटपुट) बाजारों में बेची जाती है और दूसरा,

'देखरेख अर्थव्यवस्था' जहां उत्पादित वस्तु बाजारों में नहीं बेची जाती है, परन्तु वह परिवारों या समुदायों में ही रहती है। वस्तु अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय लेखा व्यवस्था में समाविष्ट है, जबकि देखरेख अर्थव्यवस्था उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि महिलाओं का अधिकांश कार्य देखरेख अर्थव्यवस्था में ही सम्पन्न होता है, यह महिला कार्य के बड़े भाग को अदृश्य बना देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि देखरेख अर्थव्यवस्था से उत्पादित वस्तु को समय में या मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है, सिर्फ अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

17-4-2 vkfFkZd fu.kZ;u esa tsMj

आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता श्रम विशेषीकरण के ज्यादा जटिल होते रूप की ओर बढ़ना है निर्णयन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विकास की आरंभिक अवस्था में ही समुदायों में जेंडर असंतुलन को पहचाना जा सकता है। परिवार की स्वावलंबन की सर्वाधिक पुरातन अवस्था में परिवार श्रम विभाजन पर टिका होता है। एक कुटुम्ब में पुरुष और स्त्री दोनों साथी एक साथ रहते हैं, पुरुष भोजन का सामग्री लाता है और स्त्री पकाती है। सम्पूर्ण विश्व में यही मूलभूत आम चित्र देखने को मिलता है। आर्थिक नीति बनाने का कार्य, समष्टि स्तर पर, सामान्यत्या पुरुष क्षेत्र में आता है। मध्यस्तर पर, पुरुष नेतृत्व की भूमिकाओं पर एकाधिकार कर लेते हैं, और सहायक गतिविधियों को स्त्रियों के लिये छोड़ देते हैं। व्यष्टि स्तर पर, परिवार में पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच संघर्ष होता है। इस विषय पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

17-4-3 tsMj&vk/kkfjr fodfr;k¡

स्त्रियों के साथ भेदभाव के विभिन्न रूप हो सकते हैं। श्रम बाजारों में, महिलाओं की उत्पादकता को वास्तविकता से कम महत्व देने के कारण उन्हें निम्न मजदूरी दी जाती है। ऋण बाजारों में, महिलाओं को ऋण देना जोखिम पूर्ण काम माना है क्योंकि ऋण चुकता करने की उनकी क्षमताओं को कमकर माना जाता है। परिणामस्वरूप उनसे ब्याज की ऊंची दरें ली जाती है। चूँकि अधिकांश महिलाओं का कार्य गैरवेतनिक होता है, उसकी कीमत (या अवसर लागत) शून्य प्रतीत होती है। अतः देखरेख अर्थव्यवस्था और वस्तु अर्थव्यवस्था दोनों में उत्पादित वस्तु के लिये बाजारो के अभाव के कारण भेदभाव किया जाता है। जेंडर पर आधारित कीमत विकृतियां अर्थव्यवस्था को कृत्रिम अर्थशास्त्र की ओर ले जाती है। आर्थिक नीति–निर्माता जिनका लक्ष्य सम्पूर्ण आर्थिक क्षमता को सुधारना है उनको इस तथ्य के प्रति जागरूक होना होगा कि महिलाओं के कार्य (वेतनिक तथा गैरवेतनिक) की वास्तविक लागत प्रायः मूर्त नहीं होती हैं।

17-4-4 fyax&vk/kkfjr laLFkkfud vfHkufr ;k iwokZxzg

सांस्थानिक पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होते हैं जब स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर जैसे संस्थान ठीक कार्य नहीं करते हैं। वो इस प्रकार से संचालित किए जाते हैं कि कुछ स्वार्थी समूहों, प्रायः ऐसे समूहों जो इन संस्थानों को नियन्त्रित करते हैं, के लाभ अधिकतम होते हैं। उदाहरण के लिये, नौकरियों के बंटवारें में पुरुष अभिनत मानदंड पुरूष कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ तो अधिकतम कर सकते हैं, परन्तु समग्र रूप से समाज में संगठन के योगदान को अधिकत नहीं करते है, क्योंकि वे महिलाओं की क्षमतओं को व्यर्थ करते हैं। सामान्यतया, लोकव्यय के आवंटन में पुरुष–पक्षपाती मानक के परिणामस्वरूप जेंडर असमानता पुनः उत्पन्न होती है न कि कम होती है। इसी तरह से, लोक व्यय के स्वरूप को पुरूष अभिनव बनाने की कोई सुचिंतित योजना नहीं बनानी पड़ती परन्तु वे सहज ही अपनी प्राथमिकताओं एवं कार्यविधिओं में पुरुष के पक्ष में चले जाते हैं। बहुत से बाजारों

में इस बारे में कि कारोबार किस प्रकार करना है, किसके साथ सौदा करना उपयुक्त है, किसके साथ सूचना का लेनदेन करना है, और किसके साथ करारनामा हो, इत्यादि के बारे में मानकों का परिमणाम महिलाओं को अलग–थलग कर देने में या उसके उपान्तीकरण का होता है।

उपर्युक्त उल्लिखित विकृतियों तथा पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप महिलाओं के समय का जरूरत से ज्यादा उपयोग का होता है। महिलाओं के कार्य के घंटे पुरुषों के कार्य घंटों से ज्यादा लम्बे होते हैं। समस्त विकासशील देशों में और अधिकांश औद्योगिक देशों में, पुरुष प्रायः नकद फसलों की खेती में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयुक्त करते हैं। जब कि महिलाएं पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा खाद्य फसलों की खेती करती रहती हैं। कृषि विकास के दौरान भी, पुरुषों के श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होने लगती है जबकि महिलाओं की लगभग स्थिर रहती है। फलस्वरूप, कृषि में महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति में गिरावट आती है जो उन्हें कृषि का परित्याग करने और घरेलू जीवन में लौट जाने को बाध्य करती है। कारण यह है कि सामान्य तौर पर पुरुष ही नए प्रकार के उपकरणों को परिचालित करना सीखते हैं जबकि महिलाएं पुरातन हस्त औजारों के साथ कार्य करती रहती हैं। अतः पुरुष नूतन उपकरणों और आधुनिक पद्धतियों के उपयोग पर एकाधिकार कर लेते हैं। यूरोपियन शासकों ने शिक्षा और प्रशिक्षण में अपनी विभदेक नीतियों द्वारा पुरुष एवं महिला किसानों के बीच उत्पादकता अंतराल उत्पन्न कर दिया है। ऐसे घटनाचक्र का अपरिहार्य प्रभाव पुरुषों की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा महिलाओं की स्थिति में गिरावट लाने का हुआ। पुरुष ही आधुनिक कार्य करते हैं और महिलाएं पुरातन नीरस कार्य करती है। अतः, कोई भी क्षेत्र हो, उत्पादन की पारम्परिक पद्धतियों से आधुनिक पद्धतियों में बदलाव महिलाओं की लागत पर पुरुषों की प्रतिष्ठा बढ़ाने लगता है और इस तरह से पुरुष तथा महिला के ज्ञान तथा प्रशिक्षण के स्तरों में अंतराल को गहरा करता है।

ckèk iz'u 2

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. आर्थिक संरचना में जेण्डर पहलुओं को हम किन–किन तरीकों से निर्धारित कर सकते हैं संक्षेप में वर्णन करें।

....

....

....

....

17-5 izkFkfedrk izkIr {ks=

विश्व बैंक (1994) के अध्ययनानुसार, देश–विशिष्ट प्रमाण की तुलना बताती है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पांच है जहां कार्रवाई की आवश्यकता है : शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, मजदूरी कृषि, और वित्तीय सेवाएं। जबकि बहुत से अन्य नीतिगत विकल्प उपलब्ध है; इन पांच को ही चुना गया है क्योंकि ये वो आधार प्रदान करते हैं जिन पर अन्य नीतियां बनाई जा सकती हैं। इन क्षेत्रों में बाजार की असफलताओं की क्षतिपूर्ति करने के लिये लोक

नीतियों का कारगर होना चाहिये। उपर्युक्त क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आनुपातिक रूप से ज्यादा निवेश करना विकास रणनीति का और सामाजिक न्याय का आवश्यक अंग होना चाहिए। यह यथेष्ट आर्थिक और सामाजिक भुगतानों के जरियें गरीबी को सीधे कम करता है, यह ज्यादा उच्च उत्पादकता तथा संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की ओर ले जाता है। यह पारिस्थितिकीय रूप से संवहनीय विकास में योगदान देता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक लाभों– निम्न प्रजनन दर, बेहतर पारिवारिक पोषण, और शिशु, बाल एवं मातृ–मृत्यु दर में कमी लाता है। माँ के शिक्षित होने के अंतःपीढ़ीय लाभ विशेष रूप से दृष्टव्य है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर असमानताएं, जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा उत्पादक परिसम्पतियों बाजारों एवं रोजगारों की उपलब्धता में परिलक्षित होती है, वे उनके बीच स्थापित सत्ता सम्बन्धों को प्रभावित करती है। यह परिवार में निर्णय लेने एवं उन्हें प्रभावित करती है। यह परिवार में निर्णय लेने एवं उन्हें प्रभावित करने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। इन असमानताओं का तात्पर्य आर्थिक तथा अन्य अवसरों का फायदा उठाने और लोकनीति में भागीदारी करने में असमान क्षमता है। विशेष रूप से, इन सुविधाओं की उपलब्धता स्त्रियों के अपने जीवन के बारे में फैसला लेने तथा उसे प्रयोग में लाने की, उनकी योग्यता/शक्ति को बढ़ाती है। वे स्त्रियों और पुरुषों के लिये अवसरों को बराबर करते है जैसा कि देश के कानूनी तथा विनियामक ढ़ांचे के अन्तर्गत दिए गए अधिकार स्पष्ट करते हैं। और परिवार, बाजारों तथा नागरिक समाज के क्षेत्रों में स्त्रियों की मूलभूत रूकावटों को भी सम्बोधित करते हैं।

इन भगुतानों के बावजूद, बहुत से देशों में ऊपर बताएं गये मुख्य क्षेत्रों में से अधिकांश में जेंडर अंतराल काफी है। यह असमानता ही जेंडर असमता का एकमात्र मुद्दा नही जिसे कि सही करने की आवश्यकता है, परन्तु कथित देशों के विकास अवसरों को कम करने के सम्बन्ध में क्षमता का भी मुद्दा है। इन अंतरालों तथा रूकावटों को कम करने की कुछ प्रभावशाली युक्तियां निम्नलिखित उप–अनुभागों में दी गई हैं।

17-5-1 f'k{kk

सम्पूर्ण विकासोन्मुखा विश्व में विद्यालयी नामांकन तथा उपलब्धियों में जेंडर अंतराल कम करने में काफी प्रगति हुई है, परन्तु विशेष क्षेत्रों तथा शिक्षा के विशेष स्तरों पर जेंडर अंतराल महत्वपूर्ण बने हुए हैं। विशेष रूप से, दक्षिण एशिया (सर्वाधिक ध्यान देने योग्य उत्तरी भारत और पाकिस्तान है) के कुछ भागों में और सब–सहारा अफ्रीका (विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका) में बहुत से गरीब देशों में, शिक्षा प्राप्ति में बहुत बड़ा जेंडर अंतराल मौजूद हैं। भारत में, पिछली तीन जनगणनाओं के अनुसार, पुरुषों की साक्षरता के प्रतिशत की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत से काफी कम रहा है (तालिका 17.1)।

Rkkfydk 17-1 % Hkkjr esa lk{kjrk dh nj

o"kZ	Ekfgyk,a	Ik#"k	dqy
1981	29.5	56.5	43.7
1991	39.3	64.1	52.2
2001	52.1	75.8	65.4

Lkzksr % Hkkjr dh tux.kuk] 2001

विकासशील विश्व में देशों के ज्यादा बड़े समूह में, शैक्षिक प्राप्ति में जेंडर अन्तराल काफी अधिक है। इसके मुख्य कारण बच्चों को शिक्षित करने के लिये अपेक्षित परिव्यय हो

सकता है, यद्यपि सरकार अधिकांश के लिये खर्चा करती है। लड़कियों के मामले में, अभिभावक स्कूल की फीस, किताबों और कपड़ों की न केवल प्रत्यक्ष लागतों को वहन करते हैं परन्तु वे अवसर लागत को भी वहन करते हैं क्योंकि लड़कियां अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने, घर के काम और बाल श्रम के रूप में मजदूरी कमाने के लिये उस समय उपलब्ध नहीं होती हैं जब वे स्कूल जाती है । एक गरीब परिवार ऐसी सहायता का परित्याग नही कर सकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के निजी प्रतिफल पुरुषों तथा महिलाओं के लिये लगभग एक समान होते हैं। तथापि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिये सामाजिक प्रतिफल काफी अधिक हैं। इसका कारण यह है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणिक स्थिति, और प्रजनन क्षमता और भावी पीढ़ियों की उत्पादकता के बीच मजबूत सहसम्बन्ध है। तालिका 17.2 भारत में माँओं के शैक्षिक स्तर के साथ प्रजनन क्षमता का शक्तिशाली सम्बन्ध दर्शाती है।

rkfydk 17-2 % 'kSf{kd Lrj vkSj dqy ituu {kerk

Ø-l-	'kSf{kd Lrj	Ikfr efgyk ¼vk;q leg 15&49 o"kZ½ tUe cPpksa dh la[;k ¼2001½
1.	निरक्षर	4.2
2.	साक्षर परन्तु मिडिल से कम	3.7
3.	मिडिल परन्तु स्नातक से कम	3.3
4.	दसवीं पास परन्तु स्नातक से कम	2.7
5.	स्नातक तथा उससे अधिक	2.1
	कुल शैक्षिक स्तर	3.8

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001

तालिका 17.2 इंगित करती है भारत में प्रजनन दर का महिलाओं की शिक्षा के साथ मजबूत सहसंबंध है। फिर भी, बहुत से देशों में लड़कियों की स्कूल नामांकन दरें, लड़कों की नामांकन दरों से बहुत पीछे रहती हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिये स्कूल बीच में छोड़ देने की दरें भी ज्यादा ऊंची हैं। विकासशील देशों में, अभिभावक अपने बेटों की तुलना में अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में कम दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि बेटियों की शिक्षा से मिलने वाले प्रतिफल अनिश्चित तथा दूरस्थ होते हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन (1994) के अनुसार, लड़कियों की नामांकन दरें बढ़ाने की कार्यनीतियों में समविष्ट हैं–लड़कियों के स्थान आरक्षित करना, एकल–लिंग स्कूल और कक्षा के कमरें स्थापित करना, ज्यादा महिला शिक्षिकाएं भर्ती करना और समुदाय के सांस्कृतिक मानकों के अनुरूप स्कूल सुविधाएं उपलब्ध कराना। केरल राज्य में, जहां भारत में उच्चत्तम साक्षरता प्रतिशत तथा नामांकन दरें हैं, 60% से ज्यादा शिक्षिकाएं महिलाएं है। और जबकि बिहार और यू.पी. के राज्यों में 20% से भी कम है, और लड़कियों की नामांकन दरें भी इन राज्यों में निम्नतम हैं। सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन जेंडर–सूचित शैक्षिक नीतियों के द्वारा विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों की उच्चतर नामांकन दरें उपलब्ध हुई हैं, और कई देशों ने प्राथमिक स्कूल की नामांकन दरों में जेंडर समता प्राप्त करली है। यह प्रगति काफी आर्श्चजनक है और नीतिगत उपायों, जैसे कि ज्यादा सामुदायिक स्कूलों की ज्यादा संख्या, फीस से पूरी छूट, स्टाइपेंड, सशर्त

नकद लाभ और लड़कियों के लिए रोकड़ के स्थान पर्चे (वाउचर) के प्रति परिवारों की प्रतिक्रिया दर्शाती है। आज लड़कियों के लिये अधिक शिक्षा उनके स्वास्थ्य तथा रोजगार के सम्बन्ध में दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी और साथ ही भविष्य में उनके बच्चों के कल्याण के लिए हितकर होगी। इसके साथ ही, शायद इसलिये तथा अन्य कारणों की वजह से, महिला की शिक्षा और समग्र आर्थिक विकास के उपायों के बीच सकारात्मक सम्बन्ध है।

17-5-2 LokLF;

लड़कियों की प्रायः कम देखभाल होती है और वे लड़कों की तुलना में ज्यादा अल्पत्पोषित होती हैं, जैसा कि जनसंख्या में पुरुषों से स्त्रियों के निम्न अनुपात में प्रतिबिम्बित होता है। भारतीय जनगणना सांख्यिकी की परेशान कर देने वाली सच्चाई प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के अनुपात में ह्रास है, जैसा कि तालिका 17.3 में दर्शाया गया है। भारत में बेटों के लिये वरीयता बहुत व्यापक है जो कि शायद विद्यमान लिंग संयोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। ''बहुत से अध्ययनों ने दर्शाया है'' कि देखभाल की प्रथाओं समेत व्यवहारपरक कारक छोटे स्त्रीलिंगीय बच्चों के विरूद्ध कार्य करते हैं। इसके अलावा देश के कुछ भागों से लिंग–चयनित गर्भपात के शक्तिशाली प्रमाण मिले हैं।

rkfydk 17-3 % ifr gtkj iq#"kksa ij fL=;ksa dh la[;k ¼fyax vuqikr½

o"kZ	Ikfr gtkj iq#"kksa ij efgyk,a
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001

दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों में, भोजन की मात्रा तथा स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव के कारण जन्म के समय पर स्त्रियों को मिलने वाला स्वाभाविक स्वास्थ्य लाभ जल्दी ही नष्ट हो जाता है और इसका परिणाम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की निम्न जीवन प्रत्याशा का होता है। बच्चे के जन्म पर उत्तरजीविता के स्वाभावित लाभ के कारण, स्त्रियों की ज्यादा अधिक देखभाल के फलस्वरूप विकासशील देशों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा उच्चतर हो गई है। (तालिका 17.4)।

rkfydk 17-4 % tUe dk le; ij thou iR;k'kk ¼o"kksa esa½ 2005&56

n'k	efgyk	Ik#"kk
भारत	66.9	63.9
चीन	74.2	70.6
बंगलादेश	64.3	63.3
पाकिस्तान	64.3	64.0
श्रीलंका	77.5	72.2

स्रोत : विश्व जनसंख्या की स्थिति– 2006

इसके अलावा, बाल मृत्यु दर में भरी कमी ने भी जीवन प्रत्याशा की वद्धि में योगदान दिया है। इन स्थितियों को सुधारने के लिये, एकीकृत सेवाएं, जिसमें पोषण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समाविष्ट है, स्त्रियों तक पहुँचने में सर्वाधिक प्रभावी हो जाती हैं।

17-5-3 etnj

महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में निम्न निवेश महिलाओं को औपचारिक श्रम बाजार, में पुरुषों की तुलना में काफी नुकसान देय स्थिति में ले जाता है। यह भारत में महिलाओं की कार्य प्रतिभागिता की निम्न दर में प्रतिबिम्बत होता है जैसा कि तालिका 17.5 में दर्शाया गया है। यह तालिका रोजगार में जेंडर पूर्वाग्रह प्रकट करती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन (1994) के अनुसार, औपचारिक श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की प्रमुख कार्य–नीतियों में समाविष्ट है – कानूनी एवं विनियामक अवरोधों को समाप्त करना, महिलाओं की उत्पादकता बढ़ाना, उनके समय पर व्यवरोध को हल्का करना और काम या नौकरी के अवसरों पर जानकारी प्रदान करके श्रम बाजार की क्षमता में सुधार करना है। कानूनी सुधार, शिक्षा और प्रशिक्षण, सूचना तथा अपनी क्षमता अनुसार शिशुओं की देखरेख की उन्नत उपलब्धता औपचारिक श्रम बाजारों में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने की कुंजी है।

Rkkfydk 17-5% Hkkjr esa dk;Zcy ifrHkkfxrk nj

Ok"kZ	Ekfgyk,a	Ik#"k	dqy
1981	19.7	22.7	25.7
1991	52.6	51.6	51.9
2001	36.7	37.7	39.2

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001

17-5-4 df"k vkSj ikdfrd lalk/ku icU/ku

क्योंकि अधिकांश गरीब ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं, उनकी सहायता करने की मुख्य रणनीति उन्हें उस भूमि पर जिस पर वह खेती करती हैं पर अधिकार देने और प्रसार सेवाओं तथा सरकारी सहायता के द्वार खुले होने चाहिए। वातावरणीय अधः पतन से महिलाओं का भार बढ़ता है। महिलाओं के लिये वातावरणीय क्षति की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों का आंकलन किया जाना चाहिये और उन्हें प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध

परियोजनाओं एवं नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। जमीन, वृक्ष एवं अन्य–वन्य संसाधनों पर महिलाओं के स्वामित्व तथा नियत्रण को बढ़ावा देने, और महिलाएं जल तथा ईंधन इकट्ठा करने में जो समय लगाती है उसे घटाने के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने से वातावरणीय संवहनीयता में योगदान मिलेगा।

17-5-5 foÙkh; lsok,a

नवोन्मेषी कार्यक्रमों ने प्रदर्शित किया है कि गरीब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से ऋण और बचतें, प्रतिस्पर्धात्मक लागतों पर प्रदान की जा सकती हैं। यह सेवाएं महिलाओं की जरूरत है या इच्छा के अनुसार आय उपार्जन की योग्यता में सुधार करती है और इस तरह से उनकी वित्तीय दुर्बलता को कम करती है। सामुहिक उधार ने लेन–देन की उच्च लागतों, रूपया न चुकाने के अनुभूत उच्च जोखिमों और जमानत के अभाव के अवरोधों को नष्ट कर दिया है। अनौपचारिक क्षेत्र में काफी भारी संख्या में महिलाएं नियोजित हैं, परन्तु अधिकांश महिलाओं की औपचारिक ऋण बाजारों तक पहुँच नहीं होती है। औपचारिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक ज्यादा बड़े कारोबार में ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जब कि लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) के संस्थान अनौपचारिक क्षेत्र की और विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकताए पूरी करते हैं। समूह आधरित उधार की सुविधा के कारण सदस्य को हम साथियों का समूह चुन पाते है, जिनके साथ वे कार्यक्रम में भाग ले पाते हैं। इससे प्रत्येक ऋणी (उधार लेने वाला) न सिर्फ अपने खुद के ऋण के लिये उत्तरदायी होता है परन्तु समूह के अन्य सदस्यों के ऋण के लिये भी उत्तरदायी होता है। यदि समूह का कोई एक सदस्य रूपया वापस लौटाने में चूक जाता है, तो सभी सदस्य और ऋण पाने के लिए अमान्य बन जाती है। अतः चुकौती (ऋण की वापसी) सुनिश्चित करने में जमानत का स्थान समूह दबाव ले लेता है। लघुवित्त (माइक्रो फाइनेंस)को गरीबी समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में अधिकाधि ाक देखा जा रहा है।

cksèk iz'u 3

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. वो कौन से क्षेत्र हैं जहां जेंडर अंतरालों को कम करने के लिये कार्रवाई की आवश्यकता है?

....

....

....

....

17-6 fu"d"kZ

जैसा कि आपने इस इकाई में देखा है, लोक नीति आर्थिक विकास में महिलाओं की प्रतिभागिता को काफी ज्यादाबढ़ा सकती है। कुछ दृष्टान्तों में, योगदान अधिकांशतः प्रशिक्षण तथा गैर–सरकारी एजेन्सियों, समुदायों तथा अभिभावकों की गतिविधियों को समर्थन देने का हो सकता है। दूसरों में, यह कानूनी तथा सांस्थानिक संरचनाओं को

परिवर्तितत करने का रूप ले सकता है। यदि आप इकाई को इस सम्बन्ध में संक्षिप्‍ करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यथार्थ प्रगति हो सकती है आप रेखांकित कर सकते हैं कि यह निम्नलिखित तरीकों से सरकारों के सक्रिय जुड़ाव, नेतृत्व तथा प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है :

1- tsMj fo'ys"k.k dk fy, vkdMk vk/kkj ¼MsVkcsl½ etcwr djdk

सभी देशों में आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े का संग्रह का प्रकाशित करने के लिए लोक एजेन्सियों जिम्मेदार होती है। ऐसी सूचना की गैर–मौजूदगी में, सरकार चिन्ता करने योग्य क्षेत्रों की पहचान नहीं कर पाती है और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय तैयार करने तथा प्रकत की निगरानी करने की उसकी योग्यता कमजोर हो जाती है। इसलिए सरकार, के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि पुरुषों तथा स्त्रियों के लिये सामाजिक–आर्थिक आंकड़े पृथक रूप से दर्ज किये जाते हैं। इसी तरह से, विकास कार्यक्रमों के परिणाम की सूचना जेंडर–विशिष्ट होनी चाहिये जिससे कि हस्तक्षेप की प्रभावपूर्णता का आकलन किया जा सके।

2- tsMj&lEcU/kh uhfr;k rFkk dk;ZØe rS;kj djdk

सरकारों को, गरीबी के मूल्यांकनों लोक व्यय समालोचनाओं, जेंडर सम्बन्धी मुद्‌दों पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों और शिक्षा, स्वास्थय और कृषि के क्षेत्रीय प्रतिवेदन जरिये जेंडर सम्बन्धी मुद्‌दों की पहचान करनी चाहिए। इन सबका उद्देश्य सेवाओं तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों तक महिलाओं की पहुँच की वर्तमान स्थिति, और इस पहुँच को प्रभावित कर रही वर्तमान नीतियों की स्पष्ट समझ विकसित करनी चाहिए।

3- dkuwuh rFkk fofu;ked <kaps dk la'kks/ku djdk

कानूनी तथा विनियामक ढ़ाचों को संशोधित करके सरकार उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा संसाधनों पर महिलाओं के नियन्त्रण के रास्ते में रूकावटों को हटाने की क्षमता रखती है। महिलाओं को जमीन पर स्वाभित्व रखने से निविष्टियों एवं ऋण तक उनकी पहुँच उत्रत हो सकती है जो कि उनकी उत्पादकता बढ़ती है। कानूनी रूकावटों को हटाने से औपचारिक श्रम बाजारों के जो खंड़ स्त्रियों के लिये, पहले बंद थे, उनको खोला जा सकता है। बहुत से देशों में लिंगों की समानता हेतु संवैधानिक प्रावधान पहले से ही मौजूद है। तथापि, विधानों तथा विनियमों में परिवर्तन के जरिये इन प्रावधानों को वास्तविकता में तबदील करना अभी बाकी है।

4- izHkkoh dk;ZØe lEiknxh lqfuf'pr djdk

संरचित नीतियां तथा कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं–उन्हें प्रभावशीलता से क्रियान्वित करने की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम स्त्रियों तक पहुँच जाते हैं सरकार को पूरक कूटनीतियां अपनानी चाहिए। परियोजना डिजाइन करने में महिलाओं को सीधे जोड़ने से कार्यक्रम की सुपुर्दगी को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। एन.जी.ओ. (गैर–सरकारी संगठन) के साथ कार्य करने से कार्यक्रम की प्रभावपूर्णता बढ़ सकती है क्योंकि वे स्थानीय ज़रूरतों तथा अपेक्षाओं में परिवर्तन के साथ जल्दी ही अपने को ढ़ाल लेती हैं।

5- lalk/ku tqVk dj

एक देश में आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के संसाधन फलितार्थ, मानव संसाधन विकास में किये गये पिछले निवेशों पर निर्भर करते हैं। वो देश

जहां निवेश सीमित रहते हैं, पुरुषों तथा स्त्रियों के लिये सेवाओं की गम्यता तथा गुणवत्ता निम्न होगी। ऐसी अधिकांश स्थितियों में, कार्यक्रम और नीतिगत परिवर्तन के साथ अतिरिक्त लागत नहीं जुड़ती है। उन देशों में जहां मानव संसाधन विकास में निवेश काफी किए गए हैं परन्तु जहां जेंडर असमानताएं भी बहुत हैं। संसाधन फलितार्थ (प्रभाव) वास्तव में अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं इन देशों को यह निर्णय करने में कठिनाई हो सकती है कि क्या एक समूह से संसाधनों को दूसरे समूह को पुनः आवंटित किया जाए अथवा अल्प–सेवित समूह को सेवाओं का विस्तार करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की जाए।

17-6 'kCnkoyh

cgqfookg (polygamy) : बहुविवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक व्यक्ति की एक ही समय पर एक से ज्यादा पत्नियां या पति होते है।

ckxku (plantation) : बागान उष्णकटिबंधी या उप उश्णकटिबंधी देश में एक बड़ा खेत या भू सम्पत्ति है जहां पौधों को स्थानीय उपभोग के बजाय दूरस्थ बाजारों के लिये उगाया जाता है।

tUe ds le; ij thou iR;k'kk (life expeclancy at Birth) : बताता है कि एक नवजात शिशु कितने वर्ष जीवित रहता है यह यदि, उसके जन्म के समय पर मृत्यु के प्रचलित प्रतिमान (पैटर्न) उसके जीवन पर्यन्त वही बने रहते हैं। (स्रोतः संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग, 2009)।

ukekadu nj : नामांकन दरों को निवल नामांकन दरों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें विद्यार्थियों की संख्या को शिक्षा के सब स्तरों पर नामांकित विशेष आयु समूह द्वारा भाग देकर जनसंख्या में उस आयु समूह के लोगों की संख्या द्वारा विभाजित करके परिकलित किया जाता है (ओ.इ.सी.डी.) ।

17-7 cks/k iz'uksa ds mÙkj

Cks/k iz'u&1

1. शहरी आधुनिक क्षेत्र में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का श्रेय, महिलाओं का निम्न कौशलयुक्त, निम्न मजदूरी वाले कामों में केन्द्रीकरण, जीवन निर्वाह की गतिविधियों (जिसमें स्त्रियों का आधिक्य रहता है) का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन (पुरुषों की संख्या अधिक रहती है) द्वारा प्रतिस्थापन, कृषि या सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल में महिलाओं के हिस्से में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को दिया जा सकता है।

Cks/k iz'u&2

1. आर्थिक ढांचे में जेंडर पहलूओं को अलग करने के लिये उत्तर को निम्नलिखित तरीकों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए : गैर–वेतनिक देखरेख अर्थव्यवस्था को

दृश्यमान बनाना, आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को आगे बढ़ाना, कार्यस्थल पर जेंडर–आधारित विकृतियों को समाप्त करना और जेंडर–आधारित सांस्थानिक पूर्वाग्रहो को कम करना।

ckèk i'u&3

1. महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये पांच प्रार्थमिकता प्राप्त क्षेत्र जहां कार्रवाई की जरूरत है निम्नलिखित शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध और वित्तीय सेवाएं। कुछ उपायों (इन क्षेत्रों से सम्बन्धित) में समाविष्ट है :

   i) बालिका स्कूलों के लिये स्थान आरक्षित करना; एकल लिंग स्कूल और कक्षा कक्ष (क्लास रूम) स्थापित करना; ज्यादा महिला शिक्षक भर्ती करना; लड़कियों के लिये समुचित साफ–सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना; सामुदायिक विद्यालयों की स्थापना।

   ii) एकीकृत सेवाएं जिनमें समाविष्ट है : पौष्टिक आहार, परिवार नियोजन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख।

   iii) कानूनी तथा विनियामक रूकावटों को दूर करके स्त्रियों की प्रतिभागिता को बढ़ाना, महिलाओं की उत्पादकता बढ़ाना, उनके समय पर व्यवरोधों को कम करना, श्रम बाजार की क्षमता को बढ़ाना।

   iv) वित्तीय सेवाएं तथा भूमि को कानूनी नाम या भूमि पर स्वत्वाधिकार प्रदान करना।

   v) उपयुक्त प्रोद्योगिकियां विकसित करना।

17-8 mi;ksx iLrd

A World Bank Policy Paper, *"Enhancing Women's Participation in Economic Development"*, Washington D.C., USA, 1994.

Boserup, E., *Women's Role in Economic Development*, London: George Allen Unwin, 1970.

Dyson, Tim, "India.s Population – The Future", in Tim Dyson, Robert Cassen and Leela Visaria (Eds), *Twenty first Century India*, New Delhi: Oxford University Press, 2004.

Elson Diane, *"Gender and Economic Development"*, Final report written on behalf of The Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands, 1998.

Krishnaraj, Maithreyi, Ratna, M. Sudarshan, Abusaleh, Shariff, (eds.) , *Gender, Population and Development*, New Delhi: Oxford University Press, 1998.

Patel,Vibhuti, *Women's Challenges of the New Millennium*, New Delhi: Gyan Publishing House, 2002.

Seth, Mira, *Women and Development: The Indian Experience*, New Delhi: Sage Publication, 2001.

Visaria, Leela, "Mortality Trends and the Health Transition" in Tim Dyson, Robert Cassen and Leela Visaria (Eds), *Twenty first Century India*, New Delhi: Oxford University Press, 2004.

17-9 vH;kl dk fy;s iz'u

1. अफ्रीका तथा एशिया के क्षेत्रों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति में पतन की विवेचना करें।

2. भारत के संदर्भ में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति का इतिहासिक पुनरावलोकन करें।

3. आर्थिक ढ़ाचे में जेंडर पहलूओं को अलग करने के विभिन्न तरीके स्पष्ट करें। जेंडर लेन्स का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

4. विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिये वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कार्रवाई की आवश्यकता है?

5. महिलाओं की स्थिति में स्थूल सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा कौन सी नीतियां अपनाई जानी चाहिये अपने सुझाव दीजिये।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

bdkbZ 18 m|e fodkl

bdkbZ dh :ijs[kk

18.1 प्रस्तावना

18.2 उद्देश्य

18.3 उद्यमिता की अवधारणा

18.4 महिला उद्यमी

18.5 भारत में महिला उद्यमी

18.6 उद्यम विकास और लघुवित्त

18.7 लघुवित्त, स्वावलम्बन समूह और महिलाएं

18.8 केस स्टडी/दृष्टांत अध्ययन

- 18.8.1 शक्ति, बंगलौर का दृष्टान्त अध्ययन (केस स्टडी)
- 18.8.2 मासूम (masum), पूना का दृष्टांत अध्ययन (केस स्टडी)
- 18.8.3 लघुवित्त के समर्थन में भूमंडलीय आनुभाविक साक्ष्य

18.9 लघुवित्तीय संस्थाओं तथा स्वावलम्बन समूहों की सलाहकार भूमिका

- 18.9.1 गैर–वेतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था को दृष्टव्य या मूर्त बनाना
- 18.9.2 व्यावसासिक प्रशिक्षण
- 18.9.3 महिलाओं की समस्याओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना
- 18.9.4 पत्नी पिटाई द्विविवाह प्रथा, तथा अन्य प्रतिबंधों के मामलों में हस्तक्षेप
- 18.9.5 मोनिटरिंग स्कूल
- 18.9.6 बंधक जमीन छुड़वाने में सहायता
- 18.9.7 पर्यावरण सम्बन्धी संवहनीयता तथा सामाजिक सशक्तिकरण

18.10 लघुवित्त तथा स्वावलम्बन समूहों की समीक्षा

18.11 भारत में महिला उद्यमियों की समस्याएं

18.12 सुझाव

18.13 निष्कर्ष

18.14 शब्दावली

18.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

18.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

18.17 अभ्यास के लिये बोध प्रश्न

^^dkbZ lk{kjrk ugh] dkbZ fxurh ugh! dkbZ lk{kjrk ugh] dkbZ gLrk{kj ugh!** , ,e ,l ,l ekjh xko

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

18-1 i:Lrkouk

इस इकाई में उद्यमवृति को महिला उद्यमियों के सम्बन्ध में भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया गया गया हैं। विश्व भर में, जब भी महिलाएं कोई उद्यम सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करती है उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु महिला उद्यमियों के उदगम को उनके सामाजिक–आर्थिक मुक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्हें इस चेष्टा में लद्युवित संस्थाओं और स्वावलम्बन समूहों से काफी सहायता प्राप्त होती है। यह समूह सलाहकारी भूमिका भी अदा करते है। और महिला उद्यमियों के प्रभावी विकास के लिये सुझाव भी प्रदान करते हैं।

18-2 mn~ns';

इस इकाई का अध्ययन कर लेने के बाद आप सक्षम होंगेः

- भारतीय संदर्भ में उद्यमिता की परिभाषा करने में;
- भारत में उद्यमियों के रूप में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने में;
- भारत में महिला उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं की विवेचना करने में;
- भारतीय तथा वैश्विक दृष्टान्त अध्ययनों (केस स्ट्डी) के जरिये महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने में; और
- महिला उद्यमियों के विकास हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं इसकी व्याख्या करने में।

18-3 m|ferk ;k m|eo`fÙk dh vo/kkj.kk

उद्यमवृत्ति राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। कोई देश उद्यमवृत्ति के बिना विकास के उच्चतर स्तरों को नहीं प्राप्त कर सकता है। यह उत्प्रेरक शक्ति है जो पहल, नवप्रवर्तन, सम्पदा के संचय एवं वितरण द्वारा को प्रोत्साहित करके आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाती है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों में उद्यमिता विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस इकाई का लक्ष्य उद्यमवृत्ति, भारत में उद्यमकर्त्ता के रूप में महिलाओं की दशा, और लद्युवित्त संस्थाओं तथा स्वावलम्बन समूहों में महिलाएं, और भारत में उद्यमकर्त्ता के रूप में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और साथ ही मौटे तौर पर निगरानी/अनुवीक्षण (या मोनीटरिंग) कार्यनीतियों, की व्याख्या करना है।

> शब्द 'उद्यमकर्त्ता' (या उद्यमी) फ्रांसिसी शब्द ''आन्त्रप्रान्द्र'' से लिया गया है जिसका अर्थ है सांगीतिक अथवा अन्य मनोरंजन का आयोजक। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में भी इस शब्द को लोक सांगीतिक संस्था के प्रबन्धक या निर्देशक के रूप में परिभाषित किया गया है। श्री ए.एच.कोल के मतानुसार, उद्यमवृत्ति एक व्यक्ति या सम्बन्धित व्यक्तियों के समूह की सोद्देश्यपूर्ण क्रिया है, जो आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन या वितरण द्वारा लाभ प्रारम्भ करने, उसे बनाए रखने अथवा अधिवर्धन करने के लिये सम्पन्न की जाती है।''

शुम्पीटर के अनुसार, ''उद्यमवृत्ति सोद्देश्य तथा व्यवस्थित नवप्रवर्तन पर आधारित है। यह न केवल स्वतन्त्र व्यवसायी परन्तु कम्पनी निर्देशक तथा प्रबन्धकों जो वास्तव में नवोन्मेशी कार्य सम्पन्न करते हैं को भी समाविष्ट करता है।'' डेविड एच. होल्ड का मानना है,

''उद्यमकर्त्ता नूतन वस्तु प्रदान करने के लिए या पुरानी वस्तु को नए तरीके से प्रदान करने के लिए अविष्कार की गई वस्तु या अपरीक्षित प्रौद्योगिकीय संभाविता का दोहन करके, वस्तु की आपूर्ति का नूतन स्रोत या नूतन बिक्री स्थान, उपलब्ध कराके, उत्पादन के प्रतिमान (पैटर्न) को संशोधित या उसमें आमूल परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। इसमें अनिवार्य तौर पर वो सब करना शामिल रहता है जो कि साधारणतया व्यवसाय के दौरान नहीं होता है।''

यूनाइटेड स्टेट्स में उद्यमवृत्ति पर हुए सम्मेलन में, 'उद्यमिता' शब्द को इस रूप में परिभाषित किया गया, ''उद्यमवृति व्यापार के अवसर की पहचान और अवसर के उपयुक्त जोखिम लेने के प्रबन्धन के नरिये उपादेयता उत्पन्न करने की कोशिश है, और परियोजना को पूर्णता तक लाने हेतु आवश्यक मानव, वित्तीय एवं भौतिक संसाधन जुटाने के लिये सम्प्रेषण तथा प्रबन्धन कौशलों के जरिये उत्पन्न करने की कोशिश है।''

> आई एल ओ (1982) परिभाषित करता है कि ''उद्यमकर्त्ता वे लोग हैं जिनमें कारोबार के अवसरों को जानने एवं उसका मूल्यांकन करने की; उनका फायदा उठाने के लिये आवश्यक संसाधन एकत्रित करने की; और सफलताएं सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त कार्रवाई प्रारम्भ करने की योग्यता है।''

18-4 efgyk m|eh

भारतीय सरकार ने महिला उद्यमियों को, कारोबार उद्यमकर्त्ताओं की समता (इक्विटी) तथा रोजगार में महिलाओं की प्रतिभागिता के आधार पर परिभाषित किया है। तदानुसार, एक महिला के उद्यम को ''महिला के निजी स्वामित्व में तथा उसके द्वारा नियन्त्रित, उद्यम के रूप में परिभाषित किया है''। जिसमें पूंजी का 51 प्रतिशत का न्यूनतम वित्तीय ब्याज रखते हुए और उद्यम में सृजित रोजगार का कम से कम 51 प्रतिशत महिलाओं को दिया जाता है''। उद्यम में सृजित रोजगार का कम से कम 51 प्रतिशत महिलाओं को देने की धारा वर्ष 1891 में समाप्त कर दी गई थी।

एक सफल उद्यमकर्त्ता बनने के लिये, महिलाओं को नव उद्यम प्रारम्भ करने, जोखिम लेने नव प्रवर्तन शुरू करवाने, प्रशासन समन्वित करने, कारोबार को संचालित करने तथा कारोबार के सभी पहलूओं में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने की संभावनाओं की, छानबीन करनी चाहिये। ''आज, महिला उद्यमी, महिलाओं के ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने घिसी पिटी रीतियों से नाता तोड़ लिया है और आर्थिक प्रतिभागिता के नूतन मार्गों की खोजबीन कर रही हैं। महिला उद्यमिता एक प्रक्रिया है जहां महिलाएं आगे रहती हैं और कारोबार या उद्योग को संगठित करके दूसरों को रोजगार प्रदान करती हैं। जो महिलाएं उच्च प्रेरणा, सृजनात्मकता, नवप्रवर्तनों तथा उपलब्धियों की इच्छाओं से सम्पन्न होती हैं वे उद्यमिता की चुनौतीपूर्ण भूमिका की जिम्मेदारी उठाती हैं।''

विश्व भर में, अपना खुद का व्यवसाय प्रारम्भ करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पश्चिम में, महिलाएं उस ''कांच की छत (ग्लास सीलिंग) या भंगुर उच्चतम सीमा का सामना करने के तरीके के रूप में उद्यमिता की ओर अधिकाधिक बढ़ रही हैं जो कि उन्हें संगठनों में सबसें ऊंचे प्रबन्धकीय पदों पर पहुँचने से रोकती है। उन्होंने पाया कि उद्यमिता उन्हें वृहदतर सन्तोष तथा लचीलापन प्रदान करती है। ''उच्च शिक्षा से सम्पन्न महिलाएं उद्यमिता को एक चुनौती के रूप में देखती है, जबकि वो महिलाएं जिन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है उद्यमिता को धन कमाने का मात्र एक माध्यम समझती हैं।

महिलाओं के बीच उद्यमिता उतनी ही प्राचीन है जितनी कि महिलाएं स्वयं। यह सर्वविदित तथ्य है कि महिलाएं डेरी, रसोई बागवानी, मुर्गी पालन, दर्जी आदि का काम करके

पारिवारिक आय की भरपाई करती है। स्त्रियों में प्रायः अनुकूलन, धैर्य तथा विश्वसनीयता की क्षमताएं होती है– जो सफलता प्राप्त करने के तीन अनिवार्य तत्व हैं। शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारत में महिलाओं की स्थिति बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण तथा नगरीयकरण, स्थानिक गतिशीलता और सामाजिक बाध्यताओं के कारण बदलती जा रही है। ''शिक्षा तथा जागरूकता के प्रसार के साथ महिलाएं रसोई, हस्तशिल्प तथा पारम्परिक कुटीर उद्योगों से गैर–पारम्परिक गतिविधियों की ओर चली गई हैं जो कि ज्यादा उच्च दर्जा प्रदान करती हैं और ज्यादा आमदनी सृजित करने में सक्षम हैं। सरकार ने भी महिलाओं के लिये विशेष उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है जिससे कि महिलाएं अपने खुद के उद्यम प्रारम्भ करने में सक्षम बन सकें। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों ने भी महिला उद्यमकर्त्ताओं की सहायता के लिये विशेष केन्द्र (cells) स्थापित किए हैं।''

महिला उद्यमियों के आविर्भाव को स्त्रियों के सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए। कारोबार तथा उद्यमिता की दुनियां में महिलाओं का यह आगमन शुभ संकेत है, जिसे सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्यमकर्त्ता की कार्य अनुसूची की नम्यता/लचक और घर से कार्य करने की संभाविता महिला–संचालित उद्यमों की व्यवहार्यता को बढ़ाती है।

18-5 Hkkjr esa efgyk m|ed`Ùkk

भारत में स्वतन्त्रता उत्तरोत्तर काल के दौरान हुए औद्योगिकीकरण ने गृह उद्योगों जैसे कि बुनाई, जूट बनाना, पापड़ बनाना इत्यादि का हिस्सा कम कर दिया है। इन उद्योगों के यांत्रिकीकरण ने भारत के सभी भागों में महिलाओं को विस्थापित किया है। इससे महिलाओं के बीच बेरोजगारी एवं गरीबी की परिसीमा में वृद्धि हुई है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन के कारण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी की सीमा में वृद्धि हुई है। इसलिए महिलाओं के लियें रोजगार अवसरों को बढा़ना आवश्यक समझा गया, जिससे कि नौकरी की तलाश करने वाली यह महिलाएं लाभकर रोजगार पा सकें। हाल ही के दशकों में देश में बहुत बड़े परिवर्तन आएं हैं और संवृद्धि की उच्च दरें शिक्षा तथा प्रशिक्षण की वर्द्धित सुविधाएं, नव आर्थिक नीति, सरकार के सकारात्मक रवैइया का, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण सुविधाओं, बदलते सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक वातावरण देखने को मिले जिसने महिलाओं को उद्यम सम्बन्धी गतिविधियां अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

1970 के दशक के प्रारम्भ में जिन महिलाओं ने उद्यम सम्बन्धी गतिविधियों को अपनाया वे मुख्यतः पारम्परिक वस्तुएं जैसे हस्तशिल्प, खाद्य प्रंसस्करण (प्रोससिंग) और खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जुड़ी थी। औद्येगिक उद्यमकर्त्ता के रूप में महिलाओं की सहभागिता तुलनात्मक रूप से हाल ही की घटना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा के पश्चात वर्ष 1875 में महिला उद्यमकर्त्ताओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं जोखिम उठा रहीं हैं और प्रत्येक उद्योग में प्रवेश कर रहीं हैं और अपने पुरुष प्रतिपक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहीं हैं। वे एकनिष्ठा से नूतन तथा नवोन्मेशी तरीकों की खोज में लगी है जो कि शक्तिशाली आर्थिक प्रतिभागिता की ओर प्रवत्त करते हैं। उनकी निपुणता, कौशल और ज्ञान, कारोबार में कुशाग्रता और कुछ सकारात्मक करने की इच्छा इत्यादि कुछ कारण हैं जिससे महिला संगठित उद्योगों को स्थापित तथा संचालित कर रहीं हैं और चुनौतिपूर्ण साहसिक कार्य कर रहीं हैं।

भारत में अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में महिलाओं के सम्बन्ध में नीतिगत परिप्रेक्ष्यों में

असाधारण उछाल देखा गया। राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) जो महिलाओं और भारत में विकास के लिये समग्र सर्वतोमुखी परियोजना है। और स्वनियोजित महिलाओं तथा अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग ने जन्म लिया। ''श्रम शक्ति'' रिपोर्ट ने भी इस बात पर बल दिया कि जिन महिलाओं में कौशल हैं और जो शिक्षित, साक्षर, और जिन्हें उद्यम का बोध है उन्हें स्व रोजगार कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति ने महिला उद्यमकर्त्ताओं की सहायतार्थ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावना पर विचार किया। तदानुसार केन्द्रीय एवं राजकीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संस्थानों तथा संगठनों द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिये महिला उद्यमकर्त्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं है। भारत में आई.डी.बी.आई. महिला उद्यमिता विकास का एक बड़ा संवर्धक है। वर्ष 1986 में उसने महिलाओं के लिये एक विशेष योजना, ''एस.आई.डी.ओ.'' (सीडो या लघु उद्योग विकास संगठन) प्रारम्भ की। 1978–88 के दौरान, उसने केवल महिलाओं के लिये 258 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए, और इस तरह 9000 से ज्यादा संभावित महिला उद्यमकर्त्ताओं को लाभन्वित किया। वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (दी नेशनल साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी आंत्रप्रीन्योरशिप डेवलेपमेंट बोर्ड) उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रत्याभूति देता है। इनमें से बहुत से कार्यक्रम केवल उन संभावित योग्य महिला उद्यमकर्त्ताओं के लिये हैं जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी स्नातक हैं। वर्ष 1991 में, लघु पैमाने के उद्योग बोर्ड ने महिला उद्यमकर्त्ताओं द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमों में 50% महिला कार्मिकों को विनियोजित करने की शर्तें समाप्त कर दी। इसने महिला उद्यमकर्त्ताओं को व्यवसाय/कारोबार शुरू करने और उन सुविधाओं का लाभ लेने में सहायता की जो समस्त एस.एस.आई.स, (लघु पैमाने के उद्योगों) में अनुप्रयुक्त की जा सकती हैं।

बचत क्लब तथा शवाधान/दफन (बरिअल सोसाइटीस) इनमें समाविष्ट हैं। 1900 के दशक में युरोप में विभिन्न प्रकार की ज्यादा बड़ी तथा ज्यादा औपचारिक बचत एवं ऋण संस्थाओं का उदभव होने लगा, जो मुख्यतः ग्रमीण तथा शहरी गरीबों के बीच संगठित की जाती थी। ये संस्थाएं पीपल्स बैंक, क्रेडिट यूनियन्स (ऋण संघ) और सेविंग्स तथा क्रेडिट कोपेरेटिव्स (बचत एवं ऋण सहकारी संस्थाओं) के नाम से जानी जाती थी। रायफिसेन बैंक और अन्य बचत एवं ऋण सहकारी संस्थाएं जो उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में प्रकट हुई किसानों तथा शिल्पकारों की आवश्यकता पूरी करने का कार्य करती थी। वे लघुवित्त संस्थाएं थी परन्तु केवल नाम से। इंडोनेशिया में, लघुवित्त आन्दोलन की अन्य ध्वजपताका इंडोनेशियन पीपल्स क्रेडिट बैंक्रस या दी बैंक पर्करेडिटान रक्यात (बी. पी.आर) की ग्रामीण बैंकिग इकाई प्रणाली है। यह बैंक 1995 में प्रारम्भ हुआ था। विकासशील देशों में यह सबसे बड़ी लघुवित संस्था है। यह राजकीय बैंक, स्वचालित रूप से संचालित लघु बैंकों के साथ मिलकर 220 लाख या 22 मिलियन लघु बचत कर्त्ताओं के लिए कार्य करता था। बी.पी.आर. के लघुबैंक, 1980 के दशक के मध्य के दौरान राज्य द्वारा राजकीय कृषि बैंकों के सफल रूपान्तरण का परिणाम है। 1950 और 1970 के दशक के बीच, सरकारों तथा दाताओं (दान देने वाले) ने इस आशा में छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित किया, कि आर्थिक सहायता या इमदादी दरों पर उत्पादकता, आय तथा ऋण में बढ़ौतरी होगी। 1970 के दशक में, बंगलादेश, ब्राजील, और कुछ अन्य देशों में प्रायोगिक कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब महिलाओं के समूहों को लघु व्यवसाय में निवेश करने के लिये छोटी मात्रा के ऋण प्रदान किये गए। इस प्रकार का लघु उद्यम ऋण, भाईचारा समूह उधार पर आधारित था जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य सभी सदस्यों को ऋण की चुकौती की गारन्टी करता था। इन लघु उद्यम

ऋण कार्यक्रमों का करीब–करीब अनन्य फोकस अत्यन्त गरीब उधारियों (प्रायः महिलाएं) को आय सर्जनकारी गतिविधियों के लिए ऋण देना हुआ करता था।

ckèk i:'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. भारत में महिलाओं के लिये उद्यमवृत्ति का विकास करने की आवश्यकता का लगभग 100 शब्दों में वर्णन करें।

....

....

....

....

18-6 m|e fodkl vkj y?kfoÙk

लघुवित्त कोई नई अवधारणा नहीं है। शताब्दियों से कार्य कर रहे बचत और ऋण समूहों में घाना के ''सुसुस,'' भारत में ''चिटफंड्स,'' मैक्सिको में ''तांडास,'' इंडोनेशिया में ''अरिसान,'' श्रीलंका में ''चीतू,'' पश्चिमी अफ्रीका में ''टोनटाइनस,'' और बोलिविया में ''पासानाकु'', और साथ ही साथ विश्वभर में पाए जाने वाले बहुत से करता था।

वर्ष 1972 में, स्वनियोजित महिला संघ (SEWA) गुजरात (भारत) में श्रम संघ के रूप में पंजीकृत हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था, ''अपने सदस्यों का सौदा तय करने की शक्ति को मजबूत करना जिससे आय, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच उन्नत हो सकें। वर्ष 1973 में सेवा (SEWA) के सदस्यों ने वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के अपने अभाव को दूर करने के लिए ''अपना खुद का बैंक'' स्थापित करने का निर्णय किया। महिला सेवा सहकारी बैंक स्थापित करने के लिये चार हजार महिलाओं ने अंशपूंजी का योगदान किया। तब से, यह बैंक गरीब, निरक्षर, स्वनियोजित महिलाओं को बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बंगलादेश में, प्रोफेसर मौहम्मद युनुस ने गरीबों की बैंकिंग समस्या का समाधान क्रियात्मक शोध कार्यक्रम के जरिये किया। उन्होंने चिटागाँव विश्वविद्यालय में अपने स्नातक विद्यार्थियों के साथ मिल कर, वर्ष 1976 में, उनके लिये कार्य करने हेतु प्रयोगात्मक ऋण कार्यक्रम तैयार किया। यह शीघ्रता से सैकड़ों गांवो में फैल गया। ग्रामीण बैंकों के साथ विशेष सम्बन्ध के जरिये, उन्होंने हजारों ऋण दिए और वसूल किये, परन्तु बैकरों ने मार्गदर्शी चरण के अन्त में परियोजना की जिम्मेदारी उठाने से इन्कार कर दिया। उन्हें आशंका थी कि यह अत्यन्त महंगा और उसकी सफलता के बावजूद जोखिमपूर्ण है। अंतता, दाताओं की सहायता के जरिये 1983 में ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया और अब यह 40 लाख (4 मिलियन) उधारियों से ज्यादा के लिये कार्य करता है।

1980 के दशक के दौरान, जब निर्देशित ऋण कार्यक्रम की निराशाजनक निष्पादन के प्रमाण बहुत बढ़ गये, जो आर्थिक सहायता प्राप्त ग्रामीण ऋण को अविश्वास से देखा जाने लगा विशेष रूप से बहुत कम ऋण वसूली, उच्च प्रशासनिक लागतें, कृषि विकास बैंक का दिवाला, और बड़े किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण के लाभों का

अनानुपातिक भाग मिलना इत्यादि। परन्तु 1990 के दशक में दो विशेषताओं–उच्च चुकौती और लागत वसूली की ब्याज दरों– ने कुछ लघु वित्त संस्थाओं को दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त करने दिया और ग्राहकों की बड़ी संख्या तक पहुँचने दिया। 1990 के दशक में गरीबी उन्मूलन की कार्य नीति के रूप में लघुवित्त बढ़ाने के लिये उत्साह बढ़ता दिखाई दिया। लघुवित्त क्षेत्र बहुत से देशों में विकास की चरमसीमा पर पहुँच गया जिससे बहु वित्तीय सेवा फर्में लघु उद्यमकर्त्ताओं तथा गरीब परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगी। तथापि ये लाभ शहरी एवं घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित होने लगे।

लघुवित्त को जो बात पारंपरिक वित्त से भिन्न ठहराती है वो उन गरीब लोगों के लिये कार्य करने का दावा है। आमतौर पर गरीब लोग औपचारिक वित्तीय बाजार की पहुँच से बाहर होते हैं, परन्तु संवहनीय भी बने रहते हैं। लघुवित्त, बिना संवहनीय आर्थिक सहायता के, गरीबी कम करने का वायदा करता है। लघुवित्त, मुख्य रूप से विकासशील देशों में गरीबी कम करने से सम्बन्धित है, और पिछले 15 वर्षों से विश्व के प्रत्येक भाग में योजनाओं, कार्यक्रमों तथा सरकारी नीतियों के साथ वैश्विक बन गया है। करीब–करीब 90 देशों में लघुवित्त संस्थाएं हैं जिनका लेटिन अमेरिका तथा एशिया में तुलनात्मक रूप से केन्द्रीकरण है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा, मार्च 2002)। ये समाजिक कल्याण उपलब्ध कराने के लिये बाजार का इस्तेमाल करने का वायदा करता है। लघु वित्त के सामाजिक आर्थिक लाभ तीन गुना है– नौकरियों का सृजन, गरीबी में कमी तथा सशक्तिकरण। महिला उद्यमी लघु–उद्यम को आकर्षक समझती है क्योंकि इसमें प्रवेश के सम्बन्धी रूकावटें कम हैं और कार्य लचीली प्रकृति का है जिस कारण लाभदेय रोजगार के साथ–साथ घरेलु जिम्मेदारी उठाना सुगम हो जाता है। यद्यपि महिलाएं पारम्परिक गतिविधियों (हस्त करघा, ऊन की बुनाई और कढ़ाई, जैम, जैली और आचार बनाना) और गैर–पारम्परिक गतिविधियों जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, खान–पान प्रबन्ध सेवाएं (केटरिंग सर्विसिस), पर्यटन एवं यात्रा, ब्यूटी पार्लर, इत्यादि दोनों को अपना रहीं हैं। परन्तु समाज अभी भी कारोबार तथा उद्योग में महिला उद्यमियों के बारे में विभिन्न प्रकार की गलत धारणाओं, आशंकाओं और शंकाओं से ग्रस्त रहता है। और इसी कारण ही वित्तीय संस्थाएं, औद्याोगिक उद्यम स्थापित करने में महिलाओं की योग्यता के बारे में संदिग्ध रहती हैं। इस अवस्था पर लघुवित्त संस्थाएं उनकी रक्षा के लिये आगे आती है।

आज, लघुवित्त उद्योग और वृहदत्तर समुदाय इस विचार पर एकमत हैं कि गरीबी में स्थायी रूप से कमी के लिये गरीबी के बहुमुखी आयामों को ठीक करने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये, इसका अर्थ शिक्षा, स्त्रियों के सशक्तिकरण, और स्वास्थ्य में विशेष सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। लघुवित्त के लिये, इसका अर्थ किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था में लघुवित्त को एक अनिवार्य तत्व के रूप में देखना है।

18-7 y?kfoÙk] LokoyEcu leg vkj efgyk,¡

स्वावलम्बन समूहों के जरिये लघुवित्त की पद्धति, महिलाओं को समूहों में संगठित करने और बचत एवं मितव्ययिता की आदतों को बढ़ा देने का अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय है। इससे महिलाएं अपने सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सशक्तिकरण हेतु सांस्थानिक ऋण लेने में सफल हो पाएंगी। समूह बनाने, अनविरत ढ़ंग से कार्य करने, आर्थिक संसाधनों को विनियमित करने, और पारम्परिक रूप से जवाबदेय होने की पूरी प्रक्रिया की स्वयं में ही सशक्तिकरणीय रूप में कल्पना की जाती है। लघुवित्त संस्थाएं महिलाओं की बड़ी संख्या तक पहुँचती है। लघुवित्त के कुल ग्राहकों में से लेटिन अमेरिका में 73 प्रतिशत, अफ्रीका में 70 प्रतिशत और एशिया में 88 प्रतिशत महिला ग्राहक है। लघु–ऋण न केवल समूह

गठन के जरिये महिलाओं को सशक्त करते है परन्तु परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि पर भी वे लाभकारी प्रभाव डालते हैं। शोध ने दर्शाया है कि लघु–ऋण से उपार्जित प्रत्येक डॉलर के लिये, पुरुष कर्जदार भोजन, स्वास्थ्य तथा बच्चे की शिक्षा पर 47 सैंटस खर्च करेगा, जबकि महिला 84 सैट्स खर्च करेगी।

भारत में कई संगठनों द्वारा महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक समोन्नति को संयुक्त करने के प्रयत्न किये गये है। उदाहरण के लिये स्वैच्छिक क्षेत्र में स्वनियोजित महिला संघ (सेल्फ–एम्पलॉयड वूमेनस एसोसिएशन (SEWA), स्त्री मुक्ति संगठन का परिसर विकास (मुम्बाई), मासूम (पूना), शक्ति (बंगलौर), मान देशी महिला सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) और सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटका एवं गुजरात में महिला साम्ख्य कार्यक्रम महाराष्ट्र में मोविम और केरल में कुटुम्बाश्री लघुवित्त में महिलाओं के नेतृत्व के लिये जिम्मेदार रहे हैं।

18-8 dsl LVMh ¼n"VkUr vè;;u½

हम प्रो. विभूति पटेल द्वारा गैर सरकारी संगठनों पर की गई दो केस स्ट्ड़ीस नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संगठन स्वालम्बन समूहों के जरिये महिलाओं को लघुवित्त प्रदान करते हैं। और आगे यह स्ट्डीस, गरीब एवं वंचित महिलाओं को सशक्त करने में उनकी भूमिका का उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे।

18-8-1 'kfDr] cxykj dk n"VkUr vè;;u ¼dsl LVMh½

जब उन समुदायों जहां शक्ति काम करती थी में स्त्रियों का जीवन नव–उदारवादी समष्टि आर्थिक नीति के कारण तथा कर्नाटका में सूखे के कारण से विपदाग्रस्त बन गया, तो महिला अधिकार समूह (वूमेनस राइट्स ग्रुप), शक्ति ने बंगलौर जिले में गरीब स्त्रियों में भी सबसे गरीब के बीच महिला स्वावलम्बन समूह के निर्माण के जरिये सुरक्षा जाल प्रदान करने का निर्णय किया। वर्ष 1998–2000 के दौरान, शक्ति ने 128 गांवों में गरीब, अभाव ग्रस्त विधवा, एकल एवं परित्यक्त और हाशियाकृत महिलाओं के बीच 317 महिला स्वावलम्बन समूह गठित किये।

बंगलौर में, ग्रामीण बाजारों में तैयार (रेडीमेड) विदेशी वस्तुओं के अतिक्रमण के कारण, बहुत से स्थानीय शिल्पकार अपनी जीविका खो बैठे थे। प्लास्टिक के बर्तनों के आगमन से स्थानीय कुम्हार बेरोजगार हो गए थे। उदाहरण के लिये, स्थानीय चटाई निर्माता तथा बढ़ाई कठिनाई का सामना कर रहे थे और उनकी जीविका खतरे में थी क्योंकि उनकी वस्तुए प्लास्टिक तथा अन्य मशीन–निर्मित उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित हो रहीं थी। शक्ति द्वारा सहायता प्राप्त महिला स्वावलम्बन समूहों ने महिलाओं को नूतन उद्यम जैसे कि शहतूत की खेती, रेशम कीड़ा पालन, डेरी विकास के लिये ऋण देना शुरू कर दिया। प्रारम्भ में, अधिकांश महिला स्वावलम्बन समूह प्रतिमाह 5% की दर से ब्याज ले रहे थे। धीरे–धीरे, धन की काफी रकम जमा होने के पश्चात् ब्याज की दर घटा कर 3% से 2% कर दी गई। बहुत सी महिलाओं ने सभाओं में अपना मत व्यक्त किया कि ब्याज का भार अत्याधिक है। महिलाएं बच्चों की शिक्षा, छोटे व्यवसाय और स्वास्थ्य सेवाओं एवं विवाहों का खर्च पूरा करने के लिये ऋण ले रही थी। सदस्यों ने महसूस किया कि जिन महिला स्वावलम्बन समूहों ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किए हैं उन्हें ब्याज की दर घटा कर 1.5% कर देना चाहिए।

वर्ष 2006 में, शक्ति महिला स्वावलम्बन समूह बहुत सी लघुवित्त संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंको से सहायता प्राप्त करते थे। मैसूर स्टेट बैंक, विजय बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, जिला ऋण सहकारी बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण कल्पतरु, इत्यादि महिला स्वावलम्बन समूहों को ऋण प्रदान कर रहे थें। ब्रिज फाऊंडेशन 13.5% ब्याज की दर ले रहा था जो कि बहुत अधिक पाया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक 9% और सहकारी बैंक 12% ब्याज की दर ले रहे थे।

कर्नाटका शहरी बुनियादी ढ़ांचा विकास वित्त निगम (कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट फाइनेंस कोरपोरेशन (के.यू.आई.डी.एफ.सी.) विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त करता है। क्योंकि उनके कार्यक्रमों में सामाजिक/विकास/जेंडर के महत्वपूर्ण अंग है, उन्हें इससे मेलित अनुदान निम्न–लागत के शौचालयों के निर्माण हेतु दिया जाता था। शक्ति की निरीक्षणात्मक भूमिका थी। इसके अतिरिक्त, शक्ति को नेतृत्व, स्वास्थ्य तथा जेंडर प्रशिक्षण संचालित करने के लिये भी कहा गया था। कर्नाटका निगम (के.यू.आई.डी.एफ.सी.) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से, शक्ति ने शहरी मलिन बस्तियों में 77 स्वावलम्बन समूह गठित किये, जिनमें से गरीब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा 44 महिला स्वावलम्बन समूह गणित किए गये थे। और 50 स्वावलंबन समूहों में प्रत्येक को पांच हजार रुपये का चक्रदार निधि दिया गया और 20 स्वावलम्बन समूहों को प्रत्येक को 20,000 रुपये का चक्रदार निधि दिया गया।

18-8-2 ekl e **(masum),** iuk dk dsl LVMh

मासूम ने, ग्रामीण महिलाओं के लिये बचत एवं ऋण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये वर्ष 1997 में जिला पूना के पार्नेर खण्ड में महिलाओं के स्वावलम्बन समूह बनाए। उसका उद्देश्य था – ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्म–निर्भरता मजबूत करने, ऋण की गम्यता सृजित करके महिलाओं को सशक्त करना और धीरे–धीरे अपना खुद का रिसोर्स बेस (आधार) निर्मित करने के लिये उन्हें प्रेरित करना। मासूम के कार्यक्रम जैसे महिला रिसोर्स विकास कार्यक्रम (WRDC) और बचत गत कार्यक्रम का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मासूम मुद्रा में लेनदेन सुलभ करने के लिये स्वावलम्बन समूह बनाता है, बचत खाता रखने और उसे चलाने के विवरण से सम्बन्धित मामलों पर स्वावलम्बन समूहों (स्वा.स./SHGs) के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देता है और उनका चयन भी करता है।

Ekkl e dk efgyk fjl kl fodkl dk;Øe **(WRDC/**oeu l fjl kl Moyiesv ikxke**)**

वर्ष 1991 में यह कार्यक्रम माल शिरास तथा मावढ़ी गांवो में शुरू किया गया। यह बंगलादेश ग्रामीण बैंक के नमूने के अनुरूप बनाया गया। इस समय इसके 5000 सदस्य हैं और यह 18 गांवो में फैला हुआ है। इस कार्यक्रम में जो कि महिलाओं के लिये है, एक समान पड़ोस से 6 से 10 महिलाएं समूह बनाती है और "स्त्रीधन" की सदस्य बन जाती हैं। प्रत्येक समूह का नाम होता है जो समूह ही स्वयं चयन करता है और अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव भी करता है। महिलाओं को एक माह में कम से कम 10 रुपयों की बचत करनी पड़ती है। इन बचतों पर प्रतिवर्ष 5% का ब्याज मिलता है और सदस्य किसी भी समयबिन्दु पर अपनी बचत से पैसा निकाल सकता है। महिलाओं को रु.1000/- का ऋण लेने की योग्यता हेतु, तीन महीनों के लिये बचत करनी पड़ती है। इस राशि में अनुवर्ती वर्षों में वृद्धि हुई है। ऋण 12% की निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध होता है अऔर बिना किसी जमानत के केवल 2 सदस्यों को प्रत्याभूतिदाता (गारंटॅर) के रूप में हस्ताक्षर करने होते हैं। रु. 10,000/- या ज्यादा बड़ी राशि के ऋण, उत्पादन के उदे्श्यों के लिये मिलते हैं पर ये केवल उन सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्होंने तीन वर्षों के लिये पैसा बचाया है और जिनका ऋण रिकॉर्ड अच्छा है। प्रारम्भिक ऋण की राशि को जानबूझ कर कम रखा गया है ताकि महिलाएं धनकोश की भलीभांति से संभाल कर सके

और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पुरुषों को योजना/स्कीम में अनुचित दिलचस्पी रखने से रोका जा सके।

प्रत्येक माह निश्चित तिथि को पड़ोस में ही समूह की सभाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक गांव में दो स्थानीय महिलाएं समूह की सभाएं सूकर बनाती हैं। समूह के सदस्य मासिक सभाओं में इस बात का फैसला करते हैं कि किसे ऋण मिलना चाहिए। सभी मौद्रिक लेनदेन जैसे कि ऋण का वितरण, रसीदें प्रदान करना तथा पासबुक में समस्त प्रविष्टियां मीटिंग के दौरान करी जाती हैं। समूह सभाओं को विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर जानकारी फैलाने के लिये भी उपयोग किया जाता है।

cpr xr ¼efgyk LokoyEcu cpr leg½

मासूम ने वर्ष 1997 में पारनेर खंड में स्वावलम्बन समूह बनाना प्रारम्भ किया था। इसका उद्देश्य यह था कि सदस्यों की अपनी आमदनी से पैसा बचत करने की प्रक्रिया के दौरान वे एक दूसरे के साथ स्वतन्त्र रूप से परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया कर सकें। वर्तमान समय में इसके 800 सदस्य हैं और यह 8 गांवों में फैला है।

जब 15–20 महिलाएं समूह बनाने के लिये एकजुट हो जाती है तो स्वावलम्बन समूह गठित किया जाता है, वो अपने बीच से कार्यकर्त्ताओं (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) को चुनती हैं और समूह के नाम पर खाता खोलती हैं। मासूम स्वावलम्बन समूहों के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षितत करता है ताकि वे समूह के सब सदस्यों के वैयक्तिक फॉर्म उनकी पासबुकों को ठीक से भर कर रख सकें। दो वर्ष पूरे हो जाने के बाद ये समूह बैंक से ऋण लेने का हकदार बन जाता है। इस बीच यदि आवश्यकता हो, तो समूह अपनी खुद की संचित बचत आन्तरिक उधार का सहारा लेता है और कभी–कभी मासूम भी बैंक के अनुरूप शर्तों तथा स्थितियों के आधार पर समूह का पैसा उधार देता है। और समूह फिर इस पैसे को अपने सदस्यों को प्रति माह 2% की ब्याज दर पर उधार देता है। सामान्यतया 10,000 रुपये की राशि तक का ऋण अलग–अलग सदस्य को दिया जाता है। और बचतों की जो राशि बैंको में जमा की जाती है उस पर बैंकों की प्रचलित दर पर ब्याज प्राप्त होता है।

ये समूह बचत, चुकौती (ऋण की वापसी) और नूतन ऋण आदि के विभिन्न लेनदेन पूरा करने के लिये महिने में एक बार मिलते हैं। वे पासबुक और बही की प्रविश्टियों का कार्य तथा अपने समूहों का खाता संभालने में सक्षम होते है। मासिक सभाएं जानकारी का प्रसार करने तथा समाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती हैं।

18-8-3 y?kfoÙk dk leFku ea HkkeMyh; vkuHkkfod lk{;

बहुत से शोधकर्त्ताओं द्वारा वैश्विक दस्तावेजों द्वारा लघुवित्त का सशक्तकारी प्रभाव सिद्ध किया जा चुका है। हाश्मी (2004) ने लघुवित्तीय गतिविधियों के लिये प्रबल स्थिति बनाते हुए, लघुवित्त के पक्ष में निम्नलिखित आनुभविक साक्ष्यों के उद्धरण दिये है :

1) जिंम्बाबवे में ग्राहक लोग बढ़ती खाद्य लागतों की स्थिति में उपभोग का स्तर बना कर रख सके थे। अनुभव दर्शाता है कि यदि ग्राहक इस कार्यक्रम के साथ ज्यादा लम्बे समय तक रहता है तो गरीबी उन्मूलन का यह प्रभाव तीव्र हो जाता है और इस तरह से कार्यक्रम में (इस विस्तार) शामिल होने के लाभ पुनर्बलित होते हैं।

2) बोलिविया में क्रेडिटो कोन एजुकेशन सरल (CRECER) ने पाया कि उसके दो–तिहाई ग्राहकों की आय उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद बढ़ गई थी।

3) ब्राक या बी.आर.ए.सी. (बंगलादेश सरल एडवांसमेंट कमेटी) के ग्राहक जो कार्यक्रम में चार वर्षों से अधिक सम्मिलित रहे उन्होंने अपना परिवारिक खर्चा 28 प्रतिशत बढ़ा दिया और अपनी परिसम्पत्तियां 112 प्रतिशत बढ़ा दी थी।

4) भारत में शेयर (सोसाइटी फॉर हेल्पिंग अवेकनिंग रूरल पुअर थ्रू एजेकेशन या एस. एच.ए.आर.इ.) ने दस्तावेजों द्वारा सिद्ध किया है कि उसके जिन ग्राहकों ने लम्बे समय तक भागीदारी की है उनमें से 75 प्रतिशत अपने आर्थिक कल्याण में काफी सुधार देखा है।

5) गरीब लोग लघुवित्त से प्राप्त अपनी नव आमदनी को सर्वप्रथम अपनी बच्चों की शिक्षा में निवेश पर खर्च करते हैं। ब्राक (बंगलादेश सरल एजवांसमेंट कमेटी), सेवा (सेल्फ एम्पलॉयड वूमेनस एसोसिएशन) सेव दी चिलरन (हॉन्डुरास) ने दखा कि उनके ग्राहको के बच्चों का स्कूल जाना, स्कूलों में लम्बे समय तक रूकना और निम्न ड्रॉप आउट (स्कूल बीच में छोड़ देने की) दरों का होना ज्यादा संम्भावित हो गया था।

6) लघुवित्त सेवाओं तक जिन परिवारों की पहुँच थी उनका स्वास्थ्य उन परिवारों जिनकी पहुँच न थी से बेहतर था।

ckèk iz'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. कुछ संस्थाओं के नाम बताइये जो लघु–ऋण तथा स्वावलंबन समूहों के जरिये महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।

....

....

....

....

18-9 y?kqfoÙk lLFkkvk rFkk LokoyEcu legk dh lykgdkj dh Hkfedk

लघुवित्त पर यह अनुभाग प्रो. विभूति पटेल के कार्य से लिया गया है। लघुवित्तीय संस्थाओं ने संगठन के विकास, दक्ष शासन तथा मानव संसाधन विकास हेतु महिलाओं के नेतृत्व को उद्विकसित करने के लिये परामर्शदात्ता की कई पद्धतियों का उपयोग किया है। इन नवोन्मेशी पद्धतियों में से कुछ निम्नलिखित है :

18-9-1 ,Dlikstj fVi@in'ku Hke.k

महिला स्वावलम्बन समूह के अधिकांश सदस्य स्वावलम्बन समूहों के अन्य सफल प्रारूपों (मॉडल) से रूबरू द्वारा अत्याधिक जानकारी प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिये, शक्ति से कस्तूरी को गैर–पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कि मिस्त्री का काम और निर्माण कार्य में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण से प्रेरणा मिली। उसे ऐड्स जागरूकता, जेंडर प्रशिक्षण, कानूनी अधिकार और स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर कार्यशालाओं में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ।

18-9-2 0;kolkf;d i:f'k{k.k

महाराष्ट्र सरकार का महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM या मेविम), व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिये क्षमता निर्माण को अत्यन्त महत्व देता है। वह समूहों को बढ़ईगिरी, मुद्रण के कारोबार, मोटर वाइन्डिंग, साईकल की दुकान, धान की खरीद–बिक्री, चमड़े की वस्तुएं बनाना, बांसोशिल्पकला, बाल काटने के सेलून चलाना और मछली पालन इत्यादि के लिये बढ़ावा देता है (बाल सराफ, 2007)।

> ग्रामीण बंगलौर में यरहाली में शक्ति के महिला स्वावलम्बन समूह सदस्यों ने मांग की कि उन्हें एस.टी.डी. बूथ चलाने के लिये सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि उनके गांव में कोई बूथ न था। कर्नाटका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में महिला स्वावलम्बन समूह सदस्य पेट्रोल और डीज़ल तेल की कारोबारी, उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकान), रेडीमेंड कपड़े की दुकान और लेखन सामग्री की दुकानों के प्रबन्धन में और आटा चक्की चलाने, साबुन और धुलाई का पाउडर और साबुन बनाने और नीम का तेल निकालने एवं बिक्री में प्रशिक्षित किये जाते हैं।

18-9-3 fgrk d leL;kvk d ckj e tkx:drk dk l`tu

सामान्य तौर पर, स्वावलम्बन समूह दहेज का बंदोबस्त करने के लिये या लिंग चयनित गर्भपात इत्यादि के लिये ऋण नहीं देते है। और महिलाएं भी ऐसे महिला–विरोधी उद्देश्यों के लिये स्वावलम्बन समूहों के पास नहीं आती हैं क्योंकि शक्ति जैसी लघुवित्तीय संस्थाएं इन विषयों पर कई जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करती हैं। सिद्धांतन, शक्ति के महिला स्वावलम्बन (एस.एच.जी.) समूह ऐसे किसी भी लक्ष्य का समर्थन नहीं करती है जो स्त्रियों के हितों के लिये नुकसान देय हो। उदाहरण के लिये, स्त्री मुक्ति संगठन जो स्त्रियों के हितों के लिये समर्पित है, ने स्त्रियों और बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के लिये बहुत–सी श्रव्य–दृश्य सामग्री तैयार की है जैसे कि रंगमंच (उसका प्रसिद्ध नाटक 'मुल्गी जाली हो या बेटी आई है), गीत, सी.डी.सी., पोस्टर प्रदर्शनी इत्यादि। इन सभी को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के समय व्यापक रूप से उपयोग किया गया। जागरूकता कार्यक्रम जीवन के भिन्न पहलुओं जैसे समानता, ठोस कूड़ा प्रबन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा का महत्व, कार्य लोक वितरण प्रणाली, अत्याचार और सामुदायिक स्तर पर प्रभावपूर्ण अभिभावकता पर आयोजित किये गये।

18-9-4 iRuh fiVkb] f}&fookg iFkk rFkk vU; ifrc/kk d ekeyk e gLr{ki

ऐसे उदाहरण पाये गये हैं जहां स्वा. समूह सदस्यों ने वकील से संपर्क किया और एक पति को जो अपनी पत्नी को मारा करता था कानूनी नोटिस जारी किया। वह पत्नी स्वा. समूह के एक सदस्य की बेटी थी। इसी तरह से, जब कभी एक व्यक्ति की दो पत्नियों के बीच संघर्ष होता था। तो एक म. स्वा. समूह की सदस्य गांव के बुजुर्गों को हस्तक्षेप करने के लिए कहती थी उन्हें इस पर भी ध्यान देने को कहा गया था कि दोनों पत्नियां उसकी सम्पत्ति में से हिस्सा पाती है या नहीं। मु.स्वा.स. के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि वे पुरुषों पर आश्रित रहे बगैर ही ज्यादा गतिशील बन सकती हैं और लघुवित्त संस्थाओं द्वारा आयोजित आवासीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे किसी भी संकटमय स्थिति का सामना ज्यादा हिम्मत और विश्वास के साथ कर सकती हैं। एक म.स्वा. समूह सदस्या ने यह भी व्यक्त किया कि पहले वे अपने पतियों की आज्ञा को बिना सोचे–समझे मान रहीं थी परन्तु, अब वे अपनी बात पर दृढ़ रहती हैं। इसके अलावा, परिवार में उनका सम्मान किया जाता है क्योंकि वे परिवार के लिये आर्थिक योगदन कर रही हैं।

18-9-5 vuqoh{k.k ;k fuxjkuh fo|ky; ¼ekuhVfjax Ldwy½

शक्ति के महिला स्वावलम्बन समूह सदस्य विद्यालय विकास प्रबन्ध समिति (स्कूल डेवलेपमेंट मैंनेजिंग कमेटी SDMC) में भी सक्रिय हैं। एस.डी.एम.सी के एक सदस्य, नेत्रवती महिला संघ से कल्लमा ने बताया, ''हम ऊंध रहे अध्यापकों को जगा देते हैं, और अपराहन भोजन की गुणवत्ता और वितरण तथा शौचालयों की दशा की निगरानी करते हैं।''

18-9-6 cèkd Hkwfe NqM+okus esa lgk;rk

गुजरात के नर्मदा जिले में तिलकवाड़ा में विकल्प ने, सहभागी क्रियानिष्ठ शोध परियोजनाओं को उपकरण के रूप में उपयोग किया और स्वावलम्बन समूहों के जरिये ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। परियोजना ग्राम का विस्तृत बेस लाइन सर्वेक्षण करने के बाद, परियोजना ने छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा बन्धक रखी गई लगभग 31 एकड़ भूमि को पृथक किया। ये परिवार जो भूमि के कानूनी स्वामी थे वस्तुतः भूमिहीन बन गए थे क्योंकि वे लोग प्रच्छन काश्तकारी से जुड़े थे। परियोजना ने उन्हें अपनी बन्धक रखी भूमि को कुछ शर्तों के साथ वापस लेने के लिये स्वावलम्बन समूह संघ के जरिये चक्रदार कॉर्पस फंड (कार्य निधि) प्रदान किया।

18-9-7 lk;koj.kh; loguh;rk rFkk lkekftd l'kfDrdj.k

स्त्री मुक्ति संगठन ने परिसर भागिनियों (वातावरण बहिनें) को जैव खाद बनाने, कृमि खाद (वर्मिकल्चर) बनाने तथा बागवानी में प्रशिक्षण देने के लिये चैम्बूर, मुम्बाई में दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये। प्रशिक्षक तथा सूकरकर्त्ता के रूप में, स्त्री मुक्ति संगठन ने वृहद सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों तथा ऑफिस परिसरों में ठोस कूड़ा–करकट संग्रह करने और उपचार के लिये कार्य के अवसर प्राप्त किए। 250 प्रशिक्षितत परिसर भंगिनियों ने इन कॉलोनियों, कैम्पस तथा छोटे आवसीय गृह परिसरों को सफलतापूर्वक शून्य–कूड़ाकरकट दर्जा दिलवाया। स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा परिसर विकास के कार्य के लिये जो दृष्टिकोण अपनाया गया उसे सर्वाधिक संवहनीय पाया गया क्योंकि यह लाभार्थियों को ज्ञान तथा कौशल प्रदान करता है, उनके अधिकारों के लिये वकालत करता है और उन्हें संगठित होने में सहायता करता है। वह अर्थव्यव्स्था, सशक्तिकरण तथा पर्यावरण को जोड़ता है, इससे परिसरकी भीगनियों को सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, बेहतर सामाजिक संगठन, वर्द्धित आमदनी तथा आत्म निर्भरता पाने में मदद मिलती है।

cks/k iz'u 2

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. लघुऋण संस्थाएं तथा स्वावलम्बन समूह किस प्रकार से महिलाओं को परामर्श देती हैं?

....

....

....

....

18.10 लघुवित्त तथा स्वावलम्बन समूहों की समीक्षा

लघुवित्त तथा स्वावलम्बन संस्थाओं के मुख्य, नुकसान यह हैं कि उन्हें अभी भी सिद्ध करना है कि लोगों को गरीबी से हमेशा के लिये बाहर निकालने में लघु ऋण की योजना कल्याणकारी शैली के कार्यक्रमों की तुलना में ज्यादा सफल हुई है। मानव विज्ञानी अमीनर रहमान तथा संवाददाता हेलन टॉड के अध्ययनों (दोनों ने बंगलादेश में ग्रामीण बैंक का अध्ययन किया है) और ओक्सफैम द्वारा प्रतिभूत लघु ऋणदाताओं के विश्वव्यापी अध्ययन के अनुसार, लघुऋण दाता लोगों को स्थायी, स्वरोजगार पाने में सहायता करने में नियमित रूप से असफल होते है और प्रायः इसलिये क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं कि उनके उधारियों द्वारा ऋण का उपयोग वास्तव में छोटे व्यवसायों को शुरू करने में किया गया है कि नहीं सर्वाधिक निराशाजनक तथ्य यह है कि ऐसे कार्यक्रम सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों तक पहुँचने में असफल रहे हैं और सर्वाधिक सफल लघुवित्त कार्यक्रम भी बगैर अतिरिक्त आर्थिक सहायता के अपने को कायम नहीं रख पाए हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यवसायों को विकसित करने के उद्देश्य से लघु ऋण देना किसी भी अन्य विकास योजना के समान एक जटिल प्रयास है और इसके लिये विशिष्ट आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक घटकों के स्थानिक ज्ञान की आवश्यकता है जो उद्यमिता की सफलता को प्रभावित करेंगे।

अनिल कर्नानी ने, जो मिचिगेन विश्वविद्यालय के रॉस स्कूल ऑफ विजनस में सह प्रोफेसर है, अपने लेख ''माइक्रो फाइनेंस मिसेस दी मार्क'' में इस ओर ध्यान खींचा कि जो गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे हैं लोगों के लिए लघु ऋण ज्यादा लाभकारी होता है, बजाय उन लोगों के लिये जो गरीबी रेखा से नीचे हैं क्योंकि वे ग्राहक जिनकी आमदनी ज्यादा है जोखिम उठाने को तैयार हो जाते है, जैसे कि नूतन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से आय ज्यादा अर्जित होगी, यह सर्वाधिक संभावित है। इसके दूसरी ओर, गरीब उधारी रूढ़िवादी ऋण लेने को प्रवृत होते है जो कि उनकी जीविका की सुरक्षा करते है; और विरले ही नूतन प्रौद्योगिकियों, स्थिर पूंजी या मजदूरों को रखने में निवेश करते हैं।

विजय महाजन, जो भारतीय ग्रामीण वित्त संस्थान, बेसिक्स, में प्रधान कार्यपालक है, का विचार है कि कभी–कभी लघुऋण सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों तक नकद प्रवाह कम भी कर देते हैं। इसका एक कारण लघुऋण संगठनों द्वारा लगाई जाने वाली ऊंची ब्याज दर हो सकता है। लघुऋण के प्रस्तावक दलील देते हैं कि यह दरें, यद्यपि ऊंची है, परन्तु अनौपचारिक साहुकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों से अभी भी काफी नीची है। परन्तु यदि गरीब ग्राहक अपने निवेश पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक प्रतिफल नहीं उपार्जित कर सकते है, तो वे लघुऋण के परिणाम स्वरूप ज्यादा गरीब हो जाएंगे, धनवान नहीं।

लघुऋण से अन्य समस्या वो सब व्यवसाय हैं जिन्हें धन प्रदान करने का निर्णय किया गया है। लघुऋण का ग्राहक यथातथ्य अर्थ में उद्यमकर्त्ता है। यद्यपि कुछ लघुऋण ग्राहकों ने अव्यवहारिक व्यावसाय सृजित कर लिये है, बहुसंख्यक भाग जीविकोपार्जन गतिविधियों में फंसा पड़ा है। सामान्यतया उनमें कोई विशिष्टि कौशल नहीं होते हैं, ओर इसलिए उन्हें प्रवेश–स्तरीय कारोबारों में अन्य सभी स्वनियोजित गरीब लोगों के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है। अधिकांश के पास कोई वेतनिक स्टाफ नहीं होता है, कोई परिसम्पत्तियां नहीं होती हैं; और कुशलता इत्यादि प्राप्त करने हेतु अत्यन्त ही छोटे पैमाने पर कार्य करते है; और इस कारण बहुत थोड़ी मात्रा में कमाई कर पाते है। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लघु उद्यम छोटे होते हैं और बहुत से असफल होते हैं। मुख्य बात यह है कि अधिकांश लघु ऋण ग्राहक अपनी पसन्द से लघु उद्यमकर्त्ता नहीं होते हैं। यदि किसी फैक्टरी में उचित मजदूरी पर काम उपलब्ध होगा तो वे खुशी–खुशी वह काम ले लेंगें।

हमें इन गरीबों को उद्यमकर्त्ता नहीं कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने इन लोगों के लिये ज्यादा उपयुक्त पदबंध का उपयोग किया हैः ''ओन–अकाउन्ट वर्करस'' (अपनी मर्जी से कार्मिक)।

दी एक्शन इन्स्टीट्यूट के माइकल मिल्लर ने बताया कि विकास में जब कि लघुवित्त भूमिका अदा कर सकता है, यह गरीबी के लिये राम बाण (सर्वरोग हर्त्ता) नहीं है, और जिस तरह से यह आज प्रयोग किया जाता है इसके गम्भीर प्रयोजकनहीन प्रभाव हो सकते है जो वास्तव में विकास को नुकसान पहुँचाते हैं। लघुवित्त चाहे सीढ़ी पर पहला सौपान हो सकता है परन्तु लघुवित्त की आवश्यकता भी होती है। गरीबी के व्यापक तथा संवहनीय उन्मूलन के लिये, सुरक्षित सम्पत्ति अधिकार और विधि के शासन के साथ ही आकर्शक निवेश वातावरण दीर्घकाल में ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण हैं। लघुवित्त काम चलाऊ उपाय हैः विकास हो जाएगा जब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी।

18-11 Hkkjr esa efgyk m|edÙkkZvksa dh leL;k,a

भारत में महिलाओं को उद्यमकर्त्ता के रूप में आगे बढ़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि हमारे देश में बहुत से राज्यों में बड़ी संख्या में योजनाएं तथा कार्यक्रम पहले से ही चलन में हैं, महिला उद्यमी अभी भी अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं और इसका परिणाम महिला उद्यमियों के विस्तार को प्रतिबंधित एव अवरूद्ध करने का हुआ है। महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर उद्यम विकास के सिलसिले में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो नीचे दी गई है :

1) महिला उद्यमियों की सबसे बड़ी मुश्किल उनमें आत्म विश्वास का अभाव है। वे अधीनस्थ या गौण दर्जा स्वीकार कर लेती है, फलस्वरूप उन्हें अपनी क्षमताओं में आत्म विश्वास नहीं होता है। पुरुष प्रभुत्व उनके अवसरों को संकुचित करता है।

2) वित्तीय संस्थाएं स्त्रियों की उद्यमिता संबंधी योग्यताओं के बारे में शंकाशील रहती हैं। बैंकर महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिये बैंक अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण प्रतिभूतियों या जमानत की मांग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) की रिपोर्ट के अनुसार, ''पुरूषों की तुलना में ऋण चुकौती की दरें ऊंची हैं के बावजूद बैंको तथा अनौपचारिक ऋण–दाता समूहों के प्रायः भेदभावपूर्ण रवैइये के कारण अभी भी ऋण प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।''

3) महिला उद्यमकर्त्ताओं को अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा अपर्याप्त कार्यशील पूंजी का कश्ट झेलना पड़ता है क्योंकि वास्ताविक जमानत प्रदान करने की अपनी अक्षमता के कारण उन्हें बाह्य निधियों तक पहुँच उपलब्ध नहीं होती है। बहुत कम महिलाओं के हाथ में वास्तविक या मूर्त सम्पति होती है।

4) महिलाओं की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां उन्हें सफल उद्यमी बनने से रोकती हैं। बच्चों, घर और बुजुर्ग आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिये प्राथमिक प्रतिबद्धताएं होने के कारण, कम महिलाएं अपना सारा समय तथा ऊर्जा अपने व्यवसाय में लगा सकती है।

5) व्यवसाय में महिला उद्यमियों की सफलता परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं को कारोबारी प्रक्रिया में दी जाने वाली सहायता पर निर्भर करता है जो कि विरले ही वास्तव में मिल पाती है।

6) कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में ज्ञान के अभाव तथा मोल तोल करने का निम्नस्तर और सौदा तय करने के कौशल आदि कुछ घटक है, जो महिला उद्यमियों के व्यवसायिक जोखिम को प्रभावित करते हैं।

7) विकासशील राष्ट्रों में कई महिलाओं में सफल उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये अपेक्षित शिक्षा का अभाव होता है। वे नव प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ होती है या उनका उपयोग करने में अकुशल होती है, और प्रायः शोध करने में और आवश्यक प्रशिक्षण पाने में सक्षम नहीं होती हैं (यू.एस.आइ.डी.ओ., UNIDO,1995)। अध्ययन सूचित करते हैं कि अशिक्षित महिलाओं को मापन तथा मूलभत लेखाकरण का ज्ञान नहीं होता है।

8) शिक्षा तथा आत्म–विश्वास का निम्न स्तर महिलाओं को निम्न स्तरीय उपलब्धि और आगे बढ़ने की निम्न स्तरीय प्रेरणा की ओर प्रवृत करती है।

18-12 l>ko

महिला उद्यमियों के प्रभावी विकास को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जा सकते हैं :

1) सरकार के तमाम विकासात्मक कार्यक्रमों के लिये, महिलाओं को विशिष्ट लक्ष्य या टारगेट समूह समझना चाहिये।

2) प्रबन्ध कौशलों तथा निर्णय लेने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिये। जिससे वे उत्पादन प्रक्रिया तथा कारोबार प्रबन्धन को समझने के योग्य हो सकेंगी।

3) महिलाओं के पोलिटेक्निक्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण–सह–उत्पादन कार्यशालाओं में कौशल को अभ्यास हेतु कार्य में प्रयुक्त करना चाहिये।

4) समर्पित एन.जी.ओस, मनोवैज्ञानिकों, प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, तथा तकनीकी कर्मियों की सहायता से महिला उद्यमियों को भी व्यावसायिक निपुणता और नेतृत्व कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये जिससे कि मनोवैज्ञानिक रूकावटें आत्म–विश्वास का अभाव और सफलता का भय दूर हो पाएं।

5) सरकार को अपने विभागों के लिये सामग्री हेतु, महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को वरीयता देनी चाहिये जिससे कि उन्हें बाजार तथा बिक्री में सहायता मिल सके।

6) राजकीय वित्त निगम एवं अन्य वित्तपोषण संस्थाओं को महिला उद्यमियों को विविधत रूप से सिर्फ और सिर्फ कारोबार–सम्बन्धित ऋण देना चाहिए।

7) वित्तीय संस्थाओं को महिला उद्यमियों द्वारा प्रारम्भ किये गये छोटे पैमाने के जोखिम पूर्ण कार्य तथा बड़े पैमाने के जोखिम पूर्ण कार्यों दोनों के लिये ज्यादा कार्यशील पूंजीगत सहायता प्रदान करनी चाहिए।

8) क्तिपोषकों को प्रशिक्षितत करने के लिये जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम बार–बार आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि वे महिलाओं को अपने खुद के हक में व्यक्ति समझ कर उनके साथ प्रतिष्ठा एवं सम्मान के साथ व्यवहार करें।

9) राज्य–चालित एजेन्सियों द्वारा महिला उद्यमियों के औद्योगिक भूखंडों एवं शाला के रूप में आधारभूत ढ़ांचा अधिमानी आधार पर प्रदान करना चाहिए। जिससे कि महिला उद्यमी उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए उद्योग तथा विपणन केन्द्र स्थापित कर पाए।

10) जिला उद्योग केन्द्र तथा एकल खिड़की एजेन्सियों का महिला उद्यमी परामर्श कोष्ठक होना चाहिये जो महिलाओं को कारोबार तथा व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं को संभालने में सहायता करें।

11) गैर–सरकारी संस्थाओं को महिलाओं के लिये उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम और परामर्श सेवाओं के कार्य से जोड़ा जा सकता है।

18-13 fu"d"kZ

इस इकाई में, राष्ट्र के औद्योगिक विकास में उद्यमिता के महत्व की चर्चा की गई है। मौटे तौर पर, इस इकाई में भारत में उद्यमकर्त्ता के रूप में महिलाओं की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। लघुवित्त संस्था और स्वावलंबन समूह जैसी एजेन्सियों के जरिये कार्य कर रहे भिन्न सिविल सोसाइटी निकायों द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया है। पुरुष प्रभुत्व, अगम्य या पहुँच से बाहर ऋण, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और पारिवारिक सहायता का अभाव जैसी समस्याएं कुछ सीमाएं है जिनका कि महिलाओं को उद्यम विकास के मार्ग में सामना करना पड़ता है।

18-14 'kCnkoyh

1½ **vkb-,y-vk- ¼vrjk"Vh; Je lxBu½ ½** आई. एल. ओ. विश्व की एक मात्र त्रिपक्षीय बहु पार्श्वीय एजेन्सी है और गरीब तथा धनी दोनों देशों के लोगों को शालीन कार्य और जीविकोपार्जन, वेतनिक कार्य सम्बन्धी सुरक्षा और बेहतर रहन सहन स्तर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है। इसके चार महत्वपूर्ण उद्‌देश्य है : कार्यस्थल पर मानकों और मूलभत सिद्धान्तों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें चरितार्थ करना, महिलाओं और पुरुषों के लिये अधिक अवसर सृजित करना, शालीन रोजगार तथा आय सुरक्षित करना, सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्याप्ति एवं प्रभाविता बढ़ाना, त्रिपक्षवाद और सामाजिक वार्तालाप को मजबूत करना।

2½ **;- ,u- vkb- Mh vk ¼l;Dr jk"V vk|kfxd fodkl lxBu½ ½** ये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सी है। इसका अधिदेश विकासशील देशों में और परिवर्तित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में संवहनीय औद्योगिक विकास को प्रोन्नत एवं त्वरित करना और अपनी वैश्विक विशेषज्ञता तथा संसाधनों को इकठे प्रयोग करते हुए विश्व के सबसे गरीब देशों में रहन–सहन की स्थितियों को सुधारने के लिये कार्य करना।

3½ **vkb-Mh- ch- vkb ¼Hkkjrh; vk|kfxd fodkl cd fyfeVM½ ½** यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह वर्ष 1964 में विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2004 में डी.एफ.आई (विकास वित्तीय संस्थान) को बैंकिंग कम्पनी तथा साथ ही उद्योगों, निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास, उद्यम की नूतन भावना के उदभव, और गहन एवं उत्तेजक पूंजी बाजार के उद्विकास के लिये वित्तपोषण की परियोजना के रूप में तबदील कर दिया गया था। आज कल, आई. डी. बी. आई कम्पनी क्षेत्र (कोरपोरेट), थोक व्यापार, एस. एम. ई. (SME) और कृषि उत्पादों एवं सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

18-15 ckèk iz'uksa ds mÙkj

Ckkèk iz'u&1

1. भारत में स्वतन्त्रता उत्तरोत्तर काल के दौरान हुए औघोगिकीकरण ने गृह उद्योगों जैसे तंतु बुनाई, जूट बनाना, पापड़ बनाना इत्यादि का हिस्सा कम कर दिया। कृषि तथा उद्योगों के यान्त्रिकीकरण ने भारत के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का विस्थापन किया है। इसने महिलाओं के बीच बेरोजगारी और गरीबी की सीमा में वृद्धि की है। इसलिये, यह महसूस किया गया कि महिलाओं के लिये उद्यम विकास के जरिये रोजगार के अवसरों को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि जो महिलाएं नौकरी की तलाश करती हैं लाभकर रूप से नियोजित हो सकें।

Ckkèk iz'u&2

1) (क) शक्ति, बंगलौर, (ख) मासूम, पूना, (ग) सेवा, अहमदबाद, (घ) तिलकवाडा में विकल्प, नर्मदा जिला, गुजरात, (ङ) स्त्री मुक्ति संगठन, मुम्बई।

Ckkèk iz'u &3

1) लघुऋण संस्थाएं तथा स्वावलंबन समूह, महिलाओं को एक्सपोज़र ट्रिपस, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं की समस्याओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके, पत्नी पिटाई, द्विविवाह प्रथा एवं अन्य प्रतिबन्धों के मामले में हस्तक्षेप करके, निगरानी विद्यालय, बन्धक भूमि छुड़वाने में सहायता, पर्यावरणीय संवहनीयता और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिये परामर्शी की सहायता प्रदान करते हैं।

18-16 lanHkZ iqLrdsa

Balsaraf, Kusum, “Micro-finance Model of Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM)”, in Kamdar, Sangita (ed), *Microfinance, Self Employment and Poverty Alleviation*, Mumbai: Himalaya Publishing House, 2007.

Cole, Arthur H., *Business Enterprise in its Social Setting*, Cambridge: Harvard University Press, 1959.

Desai, Vasant, *Dynamics of Entrepreneurial Development and Management*, Mumbai: Himalaya Publishing House, 2005.

Deshmukh-Ranadive, Joy, “Can Micro-Finance Empower Women?”, Lecture delivered at the Prof. Anupama Shah Lecture Series Programme at HSECAA-Home Science Extension and Communication Alumni Association, M.S. University, Vadodara, March 10, 2008, Quoted in Patel, Vibhuti, “Women?s Leadership in Micro-finance: Issues and Challenges”, in Vibhuti Patel (ed) *Discourse on Women and Empowerment*, Mumbai: The Women Press, 2009.

DWCD , “Platform for Action-10 Years After: India Country Report, Delhi, Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, government of India”, Quoted in Patel, Vibhuti, “Women?s Leadership in Micro-finance: Issues and Challenges”, in Vibhuti Patel (ed) *Discourse on Women and Empowerment* , Mumbai: The Women Press, 2009.

Guda, Yousuf, *Women Entrepreneurship in India: Challenges and Achievements*, Hyderabad: NISIET, an organization of Ministry of SSI, Government of India, 2005.

ILO, *Microfinance for employment creation and enterprise development*, Geneva: Committee on Employment and Social Policy (ESP), International Labour Office, 2002.

John, S. Maria, R. Jeyabalan, S. Krishnamurthy, *Rural Entrepreneurism*, New Delhi: Discovery Publishing House, 2004.

Kaliyamoorthy, S., K. Chandrasekar, *Entrepreneurial Training: Theory and Practice*, New Delhi: Kanishka Publishers & Distributor, 2007.

Kao, John and Howard Stevenson (Eds.), *Entrepreneurship …. What it is and How to Teach it*, Division of Research, Harvard Business School, USA, 1984.

Khanka, S.S., *Entrepreneurial Development*, New Delhi: S. Chand & Co., 2007.

Kollan, Bharti and Parikh, Indira J., *A Reflection of the Indian Women in Entrepreneurial World*, Working Paper no. 2005-08-07, August-2005.

Kumar, Anil, *Women Entrepreneurship in India*, New Delhi: Regal Publication, 2005.

Lapenu, C. and M. Zeller, *Distribution, growth and performance of microfinance institutions in Africa, Asia and Latin – America*, a recent inventory, IFPRI, Nov. 2000 (draft)

Mascarenhas, Romeo S., *Entrepreneurship*, Mumbai: Vipul Prakashan, 2005.

Patel, Vibhuti, "Women?s Leadership in Micro-finance: Issues and Challenges", in Vibhuti Patel (ed), *Discourse on Women and Empowerment*, Mumbai: The Women Press, 2009.

Rani, Lalitha, *Women Entrepreneurs*, New Delhi: A.P.H. Publication, 1996.

Shram shakti, *Report of the National Commission on Self employed Women and Women in the Informal Sector*, New Delhi: 1988.

Sudha, G.S., *Dynamics of Business Entrepreneurship*, Jaipur: RBSA Publisher, 2007.

Walokar, Deepak M., *Women Entrepreneurs*, Mumbai: Himalaya Publishing House, 2001.

18-17 ckèk i'u ¼euu ,oa vH;kl gsrq½

1) उद्यमिता की अवधारणा की परिभाषा दें और उद्यम विकास के सम्बन्ध में महिलाओं के सशक्तिकरण की विवेचना करें।

2) महिला उद्यमियों के विकास के संदर्भ में लघुवित्त संस्थाओं तथा स्वावलम्बन समूहों की सलाहाकार केस स्ट्डीस (व्यष्टि अध्ययन) उद्धृत करते हुए, भूमिका की विवेचना करें।

3) स्वावलम्बन समूहों के जरिये महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषण करें।

4) लघुऋण संस्थाएं तथा स्वावलम्बन समूह किस प्रकार महिलाओं को परामर्शदात्री सहायता प्रदान करती हैं? सोदाहरण व्याख्या करें।

5) लघुऋण संस्थाओं तथा स्वावलम्बन समूहों के उदभव पर एक टिप्पणी लिखें। उनकी क्या कमियां हैं?

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

bdkbZ 19 d`f"k] lk;kkoj.k rFkk ikfjfLFkfrdh; ljksdkj ij tsaMjxr ;k tsaMj iHkko

bdkbZ dh :ijs[kk

19.1 प्रस्तावना

19.2 उद्देश्य

19.3 महिलाएं और कृषि

19.4 कृषि क्षेत्र में जेंडर सम्बन्धी मुद्दें और आवश्यकताएं

- 19.4.1 भूमि (वन समेत) और जल संसाधन एवं सेवाओं विभेद पहुँच
- 19.4.2 कार्य तथा गतिविधियों में जेंडर विभेद
- 19.4.3 जेंडर तथा कृषि विस्तार और शोध
- 19.4.4 सशक्तिकरण तथा निर्णयन की पहुँच
- 19.4.5 जेंडर, कृषि जैवविविधता और कृषि का वाणिज्यकीकरण

19.5 महिलाओं की गतिविधियाँ और पारिस्थितिकीय और वातावरण संबंधी सरोकार

- 19.5.1 विकास के नाम पर विस्थापन
- 19.5.2 प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के कारण विस्थापित जनसंख्या
- 19.5.3 ऊर्जा तथा पर्यावरणीय नीति
- 19.5.4 जल नीति का जेंडर लेखापरीक्षा
- 19.5.5 कृषि क्षेत्र में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग
- 19.5.6 किसान और कृषि मजदूरों के रूप में महिलाएं
- 19.5.7 कृषिक संकट और महिलाओं पर इसका प्रभाव
- 19.5.8 कृषिगत विकास के लिये जेंडर प्रतिघात (प्रभाव) रणनीति निर्माण की ओर

19.6 पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय सरोकार

- 19.6.1 पर्यावरण को जेंडर के साथ जोड़ना : एक परिचय
- 19.6.2 पर्यावरणीय जोखिमों के जेंडर प्रभाव में अन्तरः कुछ उदाहरण
- 19.6.3 पर्यावरणीय परियोजनाओं में जेंडर समता

19.7 नया उपागमः सिद्धान्त बनाम प्रथा या परिपाटी

19.8 आगे की ओर कदमः संसाधनों पर महिलाओं के नियन्त्रण को मजबूत करके महिलाओं का सशक्तिकरण

- 19.8.1 महिलाएं, जल और स्वच्छता
- 19.8.2 बंगलादेश के अनुभव

19.9 पर्यावरण पर कार्यवाई हेतु मंच

19.10 निष्कर्ष

19.11 शब्दावली

19.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.13 संदर्भ पुस्तकें

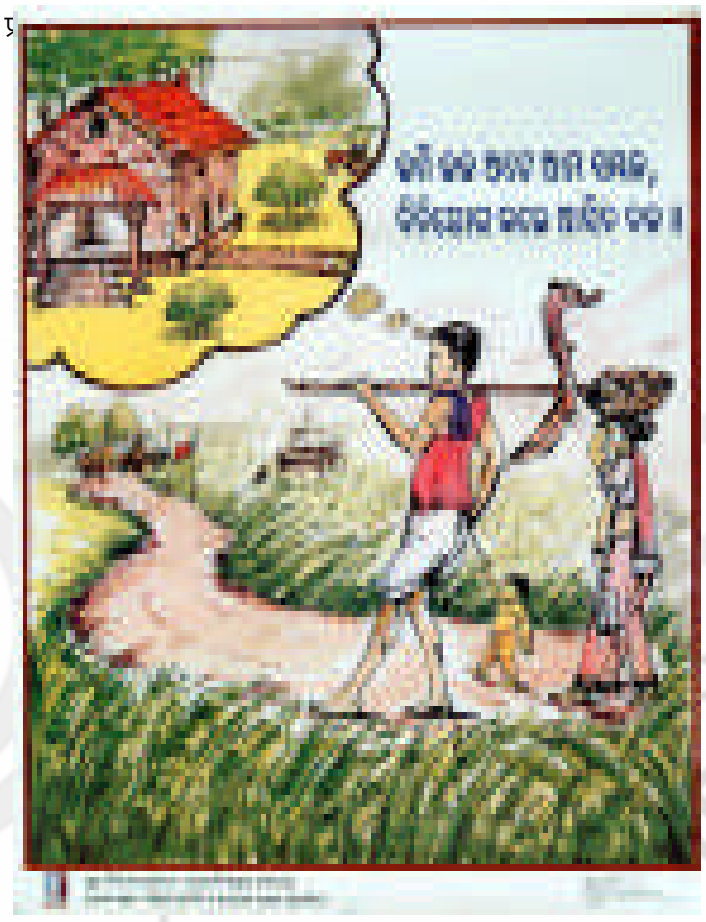

^^Hkfe] vkj ty gekjh lEink ,oa laLkèku gS] ftUgsa ge 'kfDr nsus dk fy;s mi;ksx fd;k tk ldrk g**
स्रोत : पुनः निर्माण अभियान, जगत सिहंपुर

19-1 iLrkouk

ऐतिहासिक रूप से, महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधक रही हैं और अपनी आजीविका के लिये उन पर निर्भर रहती हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों को संहवनीय ढंग से उपयोग करती हैं क्योंकि यह न सिर्फ उनके परिवारों की परन्तु उनकी अपनी उत्तरजीविता भी निर्धारित करता है। अतः, यह समझने की अत्यन्त आवश्यकता है कि किस प्रकार इन मुद्दों जैसे कि श्रम विभाजन, ऋण या सूचना और स्वामित्व के अधिकार की गम्यता की लैंगिक समझ आवश्यक है न केवल कृषि क्षेत्र में नीतिगत उपायों तथा विकासात्मक पहल के लिये परन्तु उन सब के लिये भी जो पर्यावरण पर असर डालते हैं।

19-2 mn~ns';

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप,

- कृषि क्षेत्र में जेंडर सम्बन्धी मुद्दों और आवश्यकताओं का विश्लेषण कर पाएंगे;
- कृषि क्षेत्र में जेंडर को मुख्यधारा (या मेन स्ट्रीमिंग) में लाने के तर्क का विश्लेषण कर पाएंगे; और
- पर्यावरण और जेंडर के बीच संबंध का, और पर्यावरणीय जोखिमों के लैंगिक या जेंडर प्रभावों में अन्तरों का वर्णन कर पाएंगे।

19-3 efgyk,। vkj df"k

अधिकांश विकासशील देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान करता हैं। यह कृषि क्षेत्र के निष्पादन और अन्य क्षेत्रों के उत्पादन तथा आय के बीच सम्बन्ध को रेखांकित करता है। और सरकार के सम्पूर्ण उद्देश्यों (जैसे रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा तथा मानव संसाधन विकास) और कृषि विकास के लिए उनके लक्ष्य तथा नीतियों के बीच संबंधों के महत्व को उजागर करता है। महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में हमेशा केन्द्रीय भूमिका अदा की है, खाद्य पदार्थ के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन या बिक्री से सम्बन्धित व्यापक सीमा की गतिविधियों में संलग्न रही हैं। इसके अतिरिक्त, समस्त विकासशील देशों में महिलाएं भूमि तथा जल प्रबन्धन में मुख्य भूमिका अदा करती हैं।

महिलाए अधिकांशत्या जल, ईंधन लकड़ी तथा चारे की संग्रहकर्त्ता होती हैं। उन्हें पौधों के औषधीय उपयोग के बारे में स्थानीय ज्ञान की पहुँच उपलब्ध रहती है; उन्हें मृदा संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है; और, इसके अतिरिक्त, पशुओं से सम्बन्धित अधिकांश कार्य महिलाएं ही करती हैं। विकासशील विश्व के शहरों में प्रवजन की गति तेज होने के साथ–साथ, महिलाएं इन ग्रामीण कौशलों को भी साथ लेकर आती हैं और शहरी तथा लगभग (परि) शहरी कृषि की संवृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं। जिसे अब शहरों में खाद्य सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है।

कृषि में महिलाओं के द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की सरकारी सांख्यिकी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहले तो मौटे तौर पर उपेक्षा की जाती थी। पिछले दो या तीन दशकों से इस स्थिति में कुछ फर्क आया है और आज विकासशील विश्व के बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि क्षेत्रों में महत्व दिया जा रहा है। तथापि, इन सब हाल ही की घटनाओं को कुछ घटकों से खतरा हो सकता है जैसे कई देशों में कृषि का वाणिज्यिकीकरण और ग्रामीण विकास के अभियान को निजी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को सौपना। इन घटकों ने उपादेयताओं को कम कर दिया है और उस स्थिति में लौटने की धमकी दे रहे हैं जहां महिलओं की भूमिका को पूर्णतया मान्यता नहीं दी जाती है, और जहां जेंडर–अंध नीतियां और कार्यक्रम महिला खेतीहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होते हैं।

ऐसे बहुत से क्षेत्र रह गए हैं जहां जेंडर समानता लाने में प्रगति महत्वपूर्ण नहीं रही और जो भविष्य के लिये चुनौतियां बन गए हैं इनमें शामिल हैं –भूमि, संसाधनों और तथा प्रौद्योगिकी जैसी आगतों (इनपुट्स) पर स्त्रियों तथा नियोजन और नीति के निर्माण में महिलाओं द्वारा अदा की जाने वाली सीमित भूमिका प्रसार सेवाओं के साथ महिलाओं का सम्पर्क भी पुरुषों की तुलना में कम होता है और पहुँच की समस्याओं के कारण प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सांस्कृतिक प्रतिबन्धों या फसलों तथा पशुधन पर शोध करने में कम रूचि महिलाओं की कारण, वे सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी के निम्न स्तरों का उपयोग करती है।

सामुदायिक विकास में महिलाओं की भूमिका का और स्वावलंबन समूहों का सृजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर कृषि विस्तार की गतिविधियों में तत्कालीन प्रवृतियों के चलते कृषि विस्तार कार्य, किसान समूहों किसान से किसान तक विस्तार, किसान खेत स्कूलों और किसान के संगठनों के साथ कार्य करने पर अब ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने लगा है। और खेत में व्यक्तिगत दोरों पर किये जाने वाले कृषि विस्तार की ज्यादा पारम्परिक पद्धतियों का प्रतिस्थापन करने लगा है। इन दृष्टिकोण का मुख्य केन्द्र बिन्दु

ग्रामीण लोगों को संवहनीय जीविका प्राप्त करने के योग्य बनाना है और साथ ही आय–सर्जनकारी गतिविधियों पर जोर देना है।

पारिम्पारिक रूप से, महिलाओं ने बिक्री हेतु घरेलु स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बहुमूल्य आय उपार्जित की है, परन्तु बाजारों के बारे में जानकारी के अभाव, शीत भंडारण सुविधाओं और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी की गैर–मौजूदगी एवं ऋण लेने की अक्षमता के कारणवश, इसके प्रसार के मार्ग मे कई रूकावटें हैं। इन सीमाओं को अब समझ लिया गया है, और कारोबारी कुशाग्रता को पोषित करना और छोटे–पैमाने के कृषि उत्पाद प्रसंस्करण को प्रोत्साहित अब एक चुनौती बन गई है।

ckDl&1 vÝhdh fdlku

यह पदबंध 'अफ्रीकी किसान और उसका पति' अफ्रीका में महिला किसानों का महत्व व्यक्त करता है, जहां:

- खाद्य उत्पादन में कार्यरत समग्र में से लगभग 80% महिलाएं हैं;
- खाद्य उत्पादन में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा औसतन ज्यादा घंटे कार्य करती है;
- पुरुष अपने श्रम को भाड़े पर देते है और महिलाएं स्थानीय या पारिवारिक उपभोग के लिये बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी, सांस्कृतिक परम्परा और आर्थिक अनिवार्यता का अर्थ कृषि में महिलाओं के लिये हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका का होता है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के रखवाल के रूप में महिलाओं के महत्व को अब वैश्विक मान्यता मिलनी प्रारम्भ हो गई है।

19-4 tsMj lEcfU/kr eqn~ns vkSj df"k {ks= esa vko';drk,a

ऐसा माना जाता है कि विश्व के खाद्य उत्पादन का 60% महिलाओं के द्वारा उत्पादित किया जाता है। सामान्यत्या, महिलाएं श्रम आवश्यकता का 50–60 प्रतिशत पूरा करती है जो धान तथा चावल के उत्पादन में बढ़ कर 80% हो जाता है। पुरुष जनसंख्या का बड़े पैमाने पर शहरों में प्रवजन होने के कारण, ज्यादा महिलाएं परिवारों तथा खेती सम्बन्धी गतिविधियों का कार्यपरक प्रधान बन रही हैं। अधिकांश विकासशील देशों में यही चित्र उभर कर आया है।

कृषि तथा ग्रामिण विकास क्षेत्र में विशेष महत्व के पांच मुख्य जेंडर सम्बन्धित मुद्दें उभरकर आएं हैं:

1. भूमि तथा जल संसाधनों, तथा ऋण एवं अन्य सहायक सेवाओं की गम्यता;
2. भूमिकाओं तथा गतिविधियों में जेंडर सम्बन्धी भेद;
3. जेंडर और कृषि विस्तार और शोध;
4. महिलाओं का सशक्तिकरण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी;
5. जेंडर, कृषिगत जैव विविधता और वाणिज्यिकीकरण;

यह मुद्दें अंतःसम्बन्धित हैं और नीचे विस्तार से इनकी व्याख्या की गई है :

19-4-1 Hkfe ¼ouk lerk½] ty l lkèkuk rFkk lokvk dh xE;rk

भूमि, वनों तथा जल गम्यता के मुद्दें तथा महिलाओं के साथ उनका अंतःसम्बन्ध किसी भी विकास नीति के प्रभाव को समझने के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

Hkfe] ou rFkk ty l lkèkuk dh xE;rk

कुछ ही के हाथों में सामुदाचिक संसाधनों का बढ़ता निजीकरण ज्यादा दुर्लभ हो रहे संसाधनों को संवहनीय तरीके से इस्तेमाल करने की स्त्रियों की क्षमता को कमजोर कर रही है। निर्यात करने तथा गुणवत्ता नियन्त्रण के कड़े मानकों को पूरा करने का दबाव बना रहता है। इसके अतिरिक्त, कृषिगत सेवाओं का वाणिज्यिकीकरण किया जा रहा है और भू– पट्टेदारी व्यवस्थाएं खतरे में हैं, छोटे किसानों को उपलब्ध उत्तम किस्म की भूमि कम हो रही है। क्योंकि, उपजाऊ भूमि का उपयोग नकद फसलों के लिये किया जाने लगा है। परिणामस्वरूप, छोटे किसान, प्रायः स्त्रियां, उन भूखंडों पर खेती के लिये धकेली जा रहीं है जो छितरे हुए हैं, दूरस्थ और अक्सर, कम उपजाऊ होते है। यह भूखंड प्रायः सतत खेती के लिये उपयुक्त नहीं होते हैं और इसे भूमि एवं जल अवनति का खतरा रहता है, विशेषकर मृदा कटाव (या अपरदन) और वन कटाई के जरिये। असुरक्षित भू–पट्टेदारी, भूमि पर सुधार करने या वृक्षारोपण अथवा सीढ़ीदार खेती करने जैसी गतिविधियों के लिये प्रेरणा कम करती है। ये स्थायी फसलों में निवेश करने के लिये भी प्रायः कम प्रोत्साहन देती है। और, इसका अभिप्राय ऋण पाने की क्षमता का अभाव होता है।

भूमि तथा स्वामित्व अधिकारों तक महिलाओं की गम्यता अत्याधिक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, ऐसे मामलों में भी, जहां उनके द्वारा अपनी खुद की भूमि लेने या भूमि रखने पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। महिलाओं को पुरुषों की मध्यस्यता बगैर, कल्याण, क्षमता तथा जेंडर समानता के आधार पर पूर्ण तथा स्वतत्र भूमि अधिकारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। दीर्घकाल में, भूमि सुधार हेतु मांग को पूरा करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह इस ढ़ंग से पूरा की जा रही है कि महिलाओं के साथ समतुल्यता के साथ व्यवहार किया जाता है।

महिलाओं द्वारा इंधन, चारे और लघु वनोत्पाद की आपूर्ति करने के कारण उन्हें वनों के साथ सम्बन्धित किया जाता है। वन कटाई तथा वन संसाधनों के अवक्षय और वन संसाधनों की गम्यता तथा उन पर नियन्त्रण नष्ट होने से गरीबी, बेरोजगारी तथा महिलाओं की नीरसता बढ़ गई है।

जल और स्वच्छता क्षेत्र अन्य क्षेत्र है जहां महिलाओं को नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष जब कि सामान्यत्या सिंचाई या पशुओं के लिये जल के साथ ज्यादा सरोकार रखते हैं, महिलाएं घर के कूड़े को ठिकाने लगाने और स्वच्छता सुविधाएं बनाए रखने के अलावा, सामान्य तौर पर घर में जल का संग्रह, उपयोग और प्रबन्ध भी करती हैं। जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान लेने के बावजूद, कई देशों में महिलाओं को कार्यक्रमों के डिजाइन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता हैं।

_.k rFkk vU; lgk;d lokvk dh xE;rk

भूमि और संसाधनों पर स्वामित्व के अभाव से होने वाले नुकसान का परिणाम यह होता है कि कृषिगत सहायक सेवाओं, जैसे कि ऋण जिसकी मदद से वे आगतों (इनपुट्स)

को खरीद सकती है तथा कृषिगत प्रौद्योगिकी में परामर्श और प्रशिक्षण तक उनकी पहुँच सीमित होती है। इसके कई कारण हैं जैसे कि कानूनी प्रतिबंध (जैसे पुरुष हस्ताक्षरकर्ता की आवश्यकता); बन्धक या जमानत (यानि कि भूमि पर दावा) का अभाव; ऋण के स्रोतों तथा उपलब्धता का अभाव; और साथ ही अन्य सेवाओं जैसे लघु–ऋण योजनाओं का अभाव। यद्यपि विकासशील देशों में लघु ऋण योजनाएं प्रारम्भ करने के कुछ प्रयास किये गये है, परन्तु बहुत से जेंडर सम्बन्धित मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे मुद्दें निम्नलिखित है :

1. महिलाओं को सभी प्रकार की लाभदायक कृषिगत गतिविधियों के लिये ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, केवल घरेलु उद्देश्यों के लिये ही अपेक्षित ऋण नहीं।

2. महिलाओं को ऋणों से पूरा लाभ उठाने और उनका पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिये ऋण सुविधाओं के साथ कृषिगत तकनीकी कौशल और मानव विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि महिलाओं के समूहों को प्रबन्धन का प्रशिक्षण तथा सहायता हो जाती है, तो उनके द्वारा खेती के लिये शुरू किये गये सामुहिक उद्यम सफल हो सकते हैं।

3. लघुऋण कार्यक्रमों की कर्मचारीगण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जैसे कि वे लोग ही जिन्हें क्षेत्रीय अनुभव और स्थानीय ज्ञान है नियोजित किए जाए।

4. ऋण की समतुल्य गम्यता का अर्थ सिर्फ लघु–ऋण ही नहीं उस से ज्यादा है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि जेंडर समानता एवं समता के मार्ग में कोई रूकावटें नहीं है सभी श्रेणियों की आर्थिक नीतियों को सम्मिलित किया जाना।

19-4-2 dk;l rFkk xfrfofèk;k e tMj Hkn

ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं की भिन्न–भिन्न भूमिकाओं को पहचानना आवश्यक है। श्रम के जेंडर विभाजन का विश्लेषण दर्शाता है कि महिलाएं वेतनिक तथा अवेतनिक श्रम के रूप में तीन प्रकार की भूमिकाएं निभाती हैं। जैसा कि रज़ावी एवं मिलर, 1997, ने बताया है, यह तीन भूमिकाएं हैं :

- mRiknudkjh Hkfedk % यह स्त्रियों द्वारा बाजार के लिए किया जाने वाले उत्पादन, और घर/जीविका निर्वाह हेतु उत्पादन का संकेत करता है जो कि आय सृजित करता है (चाहे वित्तीय या 'वस्तुरूप' में);

- i tuuh; Hkfedk % यह स्त्रियों द्वारा बच्चा जनने और बच्चे के पालन पोषण के कार्य से सम्बन्धित है;

- lkenkf;d icUèku Hkfedk % यह स्त्रियों की उन गतिविधियों से सम्बन्धित है जो कि वे सामुदायिक स्तर पर संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अपनी प्रजननीय भूमिका के विस्तार के रूप में करती हैं।

इन तीन भूमिकाओं की समझ होने से जेंडर–जागरूक नियोजन को जानकारी मिल सकती है, यह महिलाओं की बहुमुखी भूमिकाओं के कारण महिलाओं और पुरुषों पर कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अलग–अलग प्रभाव को ध्यान में रखता हैं। जब नीति निर्माण के समय यह भूमिकाएं ध्यान में नहीं रखी जाती है, तो वे अभिप्रेत लाभार्थियों के लिये प्रभावपूर्णता खो देती है। अन्य कारक जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए यह है कि कुछ गतिविधियों या उद्यमों को ''पुरुषोचित'' या स्त्रीयोचित समझा जा सकता है।

उदाहरण के लिये, महिलाएं ठेठ रूप से इंधन के लिये वनोत्पाद, परिवार के लिये भोजन, पशुओं के लिये और औषधीय उपयोग के लिये चारे इत्यादि का सग्रह करती हैं। पुरुष प्रायः लकड़ियों को बेचने के लिये या निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिये काटते हैं। इसलिये वन संसाधनों का संवहनीय तथा न्यायोचित प्रबन्ध करने के लिये, वानिकी परियोजनाओं के डिजाइन तथा क्रियान्वयन में महिलाओं तथा पुरूषों दोनों की सलाह ली जानी चाहिये। इसी प्रकार से, जहां पर पशुओं की बात आती है, महिलाएं तथा पुरुष प्रायः भिन्न–भिन्न प्रजाति के पशु पालते है और भिन्न–भिन्न पशु उत्पादों का उपयोग करते हैं और कोई भी नीतियां हो, उन्हें दोनों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिये।

19-4-3 rFkk df"kxr foLrkj vkj 'kkek

यह सर्वविदित है कि सरकारी विस्तार सेवाएं महिला किसानों तक पहुँचने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। बहुत से देशों में, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, महिलाओं को सामुहिक प्रशिक्षण में सक्रिय प्रतिभागिता करने से तथा उर्वरक और ऋण जैसे आगतें (inputs) पा सकने में रोकते हैं। इन सेवा प्रदायकों में पुरुषों का वर्चस्व प्रबल रहता है– एफ ए ओ के अनुसार विस्तार कामगारों का केवल 15% ही स्त्रियां हैं (एफ.ए.ओ., 1999)– और वे अपनी सेवाएं महिला–प्रधान परिवारों और पुरुष–प्रधान परिवारों की महिला सदस्यों को छोड़कर पुरुष किसानों या परिवार के पुरुष प्रधानों को देने को प्रवृत्त रहते हैं। तथापि, वर्तमान संदर्भ में एन जी ओस का प्रभाव बढ़ रहा है, और इन बिन्दुओं से सम्बन्धित जेंडर से जुड़ी किसी भी बात को इस संदर्भ में अवश्य ध्यान में लेना चाहिये।

कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यिकीकरण ने, उत्पादन को इश्टतम करने और बाजारों की गम्यता को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ाया है परन्तु इसके साथ ही, इस बात का खतरा है कि छोटे–पैमाने की खेती को नुकसान होगा। विभिन्न खाद्य उत्पादन प्रणालियां खतरे में हैं और, उनके साथ ही खाद्य पदार्थ उत्पादकों का स्थानीय ज्ञान, संस्कृति और कौशल भी। पिछले कुछ दशकों में, खेती की पद्धतिओं में परिवर्तन और हरित क्रान्ति', जिसके जरिये धान, मक्का और गेहूँ की केवल कुछ किस्में ही विश्व भर में रोपी गई थीं, का परिणाम यह हुआ है कि कृषि फसलों की किस्मों में से 75 प्रतिशत से ज्यादा के गायब हो गई हैं। बहु– राष्ट्रीय कम्पनियां जो एक स्वअधिकृत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही है भी खतरा खड़ा कर रही हैं। दूरस्थ स्थानों में रहने वाले अत्यन्त गरीब किसानों, जिनमें बहुत सी स्त्रियां हैं और जिनके पास नकद की गम्यता बहुत कम होती है, वो हैं जो इस विकास प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अतः ग्रामीण परिवारों के मध्य और क्षेत्रों के बीच आय अंतराल को दूर करने में वृहद प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, तभी जेंडर समानता और समता को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

19-4-4 l'kfDrdj.k vkj fu.k;u ifØ;k rd igp

यह चुनौती शायद सर्वाधिक कठिन और दीर्घकालिक है। बाह्य रूप से थोपे गये कार्यक्रम जैसे कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में समेकन, कारोबार का वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के कारण और कुछ निजी क्षेत्र के बाजारों में काफी एकाधिकारी शक्ति के विकास का प्रभाव विकासशील देशों में महिलाओं के जीवन पर अकसर नकारात्मक होता है।

यह मान लेने पर कि ग्रामीण समुदायों में बाहरी प्रभावों तथा विचारधाराओं के अंतप्रवेश को विकास नियोजन भी प्रकट कर सकता है, यह अत्याधिक संभावित है कि परिणाम भी प्रतिकूल होंगे जब तक कि अधिकारी गण जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं को डिजाइन और क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं, महिलाओं और पुरुषों पर इन नीतियों के अलग–अलग संभावित प्रभावों से जागरूक नहीं हो जाते हैं।

अतः, महिलाओं को सशक्त एवं शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों से सम्बन्धित निर्णय लेने में सहभागिता कर सकें और प्रभाव डाल सकें। वास्तव में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बगैर जेंडर समता असम्भव है। कृषि क्षेत्र में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जेंडर– जागरूकता कई स्तरों पर आवश्यक हैः खेत में, सरकारी और गैर–सरकारी एजेन्सियों में तकनीकी पदों में, सरकारी विभागों में जैसे कि कृषि, मछली पालन और वानिकी और उस स्तर पर भी जहां समष्टि आर्थिक तथा अन्य समष्टि–स्तर के निर्णय लिये जाते हैं।

19-4-5 tsMj] df"k tSo fofoèkrk vkSj df"k dk okf.kT;dhdj.k

अधिकांशतया छोटे किसानों के रूप में, महिलाएं मुख्यतः पौधों की किस्मों का चयन, सुधार या उन्हें उन्नत करने और उनका अनुकूलन करने जैसी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रही हैं। इससे कृषि जैव विविधता में वृद्धि हुई है और सहायता भी मिली है। तथापि, कृषि के बढ़ते वाणिज्यिकीकरण और कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोगों के लिये इस्तेमाल करने से, रोजगार पाने, आश्रय स्थल पाने तथा अपनी मूलभूत आवश्यकतों को पूरा करने की महिलाओं की क्षमता घट रही है।

अफगानिस्तान के पांच गांवों में किये गए अध्ययन में यह पाया गया है कि कुछ महिलाओं को कृषि के कुछ सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्रों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त है जैसे कि तरबूज, फलाद्यानों और अंगूर के बाग। महिलाओं के फलोद्यानों या अंगूर के बाग के लिये सामान्य भूमि का उपयोग करने की संभावना, और जो महिलाओं गांव छोड़ कर बाहर जा सकती है उनके जरिये बाजारों की उपलब्धता की सम्भावना की छान बीन की जा सकती है। यह महिलाओं और उनके परिवारों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगा और संम्भवत्या महिलाओं को निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम योग्य बना सकेगा। यद्यपि, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, यह मान्यता कि वर्द्धित आर्थिक योगदान, निर्णय लेने की वर्द्धित क्षमता की ओर प्रवृत्त करता है जो फिर वर्द्धित कल्याण में रूपान्तरित होता है, इसका परीक्षण करने और आगे और समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार की परियोजना के कारगर होने के लिये, परिवार का समर्थन और साथ ही इस उद्देश्य के लिये भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने में समुदाय का निर्णय आवश्यक होगा, इसी तरह से, बाजारों की उपलब्धता भी आवश्यक होगी। यह केवल उन क्षेत्रों में परीक्षण किया जा सकता है जहाँ पर्याप्त भूमि तथा जल उपलब्ध है और जिन क्षेत्रों में महिलाएं रूचि लेती हैं।

ckDl 19-2 % efgyk,¡ vkSj izkd`frd lalkèku izcUèk

अफ्रीका में अधिकांश महिलाएं अपनी और अपने परिवारों की उत्तरजीविता के लिये सीधे अपने स्थानीय पर्यावरण तथा संवहनीय प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। रहन–सहन के वातावरण के दैनिक प्रबन्धकों के रूप में, उन्हें कृषि और खाद्य उत्पादन, मछली पालन, वनों, मृदा, ऊर्जा और जल संसाधनों के प्रबन्ध में अनुभव है और उन्होंने अपनी पारम्परिक जीवन निर्वाह गतिविधियों के आधार पर संरक्षण में अपने कौशल विकसित कर लिए है स्थानीय स्तर पर, महिलाओं द्वारा की गई सहकारी कार्रवाई प्रदर्शित करती है कि अपना ज्ञान तथा अनुभव बांटने से वे पर्यावरण को उन्नत कर सकती हैं और संवहनीय विकास को बढ़ावा दे सकती है।

ckèk i'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से सम्बन्धित पांच मुख्य जेंडर सम्बन्धी मुद्दों को सूचीगत करें।

....

....

....

....

19-5 efgykvk dh xfrfofèk;k vkj ikfjfLFkfrdh; vkj okrkoj.k lcèkh ljkdkj&nk rjQk lEcU/k

संवहनीय विकास के लिये पर्यावरण तथा वन विकास बहुत अहमः सरोकार हैं। बंजर भूमि, सामाजिक वानिकी और मरूस्थल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर कार्य पर रखा जाता है। इन क्षेत्रों में बजट को 23.5% कम कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के बीच धूमहीन चुल्हे को उत्साह के साथ बढ़ावा दिया गया है क्योंकि वे महिलाओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वो कम नुकसान देय है। इस परियोजना के निधियन हेतु सरकार के बजट को 18.5% घटा दिया गया है।

एस.ए.पी. (सैप) का सर्वाधिक विचित्र असर पर्यावरण और वनों के विकास पर पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में, पर्यावरण एक सर्वाधिक विवादग्रस्त राजनीतिक मुद्दा बन कर उभरा है। रिओं शिखर सम्मेलन में, भारत से आए सरकारी संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों ने भावपूर्ण प्रस्तुतियों द्वारा अपनी उपस्थिति से अवगत कराया। तथापि, वास्तविकता यह है कि, पर्यावरण तथा वन विकास के लिये समग्र बजट में से 18% कम कर दिया गया है।

ईंधन लकड़ी के संकट के संदर्भ में, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन जैसे बायोगैस और सौर ऊर्जा उपकरणों को वृहद महत्व मिला है। तथापि, सरकार ने इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिये बजट को क्रमशः 26.3% और 25.4% कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर शोध के लिये आवंटित निधि को 26.3% कम किया गया है। एक ओर, जहाँ पर्यावरणीय रूप से पुनर्नियोजित कार्यक्रमों का प्रश्न उठता वहां है; संसाधन ''क्रन्च'' (कठिनाई) उत्पन्न किया गया जबकि दूसरी ओर, विवादास्पद महापरियोजनाएं जैसे सरदार सरोवर, दाभोल विद्युत शक्ति संयत्र और नर्मदा बांध इत्यादि के लिये लाखों रुपयें उपलब्ध कराए गए हैं। मॉर्स समिति, विख्यात पर्यावरणवादी, गुजरात से बाहर और भारत में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से अधिकांश गैर सरकारी संगठनों ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की आलोचना की है क्योंकिवे 240.000 लोगों का नुकसान करेंगे और बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देंगे।

19-5-1 fodkl dk uke ij foLFkkiu

सर्वाधिक विक्षुब्ध करने वाला पहलू यह है कि शहरी गरीबों को रहने और कार्य करने के स्थान से हटा कर वहाँ पर पार्किंग स्थान और फलाईओवर बना दिये गए हैं। बीसवीं

शताब्दी के दौरान, शहरी गरीब महिलाएं खाद्य, मादक पेय, तम्बाकू, वस्त्र, और लकड़ी/बांस/बेंत और मूर्तिका कला या भांड उद्योगों में काम के लिये नियोजित की जाती रहीं। यहां भी, वे छंटनी के लिये चुनी जाती रहीं और उन्हें असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। महिलाओं को विपणन दुकानदारी, बिक्री स्थलों से बाहर जाने के लिये मजबूर कर दिया गया क्योंकि वैश्विक व्यापारियों ने स्थानीय श्रम तथा कौशल को लुप्त प्रायः (या अप्रचलित) कर दिया है।

महाविकासात्मक योजनाओं तथा कार्यक्रमों का जेंडर लेखा परीक्षण उन निःस्रावों को बंद करने में अत्यन्त उपयोगी हैं जो महिलाओं का विसशक्तिकरण करते हैं और रोजगार, शैक्षिक अवसरों, कौशल विकास, हकदारी ओर परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में महिलाओं का घटक सम्मुख लाने में भी उपयोगी है।

पूंजी चालित विकास से, गरीब लोगों का उनके निवास स्थान तथा कार्यस्थाल से बलात् निश्कासन हुआ है और इससे भंयकर मानवीय दुर्गति करने का अपराध हुआ है। महापरियोजनाओं के लिये स्थान बनाने के लिये बलात् निश्कासन पर टिप्पणी करते हुए, संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कमेटी ने सोलहवें सत्र, 1997 में कहा :

''महिलाएं एवं अन्य दुर्बल (या असुरक्षित) व्यक्ति तथा समूह बलात् निश्कासन की प्रथा से अनानुपातिक रूप से कश्ट भोगते हैं। वैधानिक तथा अन्य रूप के भेदभाव जो कि प्रायः सम्पत्ति अधिकारों (घर के स्वामित्व समेत) या सम्पत्ति या आवास गम्यता के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं की सीमा के होते हुए सभी समूहों की महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित होती है और विशेषत्या जब वे निवास स्थान या घर बगैर हो जाती है तो हिंसा के और यौन दुर्व्यवहार के कृत्य के समक्ष उनकी दुर्बलता सामने आती है।

19-5-2 ikdfrd rFkk ekuo fufe:r vkinkvk dk dkj.k foLFkkfir tul[;k

प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और सामाजिक आपदाओं जैसे जातिगत, साम्प्रदायिक, नृजातीय संघर्ष और युद्ध और विकास के नाम पर आर्थिक आपदाओं (लोगों को विस्थापित करके महा यत्र, शॅपिंग प्लाज़ा और मुम्बई में 350 फलाई ओवर का निर्माण) से सर्वाधिक उत्पीड़ित महिलाएं होती है जिन्हें इससे जूझने के लिये उचित आवास गृह नागरिक सुविधाओं, सुरक्षित परिवहन और कार्य के सम्बन्ध में पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

भारतीय पेटेन्ट अधिनियम जो कि प्रक्रिया एकस्व (पेटन्ट) प्राप्त करने पर आधारित है को संशोधित करने के लिये गेट का दबाव अनिवार्य औशधियों को बहुत मंहगा कर देगा। गरीब महिलाएं चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगी। अंतता, दस वृत अध्ययन (केस स्ट्डीस) जो कि बोट्सवाना, ब्राजील, चिली, घाना, जमाइका, पीरू, फिलीपाइन्स, कोरिया, श्रीलंका और ज़िम्बावे के अनुभवों पर आधारित है, बताते हैं कि जब तक सरकारों ने सैप (SAP) के साथ–साथ लोकनिर्माण कार्यों, पोषणीय सहायता, सार्वजनिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्षतिपूरक नीतियां सुनिश्चित नहीं की। महिलाओं ने सर्वाधिक कष्ट भोगा।

आई.सी.ई नीति अर्थात् आर्थिक सुधारों के पक्ष में सूचना, संचार और मनोरंजन के पास आम महिला को देने लिये कुछ नहीं है सिवाय अभाव, अपमान और अमानवीयकरण के

आर्थिक सुधारों द्वारा प्रारम्भ बाजार शक्तियों के स्वतन्त्र खेल ने भारतीय महिलाओं की बहुसंख्यक तादाद को घटक, श्रम और उत्पाद बाजारों में ज्यादा दुर्बल या संवेदनशील बना दिया हैं। भारत की सरकार ने वर्ष 2000 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग नियुक्त किया। इसका उद्देश्य पांच पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना था। वो पांच पहलु हैं – कानून का पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के लिये छत्र. कानून, महिला कामगारों और बाल श्रम और स्वास्थ्य देखरेख पर वैश्वीकरण का प्रभाव। उसकी सिफरिशों सिर्फ उन आर्थिक सुधारों के हित में कार्य करती हैं जो विश्व पूंजी, बहु राट्रीय कंपनियों और परा–राष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाती हैं।

19-5-3 Ätk rFkk lk;kZoj.kh; uhfr

1980 के दशक में, सरकारें तथा विकास एजेन्सियाँ अपने पर्यावरणीय तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध कार्यक्रमों में जेंडर सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता के प्रति ज्यादा जागरूक हो गई। इस वजह से परियोजना के डिजाइन तथा क्रियान्वयन में बदलाव आया है। आर्थिक नारीवादीयों ने नीति निर्माताओं के बीच नव जेंडर संवदेनशील उपागमों के उद्विकास में अहमः भूमिका अदा की है। परन्तु असल व्यवहार में, निहित आर्थिक स्वार्थ सर्वोच्च बने रहे।

19-5-4 ty uhfr dh tsMj ys[kkijh{kk

जेंडर अर्थशास्त्रियों ने जलशाला प्रबन्ध और वर्शा जल संग्रहण कार्यक्रमों की समीक्षा की है जो कि सिर्फ कृषि तथा उद्योग के लिये जल उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। अधिकांश ग्रामीण तथा शहरी गरीब महिलाओं को पेयजल तथा घरेलू उपयोग के लिये जल लाने और संग्रह करने के लिये कई घंटे लगाने पड़ते हैं।

नीति निर्माता, पहले तो इस बात की सराहना करने लगे कि महिलाएं, मृदा, जल, वनों और उर्जा समेत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ... और वे प्रायः अपने आसपास की प्राकृतिक दुनियां के बारे में गहन पारम्परिक तथा समकालिक ज्ञान रखती हैं। इसलिये, परियोजनाओं की जेंडर तटस्थता में आस्था या पूर्णत्या उपेक्षा के जरिये पर्यावरण सम्बन्धी परियोजनाओं से महिलाओं का अपवर्जन– परियोजना की विफलता का नुस्खा होगा।

तदन्तर, दाता एजेन्सियां महिलाओं को विशेष रूप से दुर्बल/अशक्त समझने लगी ''दैनिक पर्यावरणीय मैनेजर के रूप में उनकी जिम्मदारियाँ.. महिलाओं को प्राकृतिक पर्यावरण की अवनति तथा प्रदूषण का उत्पीड़ित (या शिकार) और अंशदाता दोनों ही बना देती है।

इसके दूसरी ओर, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण हेतु लड़ाई कर रही महिलाओं की बहुत सी जमीनी सफलताओं की कहानियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तान को हरा–भरा करना, कर्नाटका में अप्पिको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओर गुजरात में नर्मदा बचाओ आन्दोलन, टेहरी गढ़वाल और जुनागढ़, गुजरात में चिपको।

19-5-5 df"k {ks= esa tsMj dks eq[;èkkjk esa ykuk ¼esuLVªhfeax½

कृषि उत्पादन के समस्त पहलुओं में महिलाओं की विस्तृत प्रतिभागिता के चलते, जेंडर को कृषि क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ाने के लिये मुख्य कार्यनीति है बल्कि संवहनीय कृषि ओर ग्रामीण विकास के लिये

भी मुख्य रणनीति है। मेनस्ट्रीमिंग दृष्टिकोण का मुख्य परिणाम यह हुआ कि महिलाओं से सम्बन्धित जिन बातों पर पहले पृथक मुद्दों के रूप में, अलग से विचार किया जाता था, जिसने राजकीय व्यवस्था और अन्य सामाजिक संरचनाओं में उनके उपान्तीकरण की ओर अग्रसर किया था, वह अन्य दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। जो न सिर्फ महिलाओं को ज्यादा भौतिक संसाधन उपलब्ध कराता है परन्तु यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला किसानों को व्यश्टि स्तर पर ज्यादा वृहद सुविधाएं प्रदान की जाएं।

इसके बावजूद, कई क्षेत्र रह गए है जहां जेंडर समानता में प्रगति कोई विशेष नहीं हुई और जो भविष्य के लिये चुनौतियां प्रकट करते हैं। इनमें समाविष्ट हैं महिलाओं की भू–भूगम्यता, संसाधन हकदारी और आगतें (इनपुट्स) जैसे कि ऋण और प्रौद्योगिकी की गम्यता का अभाव और इस क्षेत्र में नियोजन और नीति के निर्माण में महिलाओं द्वारा सीमित भूमिका निबाहना। विस्तार या प्रसार सेवाओं के साथ भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम सम्पर्क रहता है। और सामान्यत्या महिलाएं, पहुँच की समस्याओं, फसलों और पशुओं पर शोध में कम रूचि के कारण या उपयोग पर सांस्कृतिक प्रतिबन्धों की समस्याओं के कारण ज्यादा निम्न स्तरों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। अतः कृषि विकास को, ज्यादा प्रभावी और रूपान्तरणपरक दृष्टिकोण सृजित करने के लिये जेंडर पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इससे गरीबी कम होगी और सबके लिये भूख का उन्मूलन होगा, और पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समता भी सुधरेगी। कई क्षेत्रों में, महिलाएं – बहुसंख्यक किसान है और साथ ही नकारात्मक प्रभावों को झेलने के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त है। इसका कारण हे, भू–अधिकारों ऋण, आय, परिवहन और शिक्षा के सम्बन्ध में असमान पहुँच।

19-5-6 fdlkuks rFkk df"k etnjksa ds :Ik esa efgyk,a

महिला किसान और कृषि कामगारों के पदबंध समस्त कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों जैसे कि पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में समस्त वेतनिक तथा अवेतनिक कार्य समाविष्ट करते हैं। यह कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में कार्य कर रही समस्त महिलाओं का संकेत करता है। महिलाएं कृषिगत कार्यबल का 40% हैं और यह प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में समस्त ग्रामीण परिवारों का अनुमानित 20% विधवापन या अन्य कारणों की वजह से, वस्तुतः महिला प्रधान परिवार हैं। कृषि कार्य और श्रम के वर्द्धित स्त्रीकरण का अर्थ है उस क्षेत्र में, जो पहले से ही क्षीणता का अनुभव कर रहा है, महिलाओं का केन्द्रीकरण। इसी कारणवंश संकट की वजह से कृषिगत जनसंख्या की निराश्रयता या अभावग्रस्तता का अर्थ गरीबी का स्त्रीकरण भी हुआ।

19-5-7 df"kd ladV vkSj efgykvksa ij blds izHkko

दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, कृषि क्षेत्र की संवृद्धि की दर में प्रतिवर्ष 1. 8% की गिरावट के साथ, कृषि संकट की अभावग्रस्तता का अर्थ गरीबी का स्त्रीकरण भी हुआ। इसके अतिरिक्त, फसलों के पैटर्न में परिवर्तन, भूमि को वाणिज्यिक फसलों के लिये उपयोग करना, वनों का क्षीण होना और वनों की उपलब्धता के क्षय ने महिलाओं, विशेषरूप से जनजाति, दलित और पशुचारण समुदायों से महिलाओं जो कि वनों की मुख्य प्रयोक्ता है, को जीविका खोने की ओर अग्रसर किया है। उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषिगत ऋण पर जो आर्थिक सहायता मिलती थी उसे हटा देने के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन की उच्च आगत लागतें समस्या को बढ़ा रही हैं। सुधार उत्तरोत्तर काल में कृषि संकट प्रकट करने वाली अन्य प्रवृति विपदग्रस्त प्रवसन में वृद्धि रही है। जहाँ महिलाएं अपने परिवार के साथ देशान्तरण करती हैं वहां उन्हें दुगना भार वहन करना पड़ता है

परिवार की देखभाल करने और निर्माण स्थलों, ईंट भट्टे इत्यादि में कार्य करने का। इसका परिणाम महिलाओं के विरूध हिंसा में वृद्धि की ओर प्रवृत करने के अलावा, महिलाओं को अवैध मानव व्यापार और अन्य प्रकार के शोषण के प्रति ज्यादा दुर्बल बनाने का हुआ।

19-5-8 df"kxr fodkl gsrq tsMj iHkko dh dV uhfr ds fuekZ.k dh vksj

(बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन के एग्रीकल्चरल डेवलेपमेंट इनिशिएटिव द्वारा विश्लेषण)

1) सब–सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भूखमरी तथा गरीबी को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र रूपान्तरणीय होने की शक्ति रखता है। यद्यपि, यह विदित है कि आजकल हमारे फोकस के क्षेत्रों में महिलाएं कृषिगत श्रम का 60–80% प्रदान करती हैं, परन्तु अपने योगदान को अधिकतम करने और उससे लाभ कमाने के लिये अपेक्षित संसाधनों तथा अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित है। यह सीमाएं महिला किसानों का अपना जीवन और अपने परिवारों का जीवन सुधारने की क्षमता को अवरूद्ध करती है। यह सीमाएं गरीबी और भूखमरी समाप्त करने में कृषि की रूपान्तरणीय शक्ति को भी अवरूद्ध करती हैं।

2) एग्रीकल्चरल डेवलेपमेंट इनिशिएटिव (या कृषिगत विकास पहल) मानता है कि अपेक्षित असर प्राप्त करने के लिये, प्रत्येक उपलब्ध संसाधन और उपकरण का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये करना चाहिए कि महिलाएं कार्य के प्रत्येक पहलू में सक्रिय प्रतिभागी हैं। उस हद तक, जेंडर मुख्यधारीकरण कूटनीति यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रत्येक प्रस्ताव में महिलाओं और बालिकाओं की व्यवहारिक आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण हितों पर विचार किया जाता है और कि जेंडर भूमिकाओं की जटिलताओं को समझ लेने से हमारे परियोजना के लक्ष्य और डिजाइन परिष्कृत करने में सहायता मिलती है। हमारी कूटनीति यह सुनिश्चित करती है कि जेंडर इस बात में आगे रहता है कि किस प्रकार कार्य का प्रत्ययीकरण हो और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए। अतः वे लोग जिन पर सर्वाधिक भारी जिम्मेदारी है और जो बिल्कुल कम सशक्तिकृत है उन्हें– संसाधनों का प्राथमिक लाभार्थी और साथ ही कृषि विकास में स्थायी परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक भी होना चाहिए।

3) जेंडर प्रतिघात (इम्पैक्ट) का अभिप्राय होना चाहिए कि महिलाएं और पुरुष समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं जिससे कि वे आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को व्यक्त कर सकें और नेताओं, नीति निर्माताओं, और दाताओं के समक्ष उनकी सुनावाई हो सकें। इसका अर्थ है कि जो लोग प्रभावशाली तन्त्रों से सर्वाधिक उपान्तीकृत है और जिन्हें कार्यशील बाजारों और सेवाओं की गम्यता प्राप्त होना बहुत कम संभावित है, उनकी राय सुनने और समझने के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। महिलाओं और छोटे भू–धारक किसानों द्वारा ज्यादा वृहद मताधिकार और प्रतिभागिता महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिये और सम्पूर्ण समुदाय के परिवारों के लिये स्वास्थ्य, पोषण और गरीबी में सुधार की ओर अग्रसर करेंगे।

ckDl 19-3 % e[; iz’u

- कृषि की प्रत्येक अवस्था में पुरुष और महिलाएं क्या भूमिका अदा करते हैं?
- पिछले 23 वर्षों में इन भूमिकाओं में किस प्रकार बदलाव आया है?

- पुरुषों और महिलाओं द्वारा कृषि में जो भूमिकाएं अदा की जाती है वे किस प्रकार से आयु, वैवाहिक स्थिति, सम्पदा, नृजातीयता और परम्परा द्वारा प्रभावित होती है?
- क्या पुरुषों तथा महिलाओं की भूमिकाएं घर के अन्दर और बाहर सौदा करने की उनकी शक्ति को प्रभावित करती हैं?
- क्या कृषि में जेंडर भूमिकाएं इस आधार पर भिन्न होती है कि किसकी भूमि पर और किन शर्तों पर, कार्य होता है यानि कि, अपनी भूमि, सांझी खेती, (शेयर क्रोपिंग) बंधक, कृषिगत श्रम?

Lkkr % http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPANO18206.pdf 14 जुलाई 2010 को गम्य किया गया।

ckèk iz'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. ''महिला किसान'' पदबंध से आप क्या समझते हैं?

....
....
....
....

2. महिलाओं पर कृषि संकट के प्रभाव को संक्षेप में स्पष्ट करें।

....
....
....
....

19-6 Ik;koj.k rFkk ikfjfLFkfudh; Ijkdkj

पर्यावरण के साथ महिलाओं के सम्बन्ध के अंतर्गत संसाधन प्रबन्धन में उनकी भूमिका के अतिरिक्त भूमि, वन, जल संसाधनो के साथ उनका सम्बन्ध भी आता है। कृषि पर पिछले अनुभाग में इन पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसलिये दोहराने से बचने के लिये, उन्हीं मुद्दों पर पर्यावरण सुरक्षा हेतु महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी।

19-6-1 Ik;koj.k dk tsMj dk lkFk tkMuk % ,d ifjp;

पर्यावरण और जेंडर पर चर्चा दो दिशा निर्देशों पर आधारित है: कि

1. जेंडर मानवीय/पर्यावरणीय अंत:क्रियाओं और समस्त पर्यावरणीय उपयोग, ज्ञान, और मूल्यांकन की मध्यस्थता करता है; और

2. जेंडर भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, मानदंड, और श्रम का विभाजन, वातावरण के साथ सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्धों को आकार देते हैं ;

रवांडा से उदाहरणः (1) रवांडा में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंची है– दो प्रतिशत से ज्यादा। आर्थिक सहायता देने वाली एजेन्सियों द्वारा परिवार नियोजन प्रारम्भ करवाने के किसी भी प्रयास को सरकार, चर्च और मस्जिदें द्वारा काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। यह जेंडर का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा नहीं, क्योंकि इन तीनों संस्थाओं को पुरुष नियन्त्रित करते हैं। (2) उस स्थल पर जहाँ अमेरिकी इंजीनियरों ने पानी के लिये नवीन कुओं की खुदाई की है, भू जल की गुणवत्ता नदी के जल से कहीं ज्यादा अच्छी थी। जबकि पारम्परिक रूप से समुदाय के लिये जल का स्रोत नदी जल ही था। महिलाएं, जो जल लेने जाती थी, उनको इतनी दूर तक नहीं चलना पड़ता था, क्योंकि कुऐं समुदाय के ज्यादा समीप थे बजाय नदी के। तथापि कुएं बिना उपयोग के ही रहे, क्यों? क्योंकि युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतःक्रिया का मुख्य अवसर तब होता था जब महिलाएं नदी पर जल भरने जाती थी और पुरुष मछलियाँ पकड़ने या फसलों की सिंचाई करने का काम कर रहे होते थे।

यह समझने के लिये दो उदाहरण हैं कि मुद्दों को क्यों जेंडर और वातावरण कहा जाए न कि महिलाएं और वातावरण। उपर्युक्त दो सामान्य दिशानिर्देश निम्नलिखित समेत विभिन्न प्रकार के वातावरणीय सम्बन्धों और अंतः क्रियाओं में प्रकट होते है :

- जेंडर भेदभाव प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रबन्ध में, और परिवार, समुदाय इत्यादि में असमान सम्बन्धों में स्पष्ट हैं;
- जेंडर सम्बन्धी भेदभाव जीविका की रणनीतियों में जो कि पर्यावरण के विशिष्ट उपयोगों में स्थित है दृष्टिगोचर होते हैं;
- जेंडर भेदभाव पर्यावरण के ज्ञान, विशिष्ट संसाधनों, और पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के ज्ञान में दृष्टिगोचर होते है;
- जेंडर सम्बन्धी भेदभाव संसाधनों का प्रबन्ध करने, उनका मालिक होने या संसाधनों का उपयोग करने, और संसाधन के अधिकारों में बहुत स्पष्ट है; और
- जेंडर सम्बन्धी भेदभावों को पर्यावरण के किया करते समय, पर्यावरण के प्रत्यक्ष ज्ञान में और साथ ही प्रकृति के अवबोधन तथा पर्यावरणीय समस्याओं की प्रचंडता में देखा जा सकता है।

जेंडर सम्बन्धों, पर्यावरणीय परिवर्तन और दुर्बलता के बीच सम्बन्धों का अध्ययन अभी प्रारम्भ ही हुआ है। निम्न पर्यावरण के प्रभावों के प्रति अति संवेदनशीलता लिंग विभाजित है या जेंडरड है और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधारों के प्रभाव समुदाय एक ही उसी तरह से असर नहीं डालते है। भिन्न कारकों जैसे प्रजाति, आयु, वर्ग और जेंडर के आधार पर प्रभाव भिन्न–भिन्न पड़ते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण सम्बन्धी परिवर्तन के साथ मुकाबला करने या इसके लिये क्षतिपूर्ति करने की क्षमताएं जेंडर अनुसार होती हैं या जेंडर्ड होती हैं।

19-6-2 Ik;koj.kh; tkf[kek d: tsMj iHkko e: Hkkn% d|N mnkgj.k

जेंडर–विभाजित कार्यबल महिलाओं और पुरुषों के लिये पर्यावरण सम्बन्धी जोखिमो के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न अनुभव सृजित करता है। इन उदाहरणों पर ध्यान दें :

- पुरुष सम्भवतया खदानों में उपयोग किये जाने वाले विशैले रासायनिकों से प्रभावित हो सकते हैं; महिलाएं निर्यात फूल उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कटिनाशकों से प्रभावित होंगी।
- महिलाओं और पुरुषों की आय–अर्जनकारी गतिविधियों के लिये विशिष्ट संसाधनों (ईंधन, जल) की आवश्यकता हो सकती है जो कि विशेष प्रकार के अवषेश उत्पन्न करते हैं;
- पर्यावरणीय प्रदूषण पुरुषों तथा महिलाओं के लिए भिन्न–भिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी संकट उत्पन्न करता है – गृह–आधारित संकटों के प्रति महिलाएं विशेष रूप से अति संवेदनशील हो सकती है जैसे कि घर के अन्दर धुआं;
- जब संसाधन बहुत कम हो जाते हैं तो परिवार के लिये संसाधनों (जल, ईधन, भोजन) की व्यवस्था करने की महिलाओं की घरेलु जिम्मेदारी बढ़ जाती है;
- यदि पर्यावरणीय संकटो से बीमारियाँ होती हैं, तो परिवार के बीमार (रोग ग्रस्त) सदस्यों की देखभाल करने के लिये पुरुष और महिलाओं की भिन्न–भिन्न जिम्मेदारियाँ होती हैं;
- पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाएं उम्र, वर्ग, पारिवारिक सोपानिकी और जेंडर के अनुसार भिन्न होती है; और
- शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रणालियों में पूर्वाग्रहों का अभिप्राय यह हो सकता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन या संसाधन की स्थितियों को समझने, उनके साथ जूझने, और उसका पूर्वानुमान करने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सुसज्जित होती हैं।

इन सब लैंगिक या लिंग आधारित सम्बन्धों का एक संचयी प्रभाव यह होता है कि पर्यावरण के और पर्यावरण की अवस्था के बारे में अवबोधन भी जेंडर अनुसार आकार ग्रहण करते हैं।

cks/k iz'u 3

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. महिलाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय जोखिमों के दो उदाहरणों की चर्चा करें।

....

....

....

....

19-6-3 lk;koj.kh; ifj;kstukvksa esa tsaMj lerk

1980 के दशक में, सरकारें और विकास एजेन्सियां अपने पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध कार्यक्रमों में जेंडर सम्बन्धी (या लैंगिक) मुद्‌दों पर सोच–विचार करने की आवश्यकता के प्रति काफी अधिक जागरूक हो गई। इसके फलस्वरूप परियोजना के डिजाइन (या रूपरेखा) और क्रियान्वयन में बदलाव आया। नीति निर्माता पहले तो इस बात की सराहना करने लगे कि महिलाएं, ''मृदा, जल, वन और ऊर्जा – समेत प्राकृतिक

संसाधनों के प्रबन्ध में अनिवार्य भूमिका अदा करती है....... और उन्हें प्रायः अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश का प्रगाढ़ पारम्परिक एवं समकालीन ज्ञान होता है'' (विश्व बैंक, 1991)। पर्यावरणीय परियोजनाओं में महिलाओं की, सोद्देश्य उपेक्षा या परियोजनाओं की जेंडर तटस्थता में विश्वास के कारण उन्हें बाहर निकालना (या अपवर्जन)– परियोजना की विफलता के लिये सूत्र होगा।

कुछ वर्षों के बाद, दाता एजेन्सियां महिलाओं को विशेषरूप से नाजुक (या दुर्बल) समझने लगीं: ''दैनिक पर्यावरणीय प्रबन्धकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ......उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के अद्यपतन और प्रदूषण का शिकार और योगदानकर्त्ता दोनों बना देती है'' (पूर्वोक्त)।

इसके दूसरी ओर, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण हेतु लड़ाई कर रहीं महिलाओं की बहुत सी जमीनी सफल कहानियों से धीरे–धीरे जागरूकता उत्पन्न हुई है ...... जैसा कि 'पावर टू चेंज' (वूमेनस् से फीचर सर्विस,1994) में वर्णन किया गया है। इससे प्रवृत होकर फिर महिलाओं को बेहतर पर्यावरणीय प्रबन्ध के हित में उपयोग में लेने के लिये 'वृहद स्थानीय परिसम्पत्तियों के रूप में देखा जाने लगा। (ब्रेडोत्ती एवं अन्य में उद्धत, डेविडसन 1994)

कुछ देशों में, नव पर्यावरणीय परियोजनाएं इस बात के मूल्यांकन पर आधारित हैं कि क्या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोक्ता पुरुष हैं या महिलाएं हैं जिससे कि सेवाओं की सुपुर्दगी 'सही या उचित लोगों को हो'। उदाहरण के लिये वृक्ष उत्पादनों के भिन्न–भिन्न उपयोगों और भिन्न किस्मों के लिये पुरुष और महिलाओं की भिन्न–भिन्न पसन्द (वरीयता) को जान लेने पर सामाजिक वानिकी योजनाओं की रूपरेखा पुनः तैयार की गई : पुरुष निर्माण तथा बाड़े के लिये ठेठ रूप से इमारती लकड़ी (टिम्बर) पसन्द करते हैं, जब कि स्त्रियों को चारा और लकड़ी ईंधन चाहिये होते हैं। जल तथा स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों में जल समितियों में या सुविधाओं का रखरखाव करने में स्त्रियों की सहभागिता अनिवार्यता बनती जा रही है बजाय अपवाद बनने के।

19-7 uru mikxe % fl)kUr cuke vH;kl

नूतन दृष्टिकोण के लिये तर्काधार हमेशा से परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय दिखाई नहीं देता है। इस प्रथा के कभी–कभी प्रभावहीन होने के कारण है :

Ikgyk, परियोजना के प्रयोजनों को नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सामुदायिक स्तर की संस्थाओं (जैसे कि वो जिन्हें उत्तरी पाकिस्तान में आगा खान कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया गया) को पर्यावरणीय प्रबन्ध कार्य देने का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम परियोजना संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच का जिम्मा नहीं लेते हैं। वास्तव में, परियोजना की सभी अवस्थाओं पर महिलाओं को जोड़ने या अंतर्ग्रस्त करने से प्रायः महिलाएं परियोजना के लाभों में से उचित हिस्सा पाए बगैर स्वैच्छिक कार्य करने के लिये बाध्य हो जाती हैं।

nl jk] अंतर्निहित समस्याओं के जेंडर विश्लेषण की तुलना में, पर्यावरणीय परियोजनाएं सीमित समूह के उद्देश्यों को बढ़ावा देती हैं। नीतिगत दस्तावेज (विश्व बैंक, 1991) स्वीकार करते हैं कि सम्पत्ति अधिकारों का अभाव पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करने की महिलाओं की क्षमता को कम करता है परन्तु नया उपागम इस मुद्दें पर विचार नहीं करता है। दातागण अभी भी महिलाओं को संसाधनों का प्रबन्ध करने और परिसम्पत्तियां निर्मित करने में सहायता के लिये उन्हीं को ऋण देने का पक्ष लेते है। यह मान लेना अपरिपक्व होगा कि भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों पर पुरुषों का पारम्परिक नियन्त्रण अभी

हाल ही में लिये गये प्राकृतिक संसाधनों पर विस्तरित नहीं होगा। अतः महिलाओं के सीमित सम्पत्ति अधिकारों को ध्यान में लिये बगैर अलग–अलग परियोजनाओं में उन्हें सत्ता सौपने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से असफल होगा।

19-8 vkx dh vkj dne % efgykvk dk lalkèkuk ij fu;U=.k etcr djd mudk l'kfDrdj.k

क्या पर्यावरणीय परियोजनाओं में संसाधनों पर महिलाओं के नियन्त्रण को मजबूत करने का कोई तरीका है? महिलाओं को सम्पत्ति के स्वतन्त्र अधिकारों और वर्द्धित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी करने (या जिम्मेदारी लेने) के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता हैं। तथापि, ऐसे सुधार होने में समय लगता है। नव प्राप्त अधिकारों पर हक जमाने के लिये महिलाओं की क्षमता निर्मित करके स्थानीय स्तर पर उन्हें पूरकता प्रदान करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए सुझाया एक उपागम या दृष्टिकोण स्त्रियों द्वारा 'सामूहिक कार्य के लिये प्रोत्साहन है (अग्रवाल, 1994)। यह प्राकृतिक संसाधनों पर अवियोज्य उपयोग अधिकार प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है– यद्यपि यह अनिवार्य तौर पर सम्पति अधिकार नहीं है महिलाओं को अधिकारों को उपयोग करने के अवसर समूह के रूप में ज्यादा मिलते है बजाय के एक व्यक्ति के रूप में। भारत में बंजर भूमि विकास परियोजनाओं (जैसे पश्चिमी बंगाल में बांकुरा परियोजनाएं) ने वनों का पुनरूद्धार करने और भूमि की उत्पादकता उन्नत करने के लिये महिला समूहों के प्रयत्नों की सफलता पूर्वक सहायता की है। वो निजी भूमि की तुलना में सर्वनिष्ठ (या सांझी) सम्पत्ति पर महिलाओं के ज्यादा वृहद उपयोग अधिकारों पर आधारित किए जाते हैं। परन्तु यहां महिलाओं को पहल करने रहना चाहिए : भारत में नई सरकारी नीतियां जिसमें पुरुष प्राबल्य है वाली सामुदायिक संस्थाओं के अंतर्गत वनों के सामूहिक प्रबन्ध को औपचारिक रूप दे रही है परन्तु इसके साथ ही वो वन संसाधनों में महिलाओं के पारम्परिक सम्पत्ति अधिकारों को दुर्बल बना रही हैं।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध की समस्याओं का समाधान करने में महिलाओं की सामूहिक कार्यवाहियों समर्थन, पुरुषों के साथ महिलाओं के सम्बन्धों में उनकी सौदागरी शक्ति मजबूत करने की सामान्य रणनीति का एक दृष्टांत है। अन्य उदाहरण खोजने की आवश्यकता है ताकि व्यापक सीमा की पर्यावरणीय समस्याओं में इस दृष्टिकोण की नीतिगत प्रासंगिकता विकसित की जा सके।

जबकि निर्णयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है, समुदाय और पारिवारिक स्तरों पर प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक हस्तांतरण में भी उनकी प्रतिभागिता बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि उनके आसपास के वातावरण, और उनके स्वास्थ्य और जीविका पर इसका तुरन्त प्रभाव पड़ेगा। यह समुदाय/ परिवार में उनकी निर्णयन शक्तियों को भी प्रभावित करेगा। परन्तु इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि महिलाएं अपने जीवन की भिन्न अवस्थाओं पर, उदाहरण के लिये जननीय आयु की अवस्था में, पर्यावरणीय संवहनीय, प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भिन्न–भिन्न तरह से प्रभावित होंगी।

19-8-1 efgyk,a] ty vkj LoPNrk

जल सम्बन्धी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने पर हम देखते हैं कि महिलाएं जल की मुख्य प्रयोक्ता हैं, और अधिकांश प्रयुक्त जल को घर से निकालती भी हैं – खाना पकाने,

धुलाई, सफाई, बच्चों को नहलाने, इत्यादि के जरिये। परिवार के सदस्यों की साफ सफाई बनाए रखने में भी वे मुख्य खिलाड़ी हैं। जल को संवहनीय ढ़ंग से उपयोग करने के लिये उन्हें चयनित प्रौद्योगिकियों के बीच अंतः सम्बन्धों से जागरूक करना आवश्यक है कि किस तरह से पेय जल की व्यवस्था करने में जल को निकालने में, और स्वच्छता एवं सफाई सम्बन्धित मामलों में उसे प्रयुक्त एवं इस्तेमाल किया जाता है। अतः महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया, अथार्त् इ.एस.टस के चयन, और साथ ही क्रियान्वयन में, अथार्त् इ.एस. टी.स. को अपनाना और उपयोग करना दोनों में सहभागिता करना आवश्यकता है।

जिन मुख्य निर्णयों के लिये महिलाओं के साथ परामर्श करना आवश्यक है उनमें समाविष्ट है : जल सुविधाओं की स्थिति; प्रौद्योगिकी का चुनाव या विकल्प; पंप रखवालों; जल समिति के सदस्य तथा अन्य कार्मिकों का चयन; और वित्तपोषण प्रणाली का चुनाव एवं प्रबन्ध। यदि उच्चतर स्तरों पर महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व रहता है, तो जमीनी स्तर पर प्रतिभागिता ज्यादा प्रभावपूर्ण होगी।

इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि महिलाओं की प्रतिभागिता सस्ते श्रम का मात्र स्रोत न बन जाए। आज की तिथि तक, महिलाओं की सहभागिता मौटे तौर पर स्वैच्छिक निर्माण कार्य में या जल समिति के सदस्यों के रूप में, घिसे–पिटे या रूढ़िबद्ध भूमिकाओं में रही है जैसे कि : निधि के लिये धन जुटाना, फीस वसूल करना, स्वास्थ्य और साफ–सफाई की शिक्षा या सफाई है। महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण के साथ भी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के तकनीकी और प्रबन्धकीय पहलुओं से भी जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिये, भारत में राजस्थान राज्य में ऋण स्कीमों और चक्रदार निधियों के प्रबन्धन में महिलाओं का जुड़ाव दर्शाता है कि पम्प मैकेनिकों के रूप में पुरुषों के बजाय महिलाओं को भर्ती करने से प्रारम्भिक लागतें उच्च रहीं परन्तु दीर्घकाल में अधिक कुशलता एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं।

> **ckD l 19-4 % d:l LVMh**
>
> दिबूची के जिलों और नगरांचलों में, लोगों ने अपने घरों की परिसीमाओं के अन्दर बंधन (बोर) कुओं की खुदाई की, जहां उन्होंने शौचालयों के उद्देश्य से सुराखों की भी खुदाई की। इस का परिणाम जल संदूषित करने, और जल संक्रामक रोग फैलने का हुआ, जिस कारण बहुत से बच्चे मृत्यु का ग्रास बन गए। ऐसी स्थिति से बचाव हो सकता था यदि महिलाओं की आवश्यकताओं और कामनाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से ई.एस.टी. का चयन किया जाता और अपनाया जाता।

19-8-2 cxykn'k l vuHko % cxykn'k coMj & ifrfØ;k efgykvk dh t:jrs ij k djus e vlQy jgh

आपदाएं हमेशा जेंडर – तटस्थ नहीं होती हैं। बांगलादेश में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि वर्ष 1991 के चक्रवात और बाढ़ के फलस्वरूप महिलाओं ने सर्वाधिक कष्ट भोगा। 20–44 वर्ष की आयु की महिलाओं में, मृत्यु दर प्रति हजार 71 थी जब कि पुरुषों की स्थिति में मृत्यु दर प्रति हजार 15 थी। आपातकालीन चेतावनियां क्योंकि मुख्यतः लाउडस्पीकर और बोल कर के दी गई थी, महिलाओं की निम्न साक्षरता दर के कारण यह जानकारियों उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाई है। महिलाओं की उच्चतर मृत्यु दर के पीछे अन्य कारक भी थे। महिलाएं अपने पतियों द्वारा बच्चों की देखभाल करने और सम्पत्ति की रखवाली करने के लिये पीछे घर पर ही रूकी रहीं थी। महिलाओं की साड़ी उनकी गति को अवरूद्ध करती थी। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कुपोषित थी और शारीरिक रूप

से कमजोर थी। बवडंर के दौरान, सार्वजनिक आश्रयस्थलों में पर्दे के अभाव ने भी संभवत्या महिलाओं को शरण लेने से रोका होगा।

''महिलाओं को बच्चों की देखभाल और सम्पत्ति की रखवाली करने के लिये घर पर छोड़ा गया था।''

बवडंर आने के बाद, आपात कालीन चिकित्सा दलों में महिला कार्मिकों के अभाव ने महिलाओं को चिकित्सीय देखभाल जाने से रोका। आपदा क्षेत्रों में ले जाए गए उपकरण महिलाओं की ज़रूरते पूरा करने में अपर्याप्त थे। कई स्त्रियों ने पर्यावरणीय आपदाओं के दौरान अपने स्तन–पान पर निर्भर बच्चों को खोया है। गम्भीर संक्रमण और दुर्बल करने वाली वेदना से बचने के लिये स्तन दुग्ध निकालने के लिये पम्प अनिवार्य है। गर्भपात जो आपदाओं के बाद हमेशा होते हैं, उनमें बढ़ौतरी को रोकने के लिये उपकरण और औशधि उपचार की भी ज़रूरत होती है।

19-9 lk;koj.k ij dk;okbh grq ep

यह अनुभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनैप का प्रारम्भिक चेतावनी तथा मूल्यांकन प्रभाग, यूनैप का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी केन्द्र, के दस्तावेजों से लिया गया है : संहवनीय विकास कार्यसूची; को आगे बढ़ाना; संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन, बीजिंग समीक्षा 2000 समेत उसका क्रियान्वयन और आगे की कार्यवाही; जेन सुआन्तसिवा गोल्डस्मिथ द्वारा की गई, 18 जनवरी, 1999 को यू नैड – यू.के. ने अपना वार्षिक सम्मेलन, जिसका शीर्षक ''यू.एन.सहस्त्राब्दी सभा की ओर'' था, आयोजित किया।

''संवहनीय और पारिस्थितिकीय रूप से दुरूस्त उपभोग नमूनों (बानगी) और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के उपागमों या दृष्टिकोणों के विकास में महिलाओं की अनिवार्य भूमिका है।

1) पर्यावरण पर कार्रवाई हेतु मंच गरीबी और पर्यावरणीय अधः पतन के बीच सम्बन्ध बनाता है, और कि संवहनीय विकास की उपलब्धि के लिये गरीबी समाप्त करने के लिये प्रत्येक का सहयोग आवश्यक है।

2) संवहनीय विकास बढ़ाने में महिलाओं के योगदान और उनकी सामर्थ्य को मंच रेखांकित करता है।

3) महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों के अपने प्रबन्धन और उपयोग के जरिये, अपने परिवारों और समुदायों को गुजर बसर और संरक्षण प्रदान करती हैं।

4) पारिस्थितिकीय सम्बन्धों और पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रबन्ध के बारे में महिलाओं का देशी ज्ञान आजीविका हेतु उत्पादन के लिये मुख्य श्रमबल हैं

5) जनसंख्या का ज्यादा टिकाऊ भाग होने के कारण, महिलाओं का आसपास होना ज्यादा संभावित होता है उनके द्वारा अपने समुदायों में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और निवेश करना ज्यादा संभावित होता है।

6) महिलाओं ने प्रायः नेतृत्व की भूमिका निभाई होती है या पर्यावरण सम्बन्धी आचार–शास्त्रीय पुनर्चक्रीयकरण, और स्थानीय स्तर की गतिविधियों को बढ़ाने में अग्रणी की भूमिका अदा की है।

7) स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही महिला एन.जी.ओ. (गैर–सरकारी संगठनों) की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।

तथापि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण प्रबन्धन में नीतिगत निर्माण और निर्णयन के

सभी स्तरों पर महिलाएं मौटे तौर पर अनुपस्थित रहती हैं।

- नीति निर्माण में उनके कौशलों और अनुभव का सीमान्तीकरण हो जाता है।
- महिलाओं को पेशेवर प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धकों, नियोजकों, और कृषि वेत्ताओं के रूप में विरले ही प्रशिक्षितत किया जाता है।

19-10 fu"d"kZ

महिलाओं ने कृषि में हमेशा से केन्द्रीय भूमिका अदा की है, और खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और क्रय –विक्रय (या विपणन) की व्यापक प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, सभी विकासशील देशों में भूमि तथा जल प्रबन्ध में महिलाओं ने मुख्य भूमिका अदा की है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में जेंडर सम्बन्धी पांच मुख्य मुद्दें उभरे हैं वे विशेष महत्व के और निम्नलिखित हैं:

भूमि और जल संसाधनों की गम्यता; ऋण और अन्य सहायक सेवाओं की गम्यता; भूमिकाओं और गतिविधियों में जेंडर भेदभाव; जेंडर तथा कृषि प्रसार और शोध; महिलाओं का सशक्तिकरण और निर्णयन की एक समान पहुँच और जेंडर, कृषि जैवविविधता और वाणिज्यिकीकरण। अतः जेंडर का कृषिक्षेत्र में मेनस्ट्रीमिंग (या मुख्यधारा में लाना) करना न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता बढ़ाने की मुख्य रणनीति है, परन्तु संवहनीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये भी है। जेंडर या लैंगिक सम्बन्धों, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा संवेदनशीलता या दुर्बलता के बीच सम्बन्ध कड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विकृत पर्यावरणों के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता लैंगिक होती है और पर्यावरण सम्बन्धी गुणवत्ता में सुधार के प्रभावों का लोगों पर भिन्न–भिन्न असर पड़ता है। यह असर भिन्न कारकों जैसे प्रजाति, आयु, वर्ग और जेंडर के आधार पर भिन्न–भिन्न होते है। इसके अलावा, पर्यावरणीय परिवर्तन का मुकाबला करने या उसकी क्षतिपूर्ति करने की क्षमताएं जेंडर अनुसार अलग–अलग होती हैं। अतः पर्यावरण में परिवर्तनों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति महिलाओं की दुर्बलता या संवेदनशीलता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे कि, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कार्यवाई और प्रयास (संसाधनों पर महिलाओं के नियन्त्रण को मजबूत करके) किए जा सकें।

19-11 'kCnkoyh

1- Tkh-Mh-ih- ¼,dy ?kjsyw mRikn½ देश में एक दिये गये वर्ष में, कुल उपभोक्ताओं, निवेश और सरकारी व्यय के बराबर समस्त अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, निर्यातों के मूल्य उसमें जोड़. कर, उसमें से आयातों का मूल्य घटाने के बाद शेष जी.डी.पी. है। जी.डी.पी. प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रत्येक चतुर्थक के अन्तिम दिन प्रातः 8.30 बजे (इ.एस.टी.) जारी किया जाता है और पिछले चतुर्थक को प्रकट करता है। जी.डी.पी. में वृद्धि ही का महत्व होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स की जी.डी.पी. वृद्धि ऐतिहासिक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 2.5% – 3% पर औसत बनी रही परन्तु काफी व्यतिक्रमों के साथ। प्रत्येक प्रारम्भिक जी.डी.पी. प्रतिवेदन को, इससे पहले कि अन्तिम अंक के निश्चित होने से पहले, दो बार संशोधित किया जाता है। जी.डी.पी. संख्याएं दो रूपों में दर्ज की जाती हैं तत्कालीन डॉलर और स्थिर डॉलर के रूप में।

2- tSo fofo/krk½ पृथ्वी पर उसके समस्त स्तरो पर वंश प्ररूप (जीन) से लेकर पारिस्थितिकी व्यवस्था तक विविध प्रकार का जीवन और पारिस्थितिकीय और उद्विकासीय प्रक्रियाएं जो उसे पोषित करता हैं।

19-12 ckèk iz'uksa ds mÙkj

Ckkèk iz'u & 1

1) जल, भूमि, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध

ckèk iz'u & 2

1) कृषि तथा उसकी अनुशंगी गतिविधियों में कार्यरत महिलाएं

2) गरीबी का स्त्रीकरण, जीविका की हानि, भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग करना, आर्थिक सहायता समाप्त कर देना, कृषिगत ऋण में कमी।

ckèk iz'u & 3

1) भूकम्प, चक्रवात

19-13 lanfHkZr iqLrdsa

Agarwal, B., *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

Braidotti, R., E. Charkiewicz, S. Hausler and S. Wieringa, *Women, the Environment and Sustainable Development: Towards a Theoretical Synthesis*, London: Zed Books, 1994.

Commonwealth Secretariat, *Gender Mainstreaming in Agriculture and Rural Development: A Reference Manual for Governments and Other Stakeholders*

Hombergh, H. van den, *Gender, Environment and Development: a Guide to the Literature*, Utrecht: International Books, 1993.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN018206.pdf

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN018206.pdf

Joekes, S., M. Leach, and C. Green, *Gender Relations and Environmental Change, IDS Bulleti*n, vol. 26, no. 1, IDS, Brighton, 1995.

Shiva, Vandana**,** *Staying Alive — Women, Ecology and Development*, London: Zed Books , 1988.

Women's Feature Service, *The Power to Change*, London: Zed Books, 1994.

World Bank, Women's Crucial Role in Managing the Environment in Sub-Saharan Africa, Africa Technical Department, Women in Development Unit, Technical Note, IBRD, Washington, 1991

World Development Report, World Bank, Oxford University Press, N. Y.,

19-14 ckèk iz'u ¼euu ,oa vH;kl gsrq½

1) कृषि क्षेत्र में जेंडर सम्बन्धी मुद्दों और आवश्यकताओं की विवेचना करें।

2) महिलाओं पर कृषि के वाणिज्यिकीकरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? संक्षेप में स्पष्ट करें।

3) कृषि क्षेत्र में जेंडर के मेनस्ट्रीमिंग करने के तर्कआधार का विश्लेषण करें।

4) पर्यावरण और जेंडर के बीच सम्बन्धित कडियों का वर्णन करें और पर्यावरणीय जोखिमों के जेंडर प्रभाव में भिन्नताओं का वर्णन करें।

bdkbZ 20 vkipkfjd rFkk vukipkfjd vFkZ;oLFkk

bdkbZ dh lajpuk

20.1 प्रस्तावना

20.2 उद्देश्य

20.3 संक्षिप्त वैश्विक विहंगावलोकन

20.4 अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा–एक बहस

20.5 भारत में औपचारिक क्षेत्र में महिलाएं

20.5.1 समान पारिश्रमिक अधिनियम

20.5.2 प्रसूति प्रासुविधा अधिनियम

20.5.3 रोजगार गारन्टी स्कीम (इ.जी.एस.) के क्रियान्वयन में समस्याएं

20.6 भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं

20.7 उत्तर – विशाखा दिशा निर्देश अवधि में परिदृश्य

20.8 रोजगार से सम्बन्धित जेंडर – संवेदनशील अनुशंसाएं

20.9 निष्कर्ष

20.10 शब्दावली

20.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

20.12 संदर्भिका

20.13 बोध प्रश्न (मनन एवं अभ्यास हेतु)

^^;fn fodykxrk vfHk'kki g] rk fodykx cèkvk etnjh dku lk Jki g\ vkvk lc feydj cky] fodykx cèkvk etnjk dk eDr djk,a vkj Hkkjr dk lkE;eyd@eDr] LoLFk vkj 'kk"k.k eDr n'k cuk,A**

20-1 iLrkouk

सामाजिक– आर्थिक– राजनीतिक क्षेत्र में समय के साथ जो बदलाव आया है उससे भी महिलाओं के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जेंडर पर आधारित कार्य – विभाजन, महिलाओं को ही घरेलू कार्य, प्रजननीय क्रियाएं और घर परिवार के देखभाल सम्बन्धी कार्य सौंपता है। इसके अलावा, सामाजिक और जननांककीय परिवर्तन आ रहे हैं जैसे कि प्रव्रजन, तलाक की दरों में वृद्धि, और परिवारों की प्रधान के रूप में महिलाएं, आदि। इस विभाजन के प्रभाव, सामाजिक अभिस्वीकृति के बगैर कार्य के अत्याधिक भार, प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिये समय के अभाव और सूचना प्रणालियों की अपर्याप्त पहुँच के जरिये व्यक्त होते हें। यह सब श्रम बाजार, में प्रवेश करने के अवसरों, सामाजिक जीवन और राजनीति और निर्णयन के विकल्पों में प्रतिभागिता की संभाविताओं को कम करते हैं। यह सब और अन्य इत्यादि कुछ कारण हैं कि क्यों अनौपचारिक में निष्पादन में आमतोर पर स्त्रियों बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती हैं।

20-2 mnn';

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होने चाहिए :

- औपचारिक तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करने में;
- भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महिलाओं के स्थान का विश्लेषण करने में; और
- भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कानून की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करने में।

20-3 lf{kIr of'od fogxkoykdu

विश्व युद्ध – II के उत्तर काल में, यह व्यापक रूप से माना जाता था कि पारम्परिक अर्थव्यवस्थाएं प्रगतिशील आर्थिक नीतियों और संसाधनों के सही सम्मिश्रण से गत्यात्मक आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में तबदील हो जाएंगी। और इस प्रक्रिया के दौरान, पारम्परिक क्षेत्र, जिसमें छोटी कारोबारी, छोटे तथा सीमान्त उत्पादक शामिल रहते हैं, और आकस्मिक नौकरियों का समस्त क्षेत्र आधुनिक पूंजी– गहन औपचारिक अर्थव्यवस्था के अन्दर अवषोशित कर लिया जाएंगे। और इसके फलस्वरूप ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ पूर्णतया समाप्त हो जाएंगी। इस दृष्टिकोण को, विश्व युद्ध – II के पश्चात् यूरोप जापान के सफल पुनर्निमार्ण में, और 1950 तथा 1960 के बीच यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में हुए बड़ी मात्रा के उत्पादन में विश्वसनीय आधार मिला। 1960 के दशक के मध्य तक, विकासशील देशों में अनवरत व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं से इस दृष्टिकोण को धक्का लगा, जिसने इन देशों की आर्थिक नीवों को कमजोर कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस स्थिति की प्रतिक्रिया में कई बड़े बहु–विषयी रोजगार दूत मण्डल विभिन्न विकासशील देशों में भेजें। इनमें से पहला दूत मण्डल 1972 में केन्या भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक मानव विज्ञानी, कीथ हार्ट ने की थी। इससे एक तथ्य उभर कर समक्ष आया कि पारम्परिक क्षेत्र न केवल मात्र फल–फूल रहा था परन्तु वह वास्तव में लाभकारी एवं कुशल उद्यमों तथा उपान्त गतिविधियों को शामिल करने के लिये विस्तारित हो रहा था। यहां, केन्या दूतमण्डल ने, हार्ट द्वारा वर्ष 1971 में घाना पर उसके अध्ययन में दिये गये पदबंध 'अनौपचारिक क्षेत्र' शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया

बजाय 'पारम्परिक क्षेत्र' के। इसे वस्तुतः छोटे पैमाने की गैर–अपंजीकृत आर्थिक गतिविधियों की श्रृंखलाओं के लिये उपयोग किया जाता था।

इस मोड़ पर, दो विचार धाराएं मौजूद थीं। एक का मानना था कि एक बार यह देश जैसे केन्या, घाना तथा अन्य विकासोन्मुख देशों में यथेश्ट स्तर का आधुनिक औद्योगिक विकास हो जाए, तो 'अनौपचारिक क्षेत्र' बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। जबकि अन्य सम्प्रदाय दावा करता था कि औद्योगिक विकास बिल्कुल ही भिन्न मार्ग अपना सकता है जहां अनौपचारिक क्षेत्र भविष्य में भारी विस्तार कर सकता है।

1980 के दशक के आते–आते, बहस ने आश्चर्यजनक रूख ले लिया और उत्तरी अमेरिका और यूरोप में उत्पादन प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तन से गुजरने लगी। भारी उत्पादन का स्थान छोटे पैमाने, विकेन्द्रीयकृत, नम्य विशिष्टीकरण ने ले लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि रोजगार सम्बन्धों का पूरा अनौपचारिकीकरण हो गया है। मानक नौकरियां अमानक बन गई। अमानक या गैर–प्रारूपिक कार्य एक–एक घंटे के काम (बहुत कम लाभ के साथ) या कार्यपरक नौकरियां (बिल्कुल भी लाभ नहीं) बन गए। फिर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, छोटे पैमाने की अनौपचारिक इकाइयों को उप ठेके पर देना शुरू कर दिया गया। अतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की पूरे विश्व में कतिपय स्थायी छाप पड़ी है। 80 के दशक में सोवियत यूनियन में सामाजिक–राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिले। अतः सोवियत देश, अफ्रीका, केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप धीरे–धीरे कार्यबल के अनौपचारिकीकरण के साथ सम्बन्धित हो गए। एशियाई देशों में, लाखों लोग जो आर्थिक संकट के कारण अपनी औपचारिक नौकरियां खो बैठे थे, उत्तरजीवित रहने का उपाय ढूंढने लगे और अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए ताकि रोजगार में लगे रहे। 1990 के दशक के दौरान, वैश्वीकरण के प्रारम्भ होने पर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने, संगठित क्षेत्र की फर्मों को, कामगारों को निम्न मजदूरी पर भाड़े पर रखने के लिए और या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अनौपचारिक इकाइयों को सौंपने (आऊट सोर्सिंग) के लिये प्रोत्साहित किया और इस तरह औपचारिक रोजगार सम्बन्धों के अपरदन को बाध्य किया।

20-4 vukSipkfjd vFkZO;oLFkk dh ifjHkk"kk % ,d cgl

इन वर्षों में, जब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ने अपना आकार / रूप ग्रहण किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) के शोधकर्त्ताओं ने रोजगार सम्बन्धों के अनौपचारिकीकरण की अवधारणा को व्यापक बनाने की कोशिश की। उद्यम जो कानूनी तौर पर विनियमित नहीं होते थे से ध्यान हट कर उन रोजगार सम्बन्धों पर केन्द्रित हो गया जो विनियमित, स्थिर या सामाजिक रूप से सुरक्षित थे। संक्षेप में, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा रोजगार की प्रकृति या स्वरूप के आधार पर बनी है बजाय उद्यमों की विशेषताओं से। अतः, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की नई परिभाषा दी गई जो 'अनौपचारिक रोजगार' के सभी रूपों को समाविष्ट करती है, यानि कि, सुरक्षित संविदाओं के बगैर रोजगार या हितलाभों के रूप में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, छोटे अपंजीकृत उद्यमों; निज इच्छा से बने प्रचालक; अवेतनिक परिवार कामगार; अस्थायी या अंशकालिक कामगारों समूह; घरेलु कामगार, आकस्मिक या दिहाडी मजदूर और बहुत से अन्य ऐसे रोजगार सम्बन्ध के रूप। इसलिये, यह स्पष्ट है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने की बहस भी, आइ.एल.ओ. के शोध परिणामों के अन्दर तथा अपने–अपने देशों के क्षेत्र के अन्दर भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरी है।

भारत में, साहित्य प्रकट करता है कि पदबंध ''अनौपचारिक अर्थव्यवस्था'' के तीन भिन्न रूप मौटे तौर पर प्रचलन में है। जननांकीय सर्वेक्षण और सरकारी योजना दस्तावेज ऐसे

पदबंध के मुख्य प्रयोक्ता हैं। यह संगठित क्षेत्र कार्य संगठनों के ठीक बाहर पड़ने वाले श्रम बल को समाविष्ट करता है। यद्यपि इसने सरकारी नियोजन तथा प्रक्षेपणों के भी उद्देश्य को पूरा किया है, परन्तु यह अपने प्रत्येक क्षेत्र के रोजगार की संरचना से सम्बन्धित कई प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) इस पदबंध का अन्य बड़ा प्रयोक्ता है। सी एस ओ के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र उन सभी उद्यमों और गृह उद्योगों को समाविष्ट करता है जो किसी कानून द्वारा विनियमित नहीं होते हैं और जो वार्षिक लेखा अथवा तुलनापत्र नहीं रखते हैं। दोनों ही परिभाषाओं और उसकी व्याख्याओं में, कानूनी ढ़ांचा निश्चित रूप से मौजूद है, यद्यपि स्वयं कानून में परिवर्तन करके भी अपनी नामावली में परिवर्तन करने की संभाविता हमेशा रहती है। अतः,यह सामाजिक विश्लेषण हेतु बहुत ही अपर्याप्त उपकरण है।

अन्य स्रोत जहाँ इस पदबंध का साधारणत्या उपयोग किया जाता है वह है अर्थशास्त्र का शैक्षिक विषय। अर्थशास्त्रियों ने बहुधा इस पदबंध को, इस क्षेत्र की कुछ विशेषताओं के जरिये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जैसे .... ''पूंजी का संगठन, उत्पादों की प्रकृति, उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकिया, वो बाजार जिनकी जरूरतों यह क्षेत्र पूरी करता है और उत्पादों के उपभोक्ताओं का नमूना (पैटर्न) .... ''। इस परिभाषा में भी कई कमियाँ हैं, अर्थात्, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। इस क्षेत्र की गतिविधियों की यथातथ्य प्रकृति, भारत जैसे देश के अन्दर एक दिए हुए समय पर, एक से दूसरे स्थान पर, बहुत भिन्न होती है जिस कारण इसका सामान्यीकरण करना कठिन हो जाता है। दूसरा, उत्पादों, इन उत्पादों के बाजार की प्रकृति, और अपनाई जाने वाली प्रौधोगिकियों के के आधार पर परिभाषा निर्मित करने के लिए बहुत सी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांश समय, औपचारिक तथा अनौपचारिक के बीच मजबूत कड़िया अस्पष्ट रहती हैं। क्योंकि औपचारिक क्षेत्र को, सामान्य बाजार में लाए जाने वाले अपने उत्पादों का विनिर्माण करने के लिये अनौपचारिक क्षेत्र की निम्न उत्पादन लागत अवसर मिल जाता है। औपचारिक क्षेत्र में परिचालन लागत कम करने के लिये, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यपरक उत्पादन की विकद्रित ढंग से आऊटसोर्सिंग (out-sourcing) करने से, अनौपचारिक क्षेत्र को उसकी सम्पूर्णता में निर्मित करने में प्रायः कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में तीसरे सुस्पष्ट परिप्रेक्ष्य को देश में श्रम संघ आन्दोलन के दृष्टिकोण से ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि श्रम संघ अधिकांशत्या औपचारिक क्षेत्र में मजदूरों की के लिए कार्य करते हैं, उसे संरक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है जबकि अनौपचारिक क्षेत्र को असुरक्षित कहा जा सकता है। अब औपचारिक क्षेत्र के अन्दर संविदा मजदूरों के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की उपस्थिति से समस्या उत्पन्न होती है, यह मजदूर कुछ कार्यों के लिये रखे जाते हे जो कि मुख्यतः उन्हीं के द्वारा किये जाते हैं यद्यपि उनके हित लाभों के लिये श्रम संघों से कोई किसी मान्यता नहीं मिलती है।

सांख्यिकीय उद्देश्य के लिये, अनौपचारिक क्षेत्र को उत्पादन इकाइयों का समूह समझा जाता है। यह इकाइ यां राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एस.एन.ए.) के अन्तर्गत, परिवारों के निजी अ–निगमित उद्यमों के रूप में पारिवारिक क्षेत्र का हिस्सा होती है। चार्मेस ने गौर किया कि अनौपचारिक क्षेत्र को, कार्यस्थल के प्रकार, स्थिर पूंजीगत परिसम्पतियों की सीमा, उद्यम की गतिविधि की अवधि और मुख्य या गौण गतिविधि के रूप में उसके परिचालन पर ध्यान दिए बगैर, निम्नलिखित रूप में परिभाषित जाता है :

1) अनौपचारिक निजी उद्यम जो, पारिवारिक कामगारों और कर्मचारियों को अवसरोचित आधार पर, परिचालनात्मक उद्देश्यों हेतु और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार काम

पर रख सकते हैं, इस समूह में या तो निजी स्वामित्व के उद्यम या केवल वो उद्यम जो विशिष्ट रूपों के राष्ट्रीय अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं, समाविष्ट होते हैं।

2) अनौपचारिक नियोक्ताओं के उद्यम, जो एक या ज्यादा कर्मचारियों को सतत आधार पर काम पर रखें और जो निम्नलिखित एक या दोनों मानदंडों का पालन करते हैं।

अ) रोजगार के एक विशिष्ट स्तर से नीचे प्रतिष्ठान का आकार ।

ब) उद्यम या उसके कर्मचारियों का गैर–पंजीकरण।

घोष ने बताया कि ''वर्ष 2002 में, आइ.एल.ओ. ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को हाशियाकृत आर्थिक इकाइयों और उन कामगारों से समेकित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करने का दावा जहां 'शालीन कार्य में गम्भीर कमियां' हैं – श्रम मानक का अभाव, उत्पादकता तथा वेतनिक कार्य की गुणवत्ता में कमी, और संगठन एवं राय (विचार) की कमियाँ। अनौपाचारिक अर्थव्यवस्था में इन कमियों को घटाने से मान्य, सुरक्षित, कानूनी और इसलिये 'औपचारिक'–गतिविधियों में पारगमन या रूपान्तर को बढ़ावा मिलेगा और शालीन कार्य सुनिश्चित होगा।

ckèk i:'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में समाविष्ट उद्योगों/गतिविधियों को संक्षिप्त रूप में बताइये।

.....

.....

.....

.....

20-5 Hkkjr e: vkipkfjd vFk0;oLFkk e: efgyk,:

औपचारिक या संगठित क्षेत्र में कामगारों के लिये औद्योगिक कानून तथा अन्य संरक्षात्मक कानून होते है। इन विधायी प्रावधानों में से अधिकांश, दुर्भाग्यवश, कामगारों के हितों के विरूद्ध कार्य करते प्रतीत होते हैं, वे क्रियान्वित नहीं होते हैं और उनमें सुधार की ज़रूरत है। सरकार द्वारा विनियमित न्यूनतम मजदूरी, उत्तरजीविता की सिर्फ– न्यूनतम अनिवार्यताओं को ही सुनिश्चित करती है परन्तु अनौपचारिक क्षेत्र में कामगार उस आधारभूत स्तर से भी वंचित रहते हैं। कारखाने के निरीक्षक आमतौर पर सूचना देने से दूर रहते हैं क्योंकि नियोक्ता निम्न लाभप्रदता की शिकायत करते हैं, फेक्टरी बन्द करने की धमकी देते हैं और उन्हें चुप रहने के लिये रिश्वत देते हैं। वर्तमान समय में उन उद्योगों में जहां 30 से ज्यादा महिला कामगारों को भर्त्ती किया जाता है वहां क्रेच प्रदान की जाती है। परन्तु नियोक्ताओं द्वारा इस सुविधा को प्रदान करने से बचने के लिये भिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। सेवा क्षेत्र में क्रेच प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है और पारियों (Shifts) में काम करने वाले पुरुष तथा महिला दोनों के लिये ही प्रावधान नहीं है।

20-5-1 leku ikfjJfed vfèkfu;e

भारत में, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भारतीय संविधान की अनुसूची 39 (d) के अनुसार पुरुष तथा महिला कार्मिकों को समान पारिश्रमिक देने, महिला और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करने और रोजगार के मामले में स्त्रियों के विरूद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव के निरोध हेतु अधिनियमित हुआ था। यह सुनिश्चित करना कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है बहुत कठिन है, क्योंकि सलाहाकार समिति के सीमित परिणामों को क्रियान्वित करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। दूसरा, एक जैसे कार्य या एक ही प्रकृति के कार्य की परिभाषा एवं मूल्यांकन बहुत कुछ अधूरा छोड़ देता है। न्यायालयों ने भी एक समान कार्य के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में भिन्न अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया है। यह उनमें से एक कानून है जिनकी सबसे कम सहायता ली गई है।

20-5-2 izlfr ikl foèkk vfèkfu;e

प्रसूति प्रासुविधा अधिनियम (1961) बच्चा जनने (या प्रसूति), असामयिक गर्भपात, गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन और स्त्री बन्ध्याकरण की स्थिति में प्रसूति प्रासुविधा की व्यवस्था करता है। जिन प्रतिष्ठानों में दस से कम व्यक्ति काम पर रखे जाते हैं वो, प्रासूविधा या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की सीमा से बाहर रहते हैं। वर्तमान प्रसूति प्रासुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, प्रसूति छुट्टी लेने हेतु योग्यता यह है कि छुट्टी लेने से पहले महिलाओं ने उस प्रतिष्ठान या संगठन में अस्सी दिनों तक काम पूरा किया हो। इन अस्सी दिनों में वेतनिक छुट्टियाँ, सप्ताहिक छुट्टियां और वो अवधि, जिस दौरान उनकी छंटनी कर दी गई समाविष्ट रहती हैं। बहुत से संगठनों में महिलाओं को अभिलिखित दिनों की अपेक्षित संख्या कभी पूरी नहीं करने दी जाती है।

महिला आन्दोलन एक समग्र अधिनियम की मांग कर रहा है जो सभी महिलाओं (अर्थव्यवस्था के औपचारिक /संगठित तथा अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों से) को प्रसूति संरक्षण और आइ.एल.ओ. अभिसमय सं. 183 के अनुसमर्थन के अन्तर्गत लाएगा।

20-5-3 jkt xkj xkjUVh Ldhe ¼b-th-,l-½ d fØ;kUo;u e leL;k,

महिला आन्दोलन इस मांग का सुदृढ़ता के साथ समर्थन करता है कि विकासशील विश्व के राष्ट्र–राज्यों को ई.जी.एस. लागू करना चाहिए। जहां कहीं भी ई.जी.एस पहले से ही लागू कर दी गई है, वहां मालसूची तैयार करने की ज़रूरत है क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सर्वनिष्ट न्यूनतम कार्यक्रम) के परामर्शदाता, श्रीमती अरूणा रॉय और जीन ड्रेज़ ने रोजगार गारन्टी अधिनियम के मसौदे को परिसंचरित कर दिया है।

भारत (महाराष्ट्र में) में, जहां तक ई.जी.एस. का सवाल है, क्रियान्वयन के स्तर पर यह बताया गया है कि महिलाओं को प्रसूति छुट्टी के हित लाभों का कभी भुगतान किया ही नहीं गया है, हालांकि अधिनियम में ऐसा कथित है। यहां समस्या काम के 185 दिन नियत करने की है। वास्तव में, ई.जी.एस. कार्य कभी भी इतना दीर्घ नहीं होता है, यह छोटे–छोटे टुकडों में होता है। इस बात पर ध्यान दिये बगैर कि महिला कहां कार्य कर रही है, उसे समस्त कार्य के लिये प्रसूति हित लाभ पाने का हकदार बनाना चाहिए।

यद्यपि पुरुषों तथा महिलाओं के बीच मज़दूरी सुव्यक्त रूप से समान लगती है, कार्य का आबंटन भिन्न होता है, पुरुष गड्ढा खोदने का कार्य करते हैं जिसके लिये अधिक मजदूरी मिलती है। महिलाओ का कहना है कि वे यह कार्य बिना किसी परेशानी के कर सकती है। दूसरी बात, एक ही गांव से कुछ व्यक्तियों के समूह को पुरुषों और महिलाओं लिये समान मजदूरी के आधार पर प्रायः मजदूरी का किया जाता है, परन्तु समूह का नेता यह तय करता है कि कितनी मजदूरी महिला को मिले। इसे ठीक करना चाहिए।

सर्वाधिक गम्भीर शिकायत सुविधाओं का अभाव के बारे में है, जैसे महिलाओं जो कि ई. जी.एस.कार्य की मुख्य रिपोर्टर होती है। बच्चों के लिये विद्यालयी शिक्षा और आश्रय स्थल।

सर्वाधिक गम्भीर दोष आवेदकों के पंजीकरण को बंद कर देना है। इससे यह ज्ञात करना कठिन हो गया है कि कितने लोगों को कार्य की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर केवल यह दर्ज किया जाता है कि कितने लोग आते हैं। आवेदक कौन है के ब्योंरे के साथ कितनों को ज़रूरत है (और मात्र यह नहीं कि कितने आते हैं) के पंजीकरण के अभाव के कारण कार्मिक के दर्जे की श्रेणियां छोटा किसान, सीमान्त किसान, भूमिहीन कार्मिक, और कृषि भूमि इत्यादि का ब्यौरा ज्ञात नहीं हो पाता है। योजनाओं को बेहतर तरीके से निर्मित किया जा सकता है यदि कृषि सुधार के सम्बन्ध में भी कामगार का दर्जा ज्ञात है।

ई.जी.एस. कार्य के समय का निर्धारण अन्य समस्या है। इसका मौसमी प्रव्रजन के साय टकराव रहता है। ई.जी.एस स्थलों पर महिला कार्मिको की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग कौशल उन्नत करने की है। वे कौशलहीन शारीरिक श्रम और सड़कों का निर्माण कार्य करके थक चूकी हैं। ई.जी.एस. के अंतर्गत रोजगार का उद्‌देश्य उत्तम बुनियादी ढ़ाचा निर्मित करना है। परन्तु यह कार्य इतने खराब तरह से किया जाता है कि निर्मित कार्य एक वर्ष तक भी नहीं चलता है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ई.जी.एस. कार्य में ज्यादा विकल्प और बेहतर प्रौद्योगिकियों को लाना चाहिये। ई.जी.एस. कार्य में श्रम सम्बन्धी प्रक्रियाएं और श्रम सम्बन्धों को मानवीय और जेंडर संवेदनशील बनाना चाहिए। योजना के लिये कार्य कर रहीं महिला कर्मचारियों को जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों का लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

20-6 Hkkjr e vukSipkfjd vFk0;oLFkk e efgyk,

कार्य संगठन के बदलते प्रतिमान (या पैटर्न) का भारत जैसे विकासशील देश में कार्यबल की नामावली पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में भारी बदलाव आया है। यह सुस्पष्ट था कि जिन उत्पादों के उत्पादन के लिये सरल विनिर्माणकारी प्रक्रिया की जरूरत थी, उनकी उत्पादन प्रक्रिया अधिक बदली नहीं थी और वह मुख्य उत्पादन इकाई में पहले की ही तरह से कार्य चलता रहा। अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रिया जो ज्यादा कौशलपूर्ण प्रचालनों से जुड़ी थी वह अंशतः अनौपचारिक इकाइयों की और चली गई जहां कौशलरहित प्रक्रिया का काम बाहर से अस्थायी एवं संविदात्मक कार्मिकों द्वारा किया जा रहा था और ज्यादा कौशलपूर्ण काम को उत्पादन इकाई के अन्दर ही अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ किया जाता रहा, और इसके लिये कम्पनी के अपने वेतन चिट्ठे से "मुख्य स्थायी कार्मिकों का उपयोग किया जाता। इसने हल्की उपभोक्ता वस्तु विनिर्माणकारी क्षेत्र के कौशलहीन कामों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिये मार्ग खोल दिया इसके साथ ही, वैश्विक आर्थिक संकट के फलस्वरूप बदलती आर्थिक व्यवस्था ने प्रगतिशील प्रौद्योगिकी के साथ मिल कर निरक्षर, कौशलहीन महिलाओं पर बोझ बढ़ा दिया। और मात्र उत्तरजीविता हेतु अनियत अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश देकर हाशिये पर रहने के लिये बाध्य कर दिया। यहां भी श्रम बल में महिलाओं की बढ़ी हुई संख्या ने, कार्य/नौकरी की उपलब्धता में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया। असहयोग का कोई भी संकेत या कार्य–सम्बन्धित कोई भी शिकायत, कार्य आपूर्ति को अचानक एकदम समाप्ति पर ला सकती है। संगठनात्मक तंत्र की गैर–मौजूदगी महिलाओं को हेरफेर/स्वार्थसाधन जिसका बाजार और पूंजी पर दबदबा (या प्रभुत्व) रहता है के प्रति दुर्बल बना देती है। अतः, कानूनी क्षेत्र के बाहर काम पर रखे जाने के कारण, अनियत समूह के कार्मिक विशेष रूप से महिलाएं,

मूलभूत नागरिक अधिकारों की पहुँच से ही वंचित रखी जाती है जब कि संगठित व्यवस्था में यह सब राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है।

औपचारिक क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र को प्रायः हल्के ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यह वो क्षेत्र है जिसमें कार्मिकों की कार्मिक के रूप में पहचान नहीं होती है और वे बगैर किसी सामाजिक संरक्षण के कार्य करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में, महिला कार्मिक बगैर संविदाओं के, बगैर सामाजिक सुरक्षा के, निम्न मजदूरी के साथ बुरी कार्य स्थितियों के अंतर्गत काम करने को बाध्य हो जाती हैं। स्वास्थ्य बीमा, आय की सुरक्षा की अनुपस्थिति में, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये अपने स्वास्थ्य को महत्व देना कठिन होता है। आय सुरक्षा के अभाव का बहुधा अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्मिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच पर सीधे प्रभाव पड़ता है। वे पढ़ नहीं पाते है और अपनी गरीबी समाप्त नहीं कर पाते हैं। प्रायः बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण अपने को अनौपचारिक क्षेत्र में ही व्यस्क कामगार के रूप में अवषोशित कर लेते हैं, अथवा व्यस्कों को ज्यादा धन उपार्जित करने में मदद के लिये कार्य करते हैं (अर्थात् परिवार आधारित कार्मिक, छुटपुट विक्रेता (venders), स्वनियोजित)। असंगठित श्रम को सामान्यत्या 'गरीब' और लाभार्थी समझा जाता है। फलस्वरूप, उन्हें गरीबी और दुर्बलता की स्थिति से बाहर निकालने के लिये राष्ट्रीय बजटों में प्रावधान होते हैं। उन्हें गरीबी–विरोधी कार्यक्रमों का लाभार्थी समझा जाता है अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों का मुख्य सरोकार अनियमित रोजगार होता है।

ckDl 20-1 jnnh chuus oky ¼;k jx fidj½ xjhcksa esa lcls vfèkd xjhc

मुम्बई में महिला रैग पिकॅर या गुदड़ियों की केस स्टडी ने उद्घाटित किया है कि नगरीकरण और बड़े पैमाने की खेती के लिये भूमि के उपयोग ने शहरों की ओर भारी संख्या में प्रव्रजन को प्रेरित किया है, जहां विस्थापित ग्रामीण गरीब लोग भारत के अति भीड़–भाड़ वाले शहरों के हाशिये या किनारे पर जीविका चलाते हैं। औपाचारिक क्षेत्र में कार्य नहीं पा सकने के कारण, बहुत से, उत्तरजीवित रहने के लिये पटरी धंधे में और रद्दी संग्रह के कार्य मे लग जाते हैं। रद्दी बीनना जाति है और जेंडर आधारित गतिविधि (या क्रिया) है। रद्दी बीनने वालों में गरीबों में सबसे अधिक गरीब आते हैं– उनमें से अनुमानित 25,000 मुम्बई में, झोपड़ियों में निवास करते हैं, मुख्यतः स्त्रियां और बच्चे जो कूड़ा कचरा –प्लास्टिक, कागज, धातु इत्यादि, आमतौर पर नगरपालिका के कूड़दान, कूड़ा भराई स्थलों (land fills) और कूड़ा ढेरों से उसका नवीकरण करने के लिये इकट्ठा करते है। वे सप्ताह में सात दिन काम करते हैं और औसतन प्रति दिन 60/70 रूपये तक कमा लेते हैं। वे लोग गलियों को स्वच्छ रख कर और कचरे को पुनः प्राप्त एवं पुनः उपयोग करके मुम्बई का वातावरण बनाए रखने में सहायता करते है। मुम्बई प्रतिदिन 6000 मीटरी टन (600 ट्रकों का भार) कचरा उत्पन्न करता है। जिसमें से 7–8% रद्दी बीनने वालों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। कूड़ा–कचरे बीनने वाले या गुदड़िये अत्यन्त संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संपत्तियां और वैकल्पिक जीविका विकल्प होते हैं। उनकी कार्य स्थितियां क्योंकि जोखिमपूर्ण होती है, रैग पिकॅरस आम लोगों की तुलना में बहुत से अन्य रोगों और चोटों से ग्रस्त हो जाते हैं। वे विस्थापित होने से सतत डर के रहते हैं, जबकि कुछ तो फुटपाथों पर ही सो जाते हैं। रैग पिकॅरस और उनके बच्चों के बीच निरक्षरता बहुत अधिक है, और औपचारिक शिक्षा तथा रोजगार की पहुँच

बिल्कुल नहीं होती। बहुत से कूड़ा कचरा बीनने वालों को, नागरिक के रूप में अपने अधिकारों, मौलिक अधिकार जैसे कि निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, का सीमित ज्ञान होता है।

dkbZ dkS'ky izf'k{k.k ugha

महिलाओं को विशिष्ट कौशल नहीं सिखाया जाता है और वे स्वयं कौशल प्रशिक्षण लेने में संकोच करती हैं। सरकार के मौजूदा आई.टी.आई. नैटवर्क में महिला विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इस बात की जरूरत है कि पाठ्यक्रमों को सुधारा जाए और स्थान तथा अध्यापकों का इष्टतम उपयोग किया जाए।

fo'k"k vkfFkZd vapy e n0;ogkj

निर्यात–उन्मुखी प्रारूपों (मॉडलों) को अपनाने से और विदेशी निवेश के लिये प्रतिस्पर्धा के कारण ज्यादा से ज्यादा विशेष आर्थिक अंचल (मुक्त कारोबार अंचल और निर्यात प्रसंस्करण अंचल इत्यादि भी) खुलने लगे हैं। इन अंचलों में श्रम कानून आमतौर पर अनुप्रयोज्य नहीं होते है। स्त्रियों को 'सस्ते श्रम' बल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वे कठोर कार्य स्थितियों के अन्दर कार्य करती हैं। कार्यस्थल पर श्रम तथा मानव अधिकारों का दुष्प्रयोग होता है और यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के कई उदाहरण देखने की मिलते हैं। विदेशी निवेश अंर्तवाह को यथापूर्वक रखने के लिये सरकारों की प्रवृति पूंजीपतियों द्वारा दुर्व्यवहार के प्रति आंख बंद कर लेने की होती है।

jkf= dk;Z & ,d eqík vkj cgl

व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (या बाहर से खरीद) का परिणाम हजारों कॉल सेंटरस खुलने का हुआ है। इन कॉल सेंटरस में युवा, कम्प्यूटर योग्य, और अंग्रेजी जानने वाली महिलाओं को रात्री कार्य के लिये विनियोजित किया जाता है। महिलाओं का आन्दोलन इस मुद्दे पर दो राय रखता है। एक दृष्टिकोण रात्री कार्य का पक्ष लेता है बशर्ते कि सुरक्षित परिवहन सुविधा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है; महिलाएं समूह में रात्रि की डयूटी एक साथ करें और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़त बिल्कुल न हो। अधिकांश महिलाएं रात्रि की ड्यूटी से घृणा करती हैं क्योंकि उन्हें परिवार के सदस्यों के विरोध का सामना करने में कठिनाई होती है; और कभी–कभी, उनके बच्चों के हितों के सम्बन्ध में यह असुरक्षित तथा हानिकर होता है। मुम्बई में, मद्यशाला की युवतियों ने रात्रि के कार्य के लिये अभियान चलाया क्योंकि उनका कार्य केवल उस समय के दौरान ही सम्भव है और ज्यादा पारिश्रमिक देय भी। आइ.एल.ओ. के अनुसार, रात्रि, रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक के अंतराल समेत कम से कम 11 क्रमागत घंटों की समयावधि सूचित करती है। परन्तु बहुत सी महिला कार्मिक रात्रि कार्य की वजह से यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बलात्कार समेत कई समस्याओं का सामना करती हैं। नौकरियों की पहुँच को रोकने और समानता के सिद्धान्त का खंडन करने हेतु महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के रूप में रात्रि कार्य को पूर्णतया निषेध करना अन्यायपूर्ण है। यौन उत्पीड़न और उन पर हमले/प्रहार से सम्बन्धित प्रश्नों को सम्बोधित करना आवश्यक है। राज्य तथा नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण तथा सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिए।

dk;LFky ij ;kSu mRihM+u

यौन उत्पीड़न के दोषारोपण आज कहीं ज्यादा आम बात हैं। यह लोगों के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार को समाप्त करने के लिये उनकी नवचेतना तथा उनकी शक्ति का नव बोध प्रकट

करता है। प्रभावपूर्ण अनौपचारिक संघर्ष निबटान प्रक्रिया की मौजूदगी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भारत में अस्सी के दशक के प्रारम्भ से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के आन्दोलन का एक मुख्य सरोकार रहा है। 1980 के दशक के दौरान, यौन उत्पीड़न के विरूद्ध मंच (मुम्बाई) के द्वारा बल प्रयोग की कार्रवाइयों को व्यवसायिक संघों और खंडनात्मक मीडिया प्रचार से सहानुभूतिहीन प्रतिक्रिया मिली। उदाहरण के लिये, सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में रोगियों तथा उनके पुरुष रिश्तेदारों तथा वार्ड बॉयस और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों द्वारा नर्सों का यौन उत्पीड़न; विमान, परिचारिकाओं का उनके सहकर्मियों तथा यात्रियों के द्वारा; शिक्षिकाओं का उनके सहकर्मियों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रबन्धकीय प्रतिनिधियों के द्वारा; पी.एच.डी. विद्यार्थियों का उनके मार्गदर्शकों के द्वारा यौन उत्पीड़न। परन्तु इस प्रकार से महत्व न देने से वो महिला अधिकारों के धर्मयोद्धाओं को रोक नहीं पाए। ज्यादा से ज्यादा कार्यरत महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध नियमित कार्रवाई करने लगी है। गोआ में बाएलॅन्चोसाद (अर्थात् वूमेन्स वॉयस) ने पुराने अप्रचलित बलात्कार कानून, में जो बलात्कार को योनि में शिश्न प्रवेश के संकीर्ण अर्थ में परिभाषित करता है, संशोधन करने के लिये वर्ष 1990 में जनहित, याचिका दायर की है। महिलाओं के बहुत से समूह नव–सरोकारों जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समेत यौन हिंसा के विविध रूपों को समाहित करते हैं के विरोध में आगे आएं हैं।

1990 के दशक के दौरान, कार्यस्थल पर पाशविक सामूहिक बलात्कार के सर्वाधिक विवादास्पद उत्तरजीवी राजस्थान राज्य सरकार की एक कर्मचारी थी जिसने महिला विकास कार्यक्रम की कार्यकर्त्ता के रूप में अपना कर्तव्य समझते हुए बाल–विवाह को रोकने को कौशिश की थी। सामन्त पितृसत्ता वादी जो उसकी (उनके शब्दों में, ''गरीब और कुम्हार समुदाय से निकृष्ट महिला'') हिम्मत पर बौखला गए थे। उन्होंने उसको पाठ पढ़ाने का फैसला किया और बारम्बर उसका बलात्कार किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में अपमानाजनक कानूनी लड़ाई के बाद बलात्कार उत्तरजीवी को न्याय नहीं मिला और बलात्कारी जो ''शिक्षित और उच्च जाति के समृद्ध पुरुष'' थे को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इससे महिला अधिकार समूह जिसका नाम 'विषाखा' है क्रुद्ध हो गया और उसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।

वर्ष 1997 से पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेलने वाली महिलाओं को, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और धारा 509 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी। धारा 354 ''महिला की शालीनता भंग करने के लिये उन पर आपराधिक आघात'' से सम्बन्धित है और धारा 509 महिला की शालीनता का अपमान करने के उद्देश्य से 'शब्द', भाव भंगिमा या कृत्य का उपयोग करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को दंड देती है, इन धाराओं में ''महिलाओं की शालीनता भंग करने'' की व्याख्या को पुलिस अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है।

वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा के मामले में इतिहासिक फैसला सुनाया और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निबटारा करते समय प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देश निध ारित किए जिनका कि उनको पालन करना होगा। न्यायालय ने बताया कि जब तक इस विषय से जूझने के लिये कानून नहीं बन जाता है। इन दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करना होगा।

इस के अनुसरण में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कानून का मसौदा तैयार करने के लिये निवेदन किया। आयोग द्वारा तैयार मसौदे पर कई मुद्दें उठाए गए थे, और अन्ततः नया मसौदा तैयार करने के लिये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। मुम्बई

मजलिस समेत कई महिला संगठन इस कमेटी के हिस्सा हैं। मजलिस को मसौदा बनाने के लिये कहा गया। मुम्बई में श्रम संघों से जुड़े कुछ महिला संगठनों और महिला वकीलों ने मजलिस के साथ इस मसौदे पर सामूहिक रूप से कार्य किया है। मसौदा तैयार करते समय असंगठित क्षेत्र को सम्मिलित करने तथा श्रम कानून के प्रावधानों को निगमित करने की विशेष चिन्ता रहीं। संसद में जो विधेयक पारित हुआ वह कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निरोध एवं निवारण) विद्येयक, 2004 के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक कार्यस्थलों पर या काम के दौरान और बाहर, महिलाओं और उससे सम्बन्धित मामलों के निरोध एवं निवारण की व्यवस्था करता है, और समानता, स्वतन्त्रता, जीवन और स्वतन्त्रता के सिद्धांतों के अनुरूप जैसा कि संविधान में प्रतिष्ठित है और जैसाकि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य [(997 (7) CC.323)] वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया है और जैसा कि महिला विरूद्ध सर्वरूपी भेदभाव उन्मूलन अभिसमय में प्रकट होता है। इसकी भारतीय सरकार द्वारा अभिपुष्टि कर दी गई है।

---

ckèk iz'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. अनौपचारिक क्षेत्र में मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघनों का संक्षिप्त विवरण दें।

....

....

....

....

20-7 mÙkj & fo'kk[kk fn'kk funs'k vofèk esa ifjn`';

कई संगठनों ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न जो व्यापक रूप से फैले हुए थे पर शोध किये हैं। साक्षी, दिल्ली, द्वारा किया गया अनुसंधान कुछ चिन्ताजनक आंकड़े पेश करता है। इसके अनुसार 80% उत्तरदाताओं ने बताया कि एस. एच. डब्लू (सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क/कार्यस्थल पर यौन संबंधी छेड़छाड़) मौजूद है, 49% ने एस.एच.उब्लू का सामना किया था, 41% ने स्वयं झेला था, 53% महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर नहीं मिले, 53% के साथ पर्यवेक्षकों और सहकार्मिकों द्वारा अन्यायपूर्ण ढ़ंग से व्यवहार किया गया था, 58% ने सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के निर्देश के बारे में नहीं सुना था और सिर्फ 20% संगठनों ने विषाखा दिशानिदेर्शों को क्रियान्वित किया था। इंफोसिस के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा और नालको के प्रबन्धकीय निर्देशक एवं अध्यक्ष द्वारा एस.एच.डब्लू. पर विवाद, पी. एच.डी. छात्रा का एम.एस. विश्वविद्यालय, वदोदरा में उसके गाइड द्वारा यौन उत्पीड़न पर मेद्या कोतवाल की याचिका और लखनऊ विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर के विरूद्ध शिकायत और कोकाकोला के सी.इ.ओ. के विरूद्ध फिल्म अभिनेत्री, सुष्मिता सेन द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत, इत्यादि ने नियोक्ताओं को एस.एच.डब्लू. के कारण क्षमता की हानि और आर्थिक भार के बारे में सतर्क कर दिया है। परन्तु फिर भी, अधिकांश निजी कम्पनियां ऐसी समितियों में धन निवेश करने से दूर रहती हैं।

सोफिया महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की जागरूकता तथा क्रियान्वयन बहुत कम है और इसके बारे में जागरूकता

फैलाने की आवश्यकता है। स्टूडी ऑफ संहिता, कोलकत्ता ने भँवरी देवी मामले की कानूनी कार्यवाही के आयामों पर प्रकाश डालते हुए महिला यौन उत्पीड़न के संकट की गंभीरता और घोरता से नागरिक समाज और राज्य को सतर्क किया है। अभी हाल ही में 'दी टाइम्स फउंडेशन' ने महिला यौन उत्पीड़न पर कॉरपोरेट तंत्र के लिये कार्यशाला आयेजित की थी। कार्यशाला के बहुत से प्रतिभागियों की गवाही प्रकट करती है कि एस. एच.डब्लू. उन कम्पनियों में भी प्रचलित है जहां उत्पीड़क काफी शिक्षित होते हैं और काफी आर्थिक शक्ति रखते है। इसी तरह के विचार व्यावसाय पत्रिकाओं (विज़नेस टूडे, 1–9, 2002) में भी व्यक्त किये गये हैं।

अनौपचारिक तथा छोटे पैमाने के उद्योगों, स्वतन्त्र व्यापार अंचलों, विशेष आर्थिक अंचलों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लियें, श्रम विभागों को शिकायत समितियां बनाने और उनका प्रचार करने के निर्देश दिए जा सकते हैं और या प्रत्येक औद्योगिक भूसंपत्ति और निर्यात अंचल के लिये अपनी कार्यकारी समिति द्वारा शिकायतों के लिये शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य किया जा सकता हैं।

इसके लिये महिला समूहों, सरकारी कार्यलयों, श्रम संघों और नियोक्ताओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। औद्योगिक अंचलों और भूसंम्पत्तियों में यौन उत्पीड़न और निवारण कार्यविधियों के बारे में सूचना प्रसारित करने में, महिलाओं के समूह, सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। ये समूह समतुल्य कार्य हेतु कोशलों और समान वेतन सम्बन्धित परिभाषा का मुद्दा भी उठा सकते हैं जिससे कि कार्यस्थल पर जेंडर असमानता की समस्या को सुलझाया जा सके । आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्दर उपचार प्रदान करने के लिये राज्यों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निरोध) अधिनियम को क्रियान्वित करना चाहिए। यह कार्यस्थल पर महिलाओं और महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकेगा।

20-8 jkstxkj ls lEcfUèkr tsaMj & laosnu'khy vuq'kalk,a

कुछ मुख्य जेंडर–संवेदनशील हैं अनुशंसाएं इस खंड में रेखांकित की गई हैः

क) efgykvksa ds jkstxkj ds fy;s uhfr

महिलाओं के रोजगार के लिये नीति को, कार्यस्थल के बाहर और अन्दर श्रम के जेंडर विभाजन और जेंडर सम्बन्धी विचारधारा को चुनौती देने के लिये रणनीतियों को समविश्ट करना होगा।

गम्यता की नीतियों में रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण, ऋण इत्यादि की पहुँच समाविष्ट हैं। नीतियों में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जा सकता हैः

1) घर में उसकी स्थिति समेत, रोजगार की गुणवत्ता सुधारने की नीति

2) रोजगार सुरक्षित रखने और सामग्री एवं मानव संसाधनों तथा परिसम्पतियों की रक्षा करने की नीतियां

3) कानूनों, योजनाओं का उचित क्रियान्वचनः

अ) मौजूदा श्रम कानून, यानि औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, इ.एस. आइ.एस.अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को हटाना नहीं चाहिए बल्कि समस्त कामगारों को शामिल करने के लिये उन्हें और भी सुदृढ़ करना चाहिये।

ब) इ.आर.ए. के अंतर्गत कार्य के मूल्य का आकलन करने के लिये किसी कार्यविधि की आवश्यकता है।

स) कार्मिकों की वार्ड स्तरीय समितियों में न्यूनतम मजदूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए

ड) रोजगार गारन्टी योजनाः केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को समष्टि नीतियां सुनिश्चित करनी चाहिए जो श्रम–गहन इकाइयों एवं व्यवसायों में कार्मिकों को अवषोशित कर लेंगी। रोजगार गारन्टी योजना को शहरी कार्मिकों के लिये विस्तरित एवं सुधारने की आवश्यकता है। ऐसी रोजगार योजनाओं का केन्द्र बिन्दु बुनियादी ढ़ांचा, मलिन बस्तियों का विकास और आवास गृह निर्मित करने पर हो सकता है। असंगठित क्षेत्र को समाविष्ट करने के लिये राष्ट्रीय पुनःस्थापन निधि को विस्तारित करना चाहिए और इसका काफी भाग कार्मिकों के पुनःप्रशिक्षण में लगाना चाहिए।

[k½ dkuu lekkj %

i) कर्मचारियों की संख्या का ध्यान किए बगैर सभी कार्यकारी मांओ के लिये प्रसूति प्रासुविधा। सिर्फ महिला कार्मिक नहीं, समस्त कार्मिकों की संख्या का ध्यान किए बगैर उनके बच्चों के लिये क्रेच प्रदान किया जाना चहिए। प्रत्येक उद्योग के लिए सर्वसामान्य निधि हो सकती है

ii) lkkfjokfjd vodk'k % न्यूनतम वेतन प्रदत्त प्रसूति अवकाश अवधि, कर्मचारियों की संख्या या सतत कार्य की आवश्यक अवधि पर ध्यान दिये बगैर, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि विवाहित है या अविवाहित और बच्चा प्राकृतिक ढ़ग से जन्मा है या गोद लिया गया है सभी कामगार माँओं पर अनुप्रयोज्य हो। नवजात शिशु के दत्तक या जन्म से पिता बच्चे के जन्म या गोद लेने पर पितृ वेतनिक अवकाश के हकदार हैं; बच्चों, अपंग या बीमार आश्रितों की देखभाल हेतु कार्मिकों को कार्य से समय निकालने का अधिकार हो। उपलब्ध विकल्पों में सभाविष्ट हैः कार्य की श्रेणी, कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में समतुल्य पदकार्य में स्वचालित पुनः प्रवेश के साथ वेतन असमस्त कार्मिकों अप्रदत्त छुट्टी; अंशकालिक कार्य; कार्यकारी नमूने की अस्थायी पुनः व्यवस्था; 5 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों के साथ कार्यकारी अभिभावकों या कर्मचारी जिन्हें अपंग या बीमार आश्रितों की देखभाल करनी है को लचीले समय का निवेदन करने का अधिकार उपलब्ध हो। उपर्युक्त में से कोई भी छुट्टी पाने और काम पर वापस आने का कार्मिक को अधिकार भी निवेदन में समाविष्ट किया जा सकता है। स्टाफ सदस्य को काम पर वापस लौटने का निवेदनलिखित में लेना चाहिए। किसी भी कर्मिक या कर्मचारी का अहित न हो, अन्यायपूर्ण ढ़ंग से निकाला न जाए या गर्भधारण, बच्चे के जन्म, प्रसूति या पितृत्व, गोद लेना, आश्रितों की देखरेख हेतु छुट्टी या लचीली कार्यकारिता हेतु निवेदन के अधिकार, या आश्रितों की देखरेख के लिये समय निकालने से सम्बन्धित कारण के लिये उसके साथ भेदभाव न किया जाए। वरिष्ठता, बीमारी की छुट्टी की हकदारी और वेतन में क्रमोत्तर बढ़ौतरी को लेकर कोई हानि न हो।

vukSipkfjd {ks= dk fy;s dkuuh lj{kk

अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिक को, नियमित रोजगार, नोटिस (या सूचित करने की) अवधि, मुआवजे का भुगतान या किसी प्रकार के बेरोजगारी बीमा के रूप में कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। अनौपाचारिक क्षेत्र के कार्मिकों के प्रतिनिधियों, श्रम संघों और एन.जी.ओ की लम्बे समय से यह मांग की जा रही है कि कार्मिको का दैनिक या पीस रेट/कार्यपरक प्रदत्त कार्मिक के रूप में पहचान पत्र के साथ पंजीकरण किया जाना

चाहिए। यह एकल उपाय, अनियमित कार्मिकों की संख्या और कल्याणकारी उपायों के लिये उन तक पहुँच की सूचना प्रदान करेगा। अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों के लिये सामाजिक कल्याण की योजना को औद्योगिक भूसम्पत्तियों में नियोक्ताओं पर उपकर लगाकर क्रियान्वित किया जा सकता है। कार्मिकों को समाजिक सेवाएं मौजूदा सरकारी बुनियादी ढाँचे और त्रिपक्षीय परिषदों के जरियें प्रदान की जा सकती है।

(ग) vukipkfjd {k= e efgyk dkfeZdk dh t:jr %

कार्मिकों के रूप में मान्यता, अनुपूरक विकास कार्यक्रम, कौशल बढ़ाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रसूति प्रासुविधा और प्रसवोत्तर चिकित्सीय सेवाओं की व्यवस्था, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, पारिवारिक हित लाभ, चिकित्सीय अदायगी, सेवानिवृति के हित लाभ (वृद्धावस्था पेंशन), बीमा योजनाएं और नीतियां, अनिवार्य बचत योजना, लघु वित्त योजना और ब्याज–मुक्त ऋण, कानूनी मार्गदर्शन और जागरूकता।

(घ) f'k{kk vkj dk'kyk ij tkj

गरीबों और विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के प्रकार और शिक्षा पर स्पष्ट ज़ोर देने की आवश्यकता है। शिक्षा और कौशलों के अभाव के कारण (अन्य कारणों में से) रोजगार उपलब्धता सीमित है। लड़कियों के लिये केन्द्रीय और राजकीय सरकार की निशुल्क शिक्षा की नीति है परन्तु बीच में छोड़ कर जाने वालों की संख्या को लेकर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती है। आमतौर पर लड़कियां माध्यमिक स्कूलों से पढ़ाई छोड़ने लगती हैं। लड़कियों और अभिभावकों को विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि वे स्कूल वापस आने लगे।

(ड़) {kerk fuekZ.k vkj izf'k{k.k

प्रशिक्षण संस्थाओं को जॉब प्लेसमेंट संगठनो (वेतनिक काम दिलाने वाले स्थानन संगठन) या उद्योगों के साथ जोड़ने के लिये धन के अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता होगी। काम के लिये प्रशिक्षण को अन्य जीवन कौशल निर्मित करने, महिलाओं की प्रस्थिति के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता उत्पन्न करने सौदा करने के कौशलों में सुधार और महिलाओं की बचतों और परिसम्पत्तियों का निर्माण और उसे बनाए रखने के लिये अतिरिक्त इनपुट्स (आगतों) को समाविष्ट करना होगा।

च) lkekftd y[kk ijh{k.k %

अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता और कार्मिकों के समूहों ने कार्मिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए फर्म के स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षण का प्रयास किया है। उन्हें न सिर्फ निर्यात फर्मों के लिये बल्कि सभी उत्पादन इकाइयों के लिये अनिवार्य बनाना होगा।

घ) LokoyEcu leg vkUnkyu

स्वावलम्बन समूह समाज के पददलित वर्ग से महिलाओं की संगठन हैं जो महिलाओं को, क्षमता एवं आत्म विश्वास निर्मित करके और महिलाओं को लद्यु ऋण उपलब्ध करवा कर उन्हें आत्म निर्भर बना कर सशक्त करता है। स्वावलम्बन समूह आन्दोलन ने महिलाओं को बचत का मूल्य और समूह के रूप में कार्य करने की शक्ति का मूल्य सिखाया है।

आन्दोलन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो है :

1. कमजोर समूहों का बनना
2. बैकों द्वारा समूहों के श्रेणीकरण में विलम्ब
3. आर्थिक सहयता पाने की चेश्टा करने वालों पर नकारात्मक प्रभाव।
4. अपर्याप्त अनुभव प्राप्त एन.जी.ओस द्वारा क्रियान्वयन; उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
5. चूककर्त्ताओं के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था।
6. बैंकरों की असंवेदनशीलता
7. जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारियों द्वारा धन देने में विलम्ब।
8. सामूहिक गतिविधि का अभाव।
9. आर्थिक क्रियाओं में सदस्यों की प्रतिभागिता का अभाव।

स्वावलम्बन समूहों को मजबूत बनाने के लिये अनुशंसाएं :

1) सिर्फ गैर सरकारी संस्थाओं या महिला विकास निगमों द्वारा समूह गणित किए जाने चाहिए जिनके पास स्वावलम्बन समूहों के विकास और लघु–ऋण आन्दोलन का अपेक्षित ज्ञान एवं लोकाचार है।

2) एक बार एन.जी.ओ. का चयन हो जाने पर, समूहों को विकसित करने हेतु, तिमाही अनुदान दिये जाने चाहिए। परन्तु प्रशिक्षण की घटनाओं, समूह की बचतों और आंतरिक ऋण आंकड़े का, पुनरावलोकन ही देना चाहिये, बैंक के श्रेणीकरण के आधारपर नहीं। एन.जी.ओ. को कम से कम पांच वर्षों के लिये यह अनुदान दिये जाने चाहिएं, जिस दौरान उन्हें समूह की सहायता करनी चाहिए।

3) एन.जी.ओ. को प्रशिक्षितत करने के लिये राज्य स्तरीय एजेन्सी नियुक्त की जानी चाहिए और अपने क्षेत्रीय कार्मिकों के जरिये क्रियान्वयन के अतिरिक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अपनी खुद की एन.जी.ओ. नियुक्त करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

4) यदि स्वावलम्बन समूहों का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य बैंक का चूककर्त्ता है तो बैंको द्वारा उस बाहर कर देने के आग्रह पर समूह टूटते नहीं हैं।

5) कार्यक्रम सुपुर्दगी क्रियाविधि सुधारने के प्रयासों के साथ–साथ, बैंकरों का प्रत्येक तीन महिनों में प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकरों की संख्या अधिक होती है और बैंकर लोग शहरी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों से अवगत नहीं होते हैं।

6) आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले समूहों पर एन.जी.ओ. की विज्ञप्तियों का भार नहीं डालना चाहिए। गैर सरकारी सस्थाओं का मूल्यांकन सामूहिक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

7) स्वावलम्बन समूह आन्दोलन अब बीच की अवस्था में है और विस्तार के लिये तैयार है और समस्याओं का समाधान तुरन्त किया जाना चाहिए।

झ) lEifr rFkk Hkfe vfèkdkj

vkipkfjd rFkk vukipkfjd vFk0;oLFkk

हमारे सम्पत्ति कानूनों में काफी जेंडर पूर्वाग्रह है। सब कुछ कागज पर समान प्रतीत होता है और यहीं वह समाप्त हो जाता है।

vu'kklk,i %

1) वसीयती शक्तियां जो बेटियों को उनके सम्पत्ति अधिकार नहीं देती है को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

2) बेटियों को अपने माता पिता के आवसीय घरों में निवास का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए।

3) महिलाओं को 'आवास का अधिकार' दिया जाना चाहिए इसलिये निजी पारिवारिक सम्पति को जोड़ीदारों के संयुक्त होना चाहिए। तथापि, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी महिलाओं की अपने नाम पर सम्पत्ति है, पुरुष सम्पत्ति को संयुक्त नाम में करने के बहाने उसे हड़प न लें।

एक स्त्री को अपने वैवाहिक घर में दुर्व्यवहार के कारण, सब कुछ बर्दाश्त करते रहने के अलावा बहुत कम विकल्प उपलब्ध होते हैं। उसकी माँ का घर (मैका) एकल स्त्री के साथ जुड़ें सामाजिक कलंक के भय से उसे वापस घर में रखने के लिये सामान्यतया अनिच्छुक रहते हैं। यह, और कई अन्य बातें, संभावित खतरनाक वैवाहिक सम्बन्धों के समय में, महिला का अपने माता पिता के घरों पर भरोसे को प्रतिबन्धित करती है। वैवाहिक सम्पत्ति पर विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है और उसे पारित करने की आवश्यकता है। वैवाहिक सम्पत्ति विधेयक महिला को अधिकार देगा।

ckèk i'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. स्वावलम्बन समूहों को सुदृढ़ करने के लिये अनुशंसाओं को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

20-9 fu"d"k

अनौपचारिक क्षेत्र में कम योग्यता अपेक्षित होती है और इसलिये वहां उच्च अस्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के अभाव का बोल बाला रहता है। सामान्य तौर पर, संविदाएं मौखिक होती हैं और वे किसी प्रकार की समाजिक सुरक्षा या न्यूनतम मजदूरी पर ध्यान नहीं देती है और मजदूरी का भूगतान कार्यपरक या डिलीवरी/सुपुर्दगी पर होता है। इसके दूसरी ओर, घरेलू कार्य (वो श्रेणी जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के अन्दर वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा निम्नतम होती है) कार्य 1990 और वर्ष 1998 के बीच सृजित नई नौकरियों का 22% प्रदान करता है। इसलिये, अन्य आयामों और प्रशिक्षण नीतियों की रणनीतियों के

साथ भी वही होता है। उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता उन्नत करने के लिये मूल बात जेंडर परिप्रेक्ष्य को अनौपचारिक अर्थव्यवथा में समेकित करना है।

20-10 'kCnkoyh

1) **jk"Vªh; ys[kk iz.kkyh ¼** राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 प्रत्ययात्मक स्वरूप की है और यह बाजार अर्थव्यवस्था के मापन के लिये अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक निर्धारित करती है। यह संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन समुदाय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, ओ.इ.सी.डी. और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण और लेखांकन नियमों पर आधारित समष्टि आर्थिक लेखा का एकीकृत समुच्चय, तुलनपत्र और सारिणी समाविष्ट हैं। यह सिद्धान्त इकट्ठे सम्पूर्ण लेखांकन ढाँचा प्रदान करते हैं जिसके अन्दर आर्थिक आंकड़े का संकलन किया जाता है, और आर्थिक विश्लेषण, निर्णयन और नीति–निर्माण के लिये तैयार आरूप में पेश किया जाता है। (स्रोतः संयुक्त राष्ट्र नीति निर्णय)।

2) **lhMk** (महिला विरूद्ध सर्वरूपी भेदभाव उन्मूलन अभिसमय) ½ वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महसभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसे प्रायः महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें आमुख और 30 अनुसूचियां हैं; यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव में क्या शामिल है, और ऐसा भेदभाव समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की कार्यसूची तैयार करता है।

20-11 cks/k iz'uksa ds mÙkj

Ckks/k iz'u&1

1) i) अनौपचारिक स्वस्वामित्व के उद्यम, जो प्रचालन उद्देश्यों के लिये और राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर पारिवारिक कार्मिकों को और कर्मचारियों को अनियमित आधार पर नियुक्त कर सकते हैं, इस भाग में स्व स्वाभित्व के उद्यम या केवल वो जो विशिष्ट रूप के राष्ट्रीय कानून के अन्दर पंजीकृत नहीं हुए हैं समाविष्ट हैं।

   ii) अनौपचारिक नियोक्ताओं के उद्यम जो एक या ज्यादा कर्मचारियों को सतत् आधार पर नियुक्त कर सकते हैं और जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक या दोनों का अनुपालन करते है :

   अ) रोजगार के विशिष्ट स्तर से नीचे प्रतिष्ठान का आकार

   ब) उद्यम या उसके कर्मचारियों का अपंजीकरण

Ckks/k iz'u &2

- कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं
- विशेष आर्थिक अंचल में दुर्व्यवहार
- रात्री कार्य
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

उन्हीं केवल गैर–सरकारी संस्थाओं, महिला विकास निगमों द्वारा समूहसगठित किए जाएंगे, जिनके पास स्वावलंबन समूह के विकास और लघु–ऋण के आन्दोलन से सम्बन्धित अपेक्षित ज्ञान और लोकाचार है। एक बार गैर–सरकारी संस्था का चयन हो जाने पर, प्रत्येक तीन महिने पर प्रशिक्षण, सामूहिक बचत और आंतरिक उधार सम्बन्धी आंकड़े का पुनरावलोन करने के बाद अनुदान राशी निकाली जानी चाहिए और बैंक के श्रेणीकरण के आधार पर नहीं। गैर–सरकारी संस्थाओं को कम से कम पांच वर्षों के लिये अनुदान राशि दी जानी चाहिये, जिस दौरान उन्हें समूह को सहायता देनी चाहिए।

गैर–सरकारी संस्थाओं को प्रशिक्षितत करने के लिए राज्य स्तरीय एजेन्सी नियुक्त की जानी चाहिए और अपनी खुद की गैर–सरकारी संस्थाए नियुक्त करने की अनुमति भी मिलनी चाहिये जो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के जरिये क्रियान्वयन के अतिरिक्त कार्यक्रम को भी क्रियान्वित करेंगी।

स्वावलम्बन समूह बैंक द्वारा जोर आग्रह पर अपने किसी सदस्य या उसके परिवारके किसी सदस्य जो बैंक का चूककर्त्ता है को हटाने से टूटते/खंडित नहीं होते हैं।

20-12 dN mi;kxh iLrd:

Arjun Sen Gupta et.al, *Report on Conditions of Work and Promotion by Livelihoods in Unorganised Sector*, New Delhi; Academic Foundation, 2008.

Vishakha Guidelines on Sexual Harassment in Work Place, Supreme Court Judgement 1997, Others vs State of Rajasthan, Supreme Court, JT, 1997 (7).

20-13 ckèk i:'u ¼ekuo ,oa vH;kl gsrq½

1) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का वैश्विक विहंगावलोकन दीजिए।

2) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के सम्बन्ध में बहस का ब्यौरा प्रदान करें।

3) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी अभ्युदय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

4) रोजगार गारन्टी स्कीम के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करें।

bdkbZ 21 uo mnkj uhfr;k¡

bdkbZ dh :ijs[kk

21.1 प्रस्तावना

21.2 उद्देश्य

21.3 नव उदार आर्थिक नीतियाँ

21.4 एस ई जेड, इ.पी.जैड, इ.ओ.यू और एफ.टी.जैड

21.5 व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग / बी.पी.ओ और नौलिज प्रोसिस आउट सोर्सिंग (के.पी.ओ)

21.6 महा विकास परियोजनाएं

- 21.6.1 खदानें
- 21.6.2 बांध
- 21.6.3 ताड़ का तेल तथा एक फसल रोपण
- 21.6.4 प्रव्रजन, अधिक्रमण और भूक्षेत्र हड़पना
- 21.6.5 सैन्यवाद तथा सरकारी दंड मुक्ति

21.7 निष्कर्ष

21.8 शब्दावली

21.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

21.10 कुछ उपयोगी पुस्तके

21.11 बोध प्रश्न (मनन एवं अभ्यास हेतु)

^^fodkl**
Ekjh thfodk dgk¡ g\

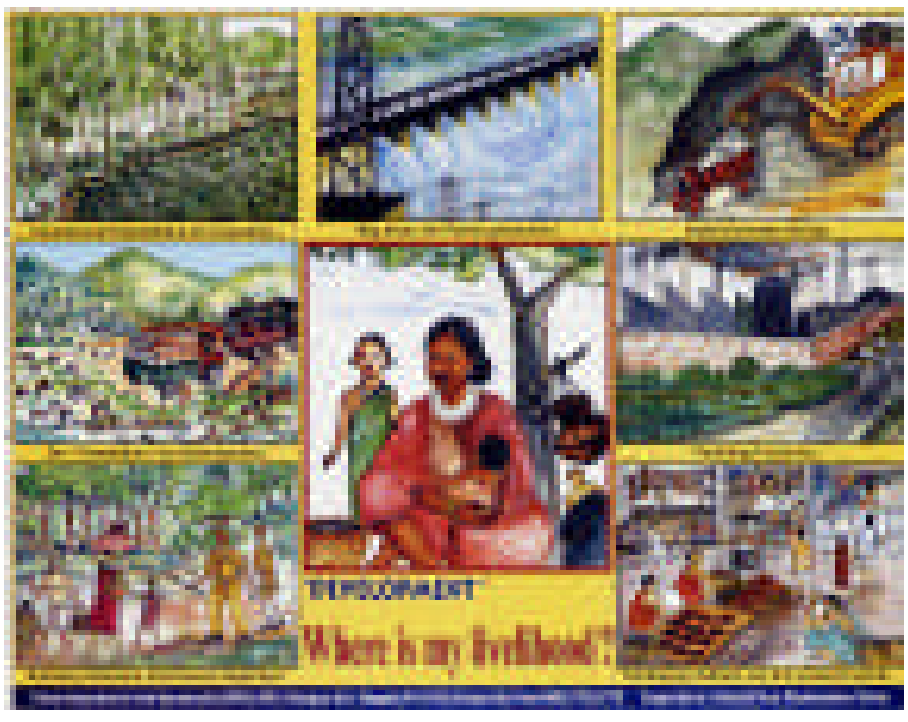

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

21-1 i`Lrkouk

यह इकाई नव उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद महिलाओं की प्रस्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान और एस.इ.जैड, ई. ओ.यू, आई.टी. उद्योग के उद्भव होने पर, श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों की स्थिति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप से बदल गई है। एक ओर इसने रोज़गार अवसर सृजित किए, और दूसरी ओर, इसने कार्य स्थितियों की गिरावट की ओर प्रवृत किया।

21-2 mn~ns';

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप सक्षम होंगे :

- नव उदारवाद और नव उदारवादी नीतियों के इतिहास का वर्णन करने में;
- एस.इ.जैड्स, इ.पी.जैड्स और इ.ओ.यूस इत्यादि में कार्य स्थितियों और महिला कामगारों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने में;
- महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में आई.सी.टी. क्षेत्र के उद्भव के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलूओं का विश्लेषण करने में; और
- महाविकास परियोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं की स्थितियों की समीक्षा करने में।

21-3 uo mnkjoknh vkfFkZd uhfr;k¡

जब वर्ष 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक, ''एन इनक्वरी इन टू दी नेचर एण्ड कॉजिज ऑफ दी वेल्थ ऑफ नेशन्स'' प्रकाशित हुई तो यूरोप में अर्थशास्त्र का उदारवादी सम्प्रदाय लोकप्रिय हो गया। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने की वकालत की। उसने कहा विनिर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं, वाणिज्य के लिए कोई रोकटोक नहीं, कोई प्रशुल्क नहीं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकसित होने के लिए मुक्त व्यापार श्रेष्ठ तरीका है। कोई प्रतिबंध न होने के अर्थ में विचार उदारवादी थे। व्यक्तिवाद की अनुप्रयुक्ति ने ''मुक्त'' उद्यम, ''मुक्त'' प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया और इसका अर्थ यह लिया जाने लगा कि पूंजीपतियों को जितना चाहे भारी लाभ बनाने की स्वतंत्रता है।

यूनाइटेड स्टेट्स में 1800 के दौरान और 1980 के पूर्वार्ध में आर्थिक उदारवाद का बोलबाला था। फिर 1930 की महामंदी ने लॉर्ड मेनार्ड कीन्स को सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया जिसने पूंजीपतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति के रूप में उदारवाद को चुनौति दी। उन्होंने वास्तव में कहा कि पूंजीवाद के विकसित होने के लिए पूर्ण रोजगार आवश्यक है और यह सिर्फ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकारें और केन्द्रीय बैंक रोजगार बढ़ाने के लिए मध्यस्थता करें। इन विचारों का राष्ट्रपति रुज़वेल्ट की न्यू डील पर काफी प्रभाव पड़ा – इससे बहुत से लोगों के जीवन में सुधार जरूर आया। यह विश्वास कि सरकार को सर्वनिष्ठ कल्याण को प्रोत्साहन देना चाहिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। परन्तु पिछले 25 वर्षों से पूंजीवाद के संकट ने, सिकुड़ती (या कम होती) लाभ की दरों के साथ, कॉरपोरेट संभ्रान्त वर्ग को आर्थिक उदारवाद को पुनर्जागरित करने के लिए प्रेरित किया। यही तथ्य उसे नव बनाता है। अब, पूंजीवादी

अर्थव्यवस्था केद्रुत वैश्वीकरण के साथ, नव–उदारवाद को वैश्विक पैमाने पर देखा जा रहा है।

1960 के दशक से, 'वैश्वीकरण' के पदबद्ध का उपयोग प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं और प्रगतियों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है जिससे हमारी दुनियां ज्यादा छोटी लगने लगी है। अर्थशास्त्र के संबंध में, आर्थिक वैश्वीकरण का पहलु बाजारों, राष्ट्र–राज्यों और प्रौद्योगिकियों के दृढ़ एकीकरण का संकेत करता है। इस कोटि का एकीकरण पहले कभी देखानहीं गया। और इस तरह से कि जो व्यक्तियों, निगमों और राष्ट्र–राज्यों को विश्व में पहले से कहीं ज्यादा दूर, ज्यादा तेजी से, ज्यादा गहनता और ज्यादा सस्ते में पहुँचने में सूकर बनाता है। विश्व में आर्थिक वैश्वीकरण, समष्टि आर्थिक नीति और राजनीतिक निर्णयन को नियन्त्रित करने वाली प्रबल विचारधारा को अधिकांश विश्व में नव–उदारवाद कहा जाता है।

नव–उदारवाद का अर्थ है कि उद्यम या निजी उद्यम राज्य द्वारा आरोपित किसी भी बंधन से मुक्त होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के प्रति वृहदतर खुलापन होना चाहिए। नव–उदारवाद कीमत पर कोई नियंत्रण न होने और पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं की गति की पूर्ण स्वतन्त्रा का समर्थन करता है। यह सलाह दी गई कि सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख और गरीबों के लिए सुरक्षा–तंत्र के लिए लोक व्यय को घटाना चाहिए। सड़कों, पुल और जल आपूर्ति के रखरखाव का निजीकरण किया जाना चाहिए। वो सब कुछ जो लाभ कम करता है के सरकारी विनियमन को समाप्त कर देना चाहिए, इसमें वातावरण की सुरक्षा तथा कार्य पर सुरक्षा भी समाविष्ट है। बैंक, मुख्य उद्योग, रेल रोड, पथकर राजमार्ग, बिजली, स्कूल, अस्पताल और ताजे जल को भी राजकीय उद्यमों, वस्तुओं और सेवाओं को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए निजी निवेशकों को बेच देना चाहिए। ''दी पब्लिक गुड'' (लोक कल्याण) अथवा ''कम्यूनिटी'' (समुदाय) की अवधारणा को मिटा कर ''वैयक्तिक उत्तरदायित्व'' की अवधारणा के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिए।

जेंडर परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह सिद्धांत मानता है कि महिलाओं की शिक्षा और ऑन–दी–जॉब प्रशिक्षण का स्तर निम्न है जबकि श्रम बाजार में उनकी प्रतिभागिता बच्चा जनने या बच्चों के पालन पोषण की स्वाभाविक भूमिकाओं की अनियमित प्रकृति द्वारा अवरुद्ध होती है। बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं ने अधिकांश महिलाओं को श्रम और उत्पाद बाज़ारों में कमजोर बना दिया है। यह प्रायः जीवन के अन्य क्षेत्रों, कार्य और श्रम के क्षेत्रों में भी उनकी अदृश्यता की ओर प्रवृत करती है। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां नव–उदारवादी विचारधारा पर आधारित है, जिनका वर्चस्व वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्द्धमानी एकीकरण करने में है। यह प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं को भिन्न तरह से प्रभावित करती है। चिनेज़ जे. ओनिजेकवे (2004) के अनुसार, इस प्रक्रिया के साथ महिलाओं के अनुभव अत्यन्त जटिल और विविध हैं – सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं।

उदाहरण के लिए, रोजगार के संबंध में, महिलाओं को इस प्रक्रिया से लाभ हुआ है। 8 फरवरी 2004 की ओक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 वर्षों में, व्यापार के उदारीकरण ने लाखों महिलाओं के लिए रोजगार सृजित किया है और इस समय वस्त्र तथा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की श्रम गहन अवस्थाओं में 60–90% नौकरियों में महिलाएं कार्यरत हैं। केन्या में, कारखाने के कार्मिकों का 75% महिलाएं हैं, श्रीलंका में 85% और कम्बोडिया में 90% तक महिलाएं हैं (समस्त 18–25 वर्षीय कम्बोडियन महिलाओं में पांच में से एक वस्त्र उद्योग में नौकरी करती है।) चीन के गुएनडॉग राज्य में, पांच लोगों में से चार 25 वर्ष से कम आयु की महिलाएं हैं (प्रान्त में 26 मिलियन प्रवासी कामगार हैं)।

अन्य देशों में महिला कामगारों की महत्वपूर्ण संख्या हैं : भारत में 48%, फिलीपाइन्स में 74%, और चीन में 80% । इस संबंध में, आर्थिक वैश्वीकरण ने अवसर सृजित करने के महिलाओं के लिए द्वार खोल दिए हैं, विशेषकर उनकी आजीविका के लिए। इन लाभों के बावजूद नव–उदारवादी विचारधारा पर आधारित श्रम बााजार विनियमन का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।

श्रम बााजार में स्वतंत्र बाजार ने प्रौढ़ विवाहित स्त्रियों के रोजगार अवसरों को संकट में डाल दिया है। पिछले एक दशक के दौरान, बालिका श्रम में सहसा अत्याधिक वृद्धि हुई है। नव–उदारवादी नीति का विशिष्ट लक्षण प्रबुद्ध स्वार्थ है जो आर्थिक भूमंडलीकरण के युग में बाजार शक्तियों के जरिये क्रियाशील होता है। भूमंडलीकरण स्त्रियों तथा बच्चों के सस्ते श्रम की पीठ पर सवार होकर चलता है। दर्जनों दक्षिण एशियाई (भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश,श्रीलंका, नेपाल) और दक्षिण पूर्वी एशियाई (थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइन्स, मलेशिया) देशों में, इंडो–चीन (लाओस, कम्पूचिया और वियतनाम) और चीन में नगरीय तथा ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्रों के भूदृश्य मिठाई की दुकानों, घेटों (ghetto) श्रम बाजारों और कलंकित प्रवासी कामगारों से भरे पड़े हैं। भूमंडलीकरण के अंतर्गत, महिलाएं, छंटनी और युक्तिकरण की प्रथम शिकार होती हैं। छंटनी और बेरोजगारी के और संविदा उप–संविदा कार्य में वृद्धि, और गृह कार्य तथा जीविकोपार्जन की हानि के जरिये उनकी पराधीनता तथा शोषण में वृद्धि हुई है। सभी सूचक जैसे कार्य बल की प्रतिभागिता दर में गिरावट, आकस्मिक रोजगार प्रस्थिति, असंगगठित क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती संख्या, इत्यादि महिलाओं के उपान्तीकरण का संकेत करते हैं। इन प्रभावों में श्रम का स्त्रीकरण, निम्न–आय और गरीबी के स्त्रीकरण और अन्य भी सम्मिलित है।

नव–उदारवादी अर्थशास्त्र क्षमता और संवृद्धि पर बल देता है परन्तु इसने प्रायः जनसंख्या के बड़े भाग, विशेष रूप से महिलाओं, को विफल किया है। महिलाओं ने इन नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को झेला है। अतः, इस प्रक्रिया में, विनियमनों और संरचनाओं का सांस्थानिकीकरण करने की आवश्यकता है। यह महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण की व्यवस्था करेगा।

ckèk i'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. नव–उदारवादी आर्थिक नीति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है?

....

....

....

....

21-4 , l b t M] b-i h-t M] b-vk-; vkj ,Q-Vh-t M ¼fc tu l ikfl l½

विशेष आर्थिक अंचल (स्पेशल इकोनोमिक जोन, एस.ई.जैड), निर्यात प्रक्रियण अंचल (एक्सपोर्ट प्रोसीसिंग ज़ोनस, ई.पी.जैड), निर्यात उन्मुखी ईकाइयाँ (एक्सपोर्ट ओरियटिड

जोन्सई.ओ.यू.) और स्वतंत्र व्यापार अंचल (फ्री ट्रेड जोन्स, एफ.टी.जैड) भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ निर्यात के लिए उत्पादन किया जाता है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक नियमों के अनुसार निर्यात में बढ़ोतरी की जाती है यह नियम देश के अन्य ठेठ आर्थिक नियमों की तुलना में ज्यादा उदारवादी हैं। विशेष आर्थिक अंचल (SEZ/सेज), अपने मौलिक रूप में मात्र एक गुच्छ होता है जो भिन्न औद्योगिक या अन्य उत्पादन इकाइयों को इकट्ठे एक मंच पर लाता है। जब कि यह विचार कि उत्तम बुनियादी ढांचे की सुविधाएं और सरलीकृत कार्यपद्धतियां औद्योगिकीकरण में सहायक होती है नया नहीं है, वर्तमान सेज़ विचार इससे परे जाता है और यह मानता है कि बुनियादी ढांचा प्रदान करना काफी नहीं है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर (tax) अंतराल हो, काफी आर्थिक सहायता प्राप्त भूमि और कामगारों की अनिवार्य सुरक्षा बिल्कुल नहीं या कम होनी चाहिए। इस रणनीति को प्रमुख उपकरण के रूप में ज्यादातर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा एक देश निर्यातों को बढ़ा कर तीव्र औद्योगिकीकरण प्राप्त कर सकता है।

अप्रैल 2000 में, भारतीय सरकार ने देश के लिए विशेष आर्थिक अचलों (सेज) की नीति लागू करने की घोषणा की इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने के लिये विदेशी निवेश बढ़ाना, निर्यातों को बढ़ावा देना और घरेलु उद्यमों और विनिर्माताओं की ऊर्ध्व गतिशीलता सुनिश्चित करना था। संसद द्वारा मई 2005 में, सेज़ अधिनियम 2005 अधिनियमित करने के पश्चात, सेज़ को कानूनी स्वीकृति मिल गई। 23 जून 2005 को अधिनियम को संसद की स्वीकृति मिली और फरवरी 2006 को यह लागू कर दिया गया। तब से विशेष आर्थिक अंचलों की संख्या (मौजूद ई.पी.जैड और ई.ओ.यू. को छोड़कर) लगातार विस्तरित हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह तथा विनियोजित किए जाने वाले कामगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कर (टैक्स) के मामले में सेज़ स्वर्ग हैं। भारतीय सेज़ को प्रारम्भिक पांच वर्षों के दौरान आयकर देने की जरूरत नहीं है और अगले दो वर्षों के लिए अपनी कर देयताओं का सिर्फ 50 प्रतिशत देना पड़ता है। नई नीति दस वर्ष की अवधि के लिए उन्हें कर अवकाश भी प्रदान करती है। अधिनियम के अंतर्गत, उद्योगों को लाभ कमाने के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं वो स्थानीय लोगों को खाद्य सुरक्षा, वातावरण तथा देश के ''वास्तविक' विकास की लागत पर दिए जाते हैं।

बहुत से देशों में, सेज़ अंचलों की मुख्य समस्या यह है कि इन अंचलों में निवेश को आकर्षित करने के लिए, वे श्रम के संरक्षण से संबंधित कई कानूनों का अनुपालन न करने या ढील देने की सलाह देते हैं। सेज़ के लिये भारी मांग वास्तव में तृतीय विश्व देशों के बीच एक प्रकार का अनूठा युद्ध है। सभी विकसित देशों से ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश और निर्यातों में ज्यादा हिस्सा पा लेना चाहते हैं। यह अनूठा है क्योंकि जीत अन्य युद्ध – अपने खुद के लोगों, अपने खुद के कामगार वर्ग के साथ युद्ध पर निर्भर करती है। विजयी वो होता है जो अपने खुद के श्रमिकों का ज्यादा खून चूस सकता है। इस भीशण प्रतियोगिता में, एक देश की पूंजी, अन्य की लागत पर फलती फूलती है। परिणाम कुछ भी हो, परन्तु सभी देशों के श्रमिक अमानवीय विपत्तियों का सामना करते हैं।

यह बिलकुल ही सार्वत्रिक घटना है कि एस.ई.जैड्स/ई.पी.जैड्स के श्रम कानून या तो अनुप्रयोज्य नहीं हैं या, यदि अनुप्रयोज्य हैं भी तो, इनको इस तरह से बनाया गया है कि पूंजी की स्वतंत्रता बनी रहे। विश्व भर में, निर्यात अंचलों का इतिहास श्रम कानूनों के स्पष्ट उल्लंघनों और श्रम के शोषण के दृष्टान्तों से भरा पड़ा है। भारत में भी, स्थितियां कोई भिन्न नहीं है। भारत में, सेज़ अधिनियम, 2005 से पूर्व, सभी कारखाना एवं श्रम कानून सैद्धांतिक रूप से निर्यात प्रक्रियण अंचलों में अनुप्रयोज्य थे। इसके बावजूद, श्रम संघीय गतिविधियां बिल्कुल नदारद थीं और कामगारेतर व्यक्तियों प्रवेश प्रतिबंधित था। किसी भी प्रकार की श्रम संघ संबंधित गतिविधि करने पर चरम सीमा के दंड, शारीरिक

प्रहार सहना पड़ता था और नौकरी/काम खोना पड़ सकता था। यह समस्त अन्यायपूर्ण प्रथाएं सेज़ अधिनियम, 2005 बनने के बाद बढ़ गई। भारत में, सरकार ने शुरू–शुरू में सेज़ को श्रम कानूनों से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। यद्यपि इस व्यापक लक्ष्य में असफल होने पर, उन्होंने विशेष आर्थिक अंचलों को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोशित किया, जिसने इन अंचलों में श्रम संघ संबंधित गतिविधियों को शक्तिहीन कर दिया।

अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि सेज़ अंचलों में कार्यबल का बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं। इन महिलाओं का बलात् रात्रि पारियों में काम, गर्भवती होने पर किसी परिवहन सुविधा व किसी प्रसूति छुट्टी के अभाव, और काम से निकाले जाने के भय के साथ यौन संबंधी छेड़छाड़, संगठित करने के अधिकार के वंचन, सामूहिक सौदेबाजी की कोई गुंजाइश न होने और निम्न मजदूरी होने आदि की स्थिति में अत्यधिक शोषण किया जाता है। क्योंकि सेज़ अंचल कानूनों से बंधे नहीं हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को दी जाने वाली मजदूरी अंचलों से बाहर दी जाने वाली मजदूरी से कम है।

शालिनी सिन्हा (2008) ने सिद्ध किया है कि क्योंकि उद्योग निर्यात–उन्मुखी हैं और उत्पादन लागतों को न्यूनतम करने पर जोर रहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निश्चित की जा सके, महिला कामगार जो कार्यबल का 70–90 प्रतिशत होती हैं, सेज़ अंचलों में प्रतिस्पर्धा का मुख्य भार वहन करती हैं।

कई देशों से प्रमाणों ने दर्शाया है कि निर्यात–प्रेरित विकास ने महिलाओं के लिए वेतनिक रोजगार काफी मात्रा में सृजित किया है। उनकी आय, जीवनयापन की गुणवत्ता और प्रस्थिति में सुधार हुआ है। तथापि, मजदूरी और अन्य हितलाभों के संबंध में जेंडर साम्यता बेहतर नहीं हुई है। इसके अलावा, निकृष्ट कार्य स्थितियों ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है और संघ बनाने के विरुद्ध निर्देशों ने कर्मचारियों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर कर दिया है।

विश्व भर में सेज/ई.पी.जैड अंचलों की एक आम विशेषता कार्यबल का स्त्रीकरण है। अविवाहित स्त्रियों को ज्यादा पसंद किया जाता है यद्यपि उन्हें यौन शोषण से ज्यादा जोखिम रहता है। यह महिलाएं अधिकांशत्या श्रम बाजार में नई सदस्या होती है और गतिविधियां संगठित करने से जुड़े जोखिम सामान्यतः नहीं उठाना चाहती हैं। कार्यबल का बड़ा भाग आकस्मिक तथा संविदा ठेके पर कामगारों का होता है। उन्हें काम की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। यह उन्हें संघ बनाने के किसी भी प्रकार के प्रयत्नों का समर्थन करने में अत्यन्त अनिच्छुक बना देता है। कामगार अधिकांशत्या 16–28 वर्ष की आयु समूह के होते हैं। वे प्रतिदिन 10–12 घंटे कार्य करते हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं दी जाती है। कार्य का भार ऐसा होता है कि यह कार्य तभी किया जा सकता है जब युवा हों। किसी–किसी अंचल से बाल श्रम की सूचना मिलती है।

साक्ष्य यह भी बताते हैं कि 1990 के दशक के दौरान प्रौढ़ महिलाओं के रोजगार में कमी आई और किशोर कन्याओं और बाल श्रमिकों के रोजगार में वृद्धि हुई है। महिलाओं को उनके कार्य की तुलना में अल्प वेतन और उन्हें कम कौशलपूर्ण काम दिया जाता है। एफ. टी.जैड और ई.पी.जैड अंचल युवा महिलाओं के ''अति'' शोषण पर पनपते हैं। नियोक्ता गण व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह भी देखा गया है कि क्योंकि जॉब सीकर्स या कार्य के खोजकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, तो सेज प्रबंध मंडल बीमार कामगार को नये स्वस्थ कामगार के साथ बदल देना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के। अतः, लाभ–चालित विकास पर फोकस ने लोगों से मर्यादित जीविका का अधिकार छीन लिया है।

cksèk iz'u 2

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. सेज़ अंचलों में महिलाओं का शोषण किन तरीकों से किया जाता है?

....

....

....

....

21-5 0;olk; izfØ;k vkmVlkflZx@ch-ih-vks vkSj ukWfyt izkslsl ¼;k izfØ;.kKku½ vkmVlkflZx@ds-ih-vks

अब यह आम बात समझी जाती है कि महिलाओ ने हमेशा से काम किया है, और यह भी कि महिलाओं का काम अदृश्य बना दिया गया है और इसे विगत काल में तथा समकालिक विश्लेषण में कम स्वीकृति मिली है। देखरेख अर्थव्यवस्था, कृषिगत कार्य तथा साथ ही आधुनिक अर्थव्यवस्था में काम के बारे में यह सत्य है। 1990 के दशक में आते–आते, कार्य की दुनियां में जेंडर के सामान्य परिदृश्य में बड़े परिवर्तन आ गए क्योंकि समाज और अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए और उनके द्वारा चुनौतियां बढ़ रही है।

वैश्वीकरण ने पहले से विद्यमान जेंडर द्वारा व्यावसायिक अलगाव को बहुत बढ़ा दिया है। इस बदलते व्यावसायिक ढांचे में, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सॉफ्टवेयर क्षेत्र और आई. टी समर्थ सेवा क्षेत्र में नए काम के अवसर सृजित होने से शिक्षित एवं अंग्रेजी में बातचीत करने वाली महिलाओं को निस्संदेह हुआ है, परन्तु उपयोगिता शृंखला के निचले छोर पर उनका घेटोइकरण (ghettoized) कर दिया गया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र और उसके बाद मीडिया एवं सेवा क्षेत्रों, जैसे पर्यटन, ने भी महिलाओं के लिए नये कार्य के अवसर सृजित किये हैं, परंतु यह शहरी महिलाओं के उप–समूह तक ही सीमित है।

इसी प्रकार से, सुजाता गोथोस्कर (2006) ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तथा प्रस्थिति के संबंध में जो अवलोकन किया है उसकी चर्चा इस खंड में की गई है। यह दर्शाता है कि 1990 के दशक और 2000 के दशक में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, इस नूतन प्रौद्योगिकीय क्रान्ति को भी लोक प्रसिद्धि मिली है। आई.सी.टी. क्षेत्र पर और कार्यबल के भिन्न पहलुओं पर उसके प्रभाव को लेकर काफी अनुसंधान किया गया है। कुछ अध्ययन ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि महिलाओं को प्रौद्योगिकी सार्वजनिक स्थानों में प्रतिभागिता करने के लिए मुक्त करती हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी वेतन प्रदत्त कार्य को कठोर शारीरिक श्रम से अलग कर देती है। महिलाओं की अभिक्षमता और प्रौद्योगिकी और गणित जैसे क्षेत्र के साथ जूझने के संबंध में महिलाओं का दिमाग से सम्बन्धिरत आरम्भिक चर्चाएं कम विकसित है, सुखदपूर्वक पीछे छूट गई लगती है।

आज आई.सी.टी. क्षेत्र में महिलाओं के कार्य के संबंध में भारतीय दृश्य उस युग के समान

है जब भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं ने बड़ी मात्रा में प्रवेश किया था। उन्होंने तब पदोन्नतियां स्वीकार करने से इंकार कर दिया था क्योंकि इसमें तबादले की संभावना रहती थी और उनके बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता था। आज भी बैंकिंग क्षेत्र में, उच्च पद स्थितियों पर महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आई.टी. उसी दृश्य को पुनः दर्शा रहा है। वेतनिक व्यवसायों पर घरेलु जीवन के दबाव बने हुए हैं, यद्यपि अब महिलाएं उसके साथ ज्यादा अच्छे से निभा रही हैं। आई.टी. के मामले में, भिन्न समयों पर कार्य की आवश्यकता ने रात्रि को कार्य करने वाली महिलाओं की मांग बढ़ा दी है। यह नर्सिंग के व्यावसाय के समान है जहाँ विगत काल में बड़ी मात्रा में स्त्रियों को रात्रि को कार्य करते पाया गया था। आई.टी. में, बहुत–सी स्त्रियाँ/लड़कियाँ कॉल सेंटर में रात्रि को कार्य करती है और वे नर्सिंग से बिल्कुल भिन्न व्यवसाय में होती हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई.टी. ने महिलाओं के लिए मार्ग खोल दिए हैं, विशेष रूप से दक्षिण के कुछ देशों में युवा स्त्रियों के लिए। अर्थव्यवस्था के बहुत कम क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं और उनमें से एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। तथापि, इस क्षेत्र में, श्रम बाजार बहुत ही विशिष्ट होता है। शिक्षित वर्ग से महिलाएं और पुरुष, मूलतः नगरीय और अंग्रेजी बोलने वाले लोग, जो ऐसे वर्गों और जातियों से हैं जिनका आई.टी. क्रान्ति से तत्कालिक लाभ कमाना ज्यादा सम्भावित होता है। जब हम जेंडर साम्य या जेंडर न्याय पर पड़ने वाले प्रभाव पर दृष्टिपात करते हैं तो विकासशील देशों के वंचित वर्गों की महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को भी हमें देखने की आवश्यकता होती है। अतः, जेंडर समीकरणों पर आई.टी. का असर वर्ग, जाति तथा देश विशिष्ट होता है।

यथातथ्यतापूर्वक, आई.टी. उद्योग औपचारिक अर्थव्यवस्था में पड़ता है और उसमें उसकी पूंजी अत्यन्त सुसंगठित होती है। वर्ष 1990 के बाद, स्वतंत्र बाजार में पूंजी श्रम पर हावी रही और सामूहिक सौदेबाजी के समझौतों के बजाय व्यक्तिगत संविदाओं पर कामगारों को विनियोजित करके उनके संगठनों को नष्ट कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आई.टी. उद्योग में उसके प्रारम्भ से ही यह प्रवृति उसमें अंतःस्थापित है। यह संगठित करने की प्रक्रिया को अनावश्यक/फालतू बनाने की चेष्टा है। आज आई.टी. का श्रम बाजार विक्रेता बाजार लगता है, जहाँ प्रतियोगी कम्पनियों द्वारा कार्यबल की चोरी की बाते होती हैं। इतिहास ने भी दर्शाया है कि महिला कामगार, अपने को केवल कामगार के रूप में संगठित करके, कामगार के रूप में भी महिलाओं के हितों की सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं थी। आई.टी. में 'कार्यबल' इतना विविध है जितना कि आई.टी. उद्योग स्वयं। वहाँ स्व–नियोजित लोग हैं। मेलेशिया, भारत और फिलीपाइन्स में कॉल सेंटर्स में भी कामगार हैं। वहाँ आई.सी.टी. के उपयोक्ता और ''सामुदायिक'' सृजनकर्ता हैं, जैसे कि जर्मनी में वरच्युअल वूमेनस यूनिवर्सिटी के मामले में। बहुत ज्यादा पहलू है और इसने आगे और कार्य करते रहना आवश्यक कर दिया है। उद्योग जो इतना गत्यात्मक है कि यह प्रति दिन परिवर्तित होता है, उसके ज्यादा तत्वों को जोडना आवश्यक बन गया है। और तुलनात्मक रूप से कहें, तो आई.टी. उद्योग अभी सिर्फ जन्म ही ले रहा है।

भारत में ''सूचना प्रौद्योगिकी वार्षिक रिपोर्ट 2007–08'' के अनुसार, सरकार का यह वृहद प्रयास था कि वह आई.सी.टी. में क्षमता निर्माण, उद्यमिता विकास, और सूचना प्रौद्योगिकी की जागरूकता के जरिये महिलाओं को सशक्त किया जाए जिससे कि आई.टी., बी.पी.ओ. क्षेत्र जहाँ रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं, में महिलाओं की विनियोज्यता बढ़े। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित आई.सी.टी. परियोजनाओं को समर्थन दिया है। यह परियोजनाएं अधिकांश रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में, या अन्य जिलों में पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए, क्रियान्वित करने के लिए थी। ऐसे चल रही 13 परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है :

1. क्षमता निर्माण और बालिकाओं का विकास – छत्तीसगढ़
2. आई.सी.टी. का उपयोग करते हुए परिवर्तन एजेन्ट के रूप में जनजातीय महिलाएं – राजस्थान
3. चिरस्थायी स्व रोजगार हेतु आई.सी.टी. के जरिये महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण– मिज़ोरम
4. 10 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का निर्माण – राजस्थान
5. एस.सी / एस.टीस और महिलाओं को मल्टी मीडिया में केरियर अभिमुखी प्रशिक्षण सुविधा और डी.टी.पी. प्रशिक्षण – सिक्किम
6. बालिका विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का निर्माण – त्रिपुरा
7. एस.टी. युवा और महिलाओं के उद्धार हेतु व्यावसायिक आई.टी. और एलेक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम – मिज़ोरम
8. आई.सी.टी. उपकरण के उपयोग द्वारा महिलाओं और एस.टी. / एस.टी. का सशक्तिकरण – कर्नाटक
9. कांचीपूरम जिले में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आई.सी.टी. – तमिलनाडू
10. सूचना प्रौद्योगिकी में आई.सी.टी. उपकरणों के द्वारा महिलाओं और एस.सी. / एस. टी. का सशक्तिकरण, गोरखपुर डी.आई.टी. की इस परियोजना के अन्तर्गत, डी.ओ. ई.एस.सी. केन्द्र, ऐजावल बेरोजगार एस.सी. / एस.टी. और महिला अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहा है जिससे कि उनकी विनियोजता बढ़े और आई.टी. / एलेक्ट्रोनिक्स / आई.टी.ई.एस. / बायो इन्फोर्मेटिक्स इत्यादि के क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिले। ई–लर्निंग में प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण परियोजना डीओईएसीसी (DOEACC) केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। चरण–1 के दौरान, औरंगाबाद एवं कोलकत्ता के डीओईएसीसी केन्द्रों ने 240 अध्यापकों को प्रशिक्षितत करके परियोजना क्रियान्वित की। चरण –II कालीकट, इम्फाल और गोरखपुर के डीओईएसीसी केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और कुल 360 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षितत करने की केन्द्रों से अपेक्षा है।
11. श्रुति दृष्टि के जरिये दृष्टिहीन महिलाओं का सशक्तिकरण – अखिल भारत
12. महिला तथा बाल विकास के सशक्तिकरण हेतु आई.टी. (परियोजना चेतना) – अखिल भारत
13. स्नातक तथा स्नातकोत्तर महिलाओं का (एलेक्ट्रोनिक्स प्रत्यायित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम विभाग) डीओइएसीसी – आई टी. (सॉफ्टवेयर) और स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण – अखिल भारत

औरंगाबाद के डीओइएसीसी केन्द्र, सूचना एलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी में मूल्य वर्द्धित कौशल विकास के जरिये उद्यमिता विकास, प्रारम्भिक आई.टी. जागरूकता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे कि उनके रोजगार अवसरों में बढ़ौतरी हो। यह आई.सी.टी. में क्षमता निर्माण में भी सहायता करेगा। इसमें 2 वर्षों के अन्दर 1110 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षितत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से, सूचना एलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी डी.ओ.इ.ए.सी.सी. DDEACC केन्द्र,

गोरखपुर में आई.सी.टी. उद्यमिता विकास, ITES, BPO, कम्प्यूटर ग्राफिक्स एवं एनीमेशन, इत्यादि में क्षमता निर्माण महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके रोजगार अवसर बढ़े। यहां 2 वर्षों की अवधि में 500 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षितत करने का लक्ष्य है। मिज़ोरम में युवाओं तथा महिलाओं के उद्धार हेतु DDEACC केन्द्र, ऐजावल के जरिये व्यावसायिक आई.टी.एवं एलेक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम संचालित किये गए।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां और इंटरनेट, समाज और महिलाओं, दोनों को बहुत लाभ पहुँचाते हैं। पहले की प्रौद्योगिकियों ने महिलाओं को विस्थापित कर दिया था, इसके विपरीत, नई प्रौद्योगिकियां घर से काम करने की लचकदार समय गतिविधि में कार्यरत रहने की सुविधा प्रदान करती है – यह विकल्प महिलाओं को कार्य और परिवार में साम्य करने का अवसर देते हैं और वो इसे आकर्षक पाती हैं। वे महिलाओं के लिए कौशलों को बनाए रखना तथा उन्हें उन्नत करना, और पुरुषों के तदरूप बने बगैर आर्थिक स्वतंत्रता और प्रस्थिति को प्राप्त करना सम्भव बनाते हैं। अर्थशास्त्र में, कुज़नेट का उल्टा (औंधा) u आकार का वक्र सुविदित है जो कि बताता है कि विकास के स्तर में वृद्धि के साथ असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसी प्रकार, आई.सी.टी. (ICT) क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी, उल्टी u वक्र को सूकर बना सकती है

महिलाओं की ज्यादा सहायता कर सकेगी बजाय प्रारम्भिक अवस्थाओं के। जहाँ तक आर्थिक अवसरों का संबंध है, महिलाएं अंतिम उपयोग की अवस्था में (एण्ड यूज़), निम्न कौशल की सूचना प्रौद्योगिकी नौकरियों जैसे कि डेटा एन्ट्री और वर्ड प्रोसेसिंग में केन्द्रित होने लगती हैं और सॉफ्टवेयर के परिचालन तंत्र नेटवर्क्स में प्रबंधकीय रखरखाव और डिजाइन कर्मियों का बहुत छोटा प्रतिशत ही महिलाएं हैं। तथापि, महिलाएं आई.टी. के कार्यबल के उच्च स्तरों में प्रवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभागिता बढ़ रही है। सॉफ्टवेयर के अलावा, महिलाओं को बहुत सी नवीन नौकरियां बिज़नेस प्रोसिस आऊटसोर्सिंग (BPO) और नोलिज प्रोसिस आऊटसोर्सिंग (KPO) में उपलब्ध हो रही हैं।

ckèk i'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. आई.सी.टी. क्षेत्र ने महिलाओं की किस प्रकार से सहायता की है?

....

....

....

....

....

21-6 egk fodkl ifj;kstuk,

यह खंड, डिक्तान, एलीनर पी. (2008) ''ग्लिम्पसेस ऑफ नियो–लिबरल इकोनिमिक ग्लोबलाइज़ेशन एंड डेवलेपमेंट एग्रेशन अगेंस्ट इंडीजीनस वूमेन इन एशिया'', (ड्राफ्ट) पर आधारित है, यह UNSRAVAW के साथ एशिया–पेसिफिक क्षेत्रीय एन.जी.ओ. परामर्श, में 15–16 अक्टूबर 2008, नई दिल्ली, भारत में पेश किया गया)।

पूंजी–चालित सार्वभौमिकीकरण ने महा विकास परियोजनाओं के उद्‌भव की वजह से गरीब लोगों को उनके रिहाइशी स्थानों तथा कार्य स्थलों से जबरन बेदखल करके भयंकर मानवीय विपत्तियों को स्थायी बना दिया है। विकास के नाम पर मानव निर्मित आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों को उपयुक्त आवास, नागरिक सुविधा, सुरक्षित परिवहन और कार्य के संबंध में पुनर्वास की आवश्यकता है। अब तक, सार्वभौमिकीकरण ने इस पहलु की उपेक्षा की है।

एशियाई देशों में आर्थिक सार्वभौमिकीकरण का बड़े पैमाने की खदानें, ताड़ के तेल और कृषिगत एकल फसल रोपण, जल विद्युत शक्ति बांधों, विशिष्ट पर्यटन विकास, इत्यादि के रूप में आगमन हुआ। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दौड़ ने इन ''उपद्रवों को आगे और बहुरूपी उत्पीड़नों के रूप में बदल दिया है। इस सम्पूर्ण आक्रामक विकास प्रतिमान का बड़ा एवं तत्कालिक प्रभाव लोगों को अपने प्रदेशों और संसाधनों के अधिकार से वंचित करने का हुआ। जब कि यह गरिमामय जीवन के उनके अधिकार और उनके विकास के अधिकार के लिए मूलभूत पूर्व स्थितियां हैं।

21-6-1 [knku

फिलीपाइन्स में, 12 मिलियन हैक्टर या देश के कुल भूक्षेत्र का 40 प्रतिशत खदानों में निवेश के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें से आधे से ज्यादा देशी प्रदेशों में पाया जाता है। मात्र कार्डिलेरा क्षेत्र जो कि मूलभूत रूप से देशी लोगों के प्रदेश में ही भूक्षेत्र है, का 60 प्रतिशत खदानों के कार्य से भरा पड़ा है।

21-6-2 ckèk

भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में देश की ''लुक इस्ट'' (पूर्व की ओर देखो) नीति के अनुसार 168 प्रस्तावित बड़े बांध हैं। यह 24 अन्य बांध के अलावा है जो कि अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त बताया जाता है कि आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के राज्यों में, 1.4 मिलियन लोग, जिनमें से 79 प्रतिशत जनजातीय है, 10.2 मिलियन हैक्टर के अनुमानित कुल भूक्षेत्र से विस्थापित किये गये हैं। यह भूक्षेत्र खदानों, औद्योगिक संयंत्रों और बांधों के लिए पिछले दस वर्षों में हड़प लिया गया है। इस हिंसात्मक घटना की प्रवृति से महिलाएं विभिन्न विशिष्ट ढंगों से प्रभावित हुई है। जहाँ तक नर्मदा का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें जो पुनः बंदोबस्त तथा पुनर्वास के लिए जिम्मेदार हैं वे, नर्मदा एवार्ड और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को क्रियान्वित करने से ज्यादा से ज्यादा अलग हो रही हैं, और क्षतिपूर्ति की एवज में दिए धन के साथ भागने की कौशिश कर रहे हैं। तथापि, जबकि व्यस्क पुत्रों को, कि उनका स्वतंत्र परिवार हैं इस रूप में पहचान पाने का अच्छा अवसर मिला है, व्यस्क प्रौढ़ बेटियां अनिवार्यतः ''आश्रितों'' के रूप में गिनी जाती हैं, और इसलिए किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं है। पुनः बंदोबस्त शिविरों में उनका जीवन घर तक ही सीमित होता है और उन्हें बीमारी एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव के विरुद्ध अभूतपूर्व संघर्ष के अज्ञात स्थिति से प्रभावित करता हैं।'' (डाइट्रिच, गैबरिएल, 2007)

21-6-3 rkM+ dk rsy rFkk ,d Qly jksi.k

जलवायु परिवर्तन, जिसका श्रेय मूलभूत रूप से पश्चिमी औद्योगिक देशों के कार्बन उत्सर्जनों को दिया जाता है, को नियन्त्रित करने के वैश्विक प्रयास वनों और पवित्र पूजा स्थलों को लक्ष्य बना रहे हैं। विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक एशिया है और इंडोनेशिया तथा मेलेशिया विश्व के ताड़ के तेल का वर्ष 2006 में 44 प्रतिशत और

43 प्रतिशत क्रमशः उत्पादन कर रहे थे। अकेले इंडोनेशिया में, 14 प्रान्तों जो अधिकांशत्या देशी लोगों द्वारा आबाद हैं, में 141 कम्पनियों ने करीबन् 236,265.25 हैक्टर भूमि पर ताड़ रोपण किया है। मई 2007 तक जैसा कि गैर सरकारी संस्थाओं के दस्तावेज़ सूचित करते हैं, 514 भूमि विवाद मामले दर्ज थे।

21-6-4 i:o tu] vfèkØe.k vkj Hk{k= gM+iuk

राजकीय प्रवजन नीतियां देशी लोगों के अपने भूक्षेत्र तथा संसाधन उनसे लेकर अन्य लोगों के लिए लेना सूकर बनाती हैं और इस तरह संघर्ष एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करती हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के बीच जिन्हें, प्रायः मन में भय बिठाने हेतु लक्ष्य किया जाता है।

भारत में, भूमि अंतरण विनियमन के प्रारम्भ ने भूक्षेत्र से सम्बन्धित संघर्ष के हजारों मामले प्रेरित किए जो कि उन जनजातीय लोगों से जुड़े थे जो गैर–जनजाति के लोगों के द्वारा अधिक्रमण विरुद्ध अपने भूक्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। एशियाई मानवाधिकार केन्द्र ने सूचित किया है कि 72001 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 33,319 मामले, जो 162989 एकड़ भूमि से संबंधित थे, गैर–जनजाति के लोगों के पक्ष में निर्णीत हुए। नवम्बर 2007 में, नंदीग्राम, पश्चिमी बंगाल, में बहुत से ग्रामवासी जो भूमि विरोधी अधिग्रहण आंदोलन का समर्थन कर कर रहे थे गोली से मार दिए गए थे और महिलाएं शासित पार्टी के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार का शिकार बनी थी।

बंगलादेश में, अधिवासी लोग, सरकार और उसकी सशस्त्र सेना की सहायता से, आदिवासियों की भूमि एवं खेतों को अभी भी हड़प रहे हैं जबकि 1997 का चटगाँव हिल्स ट्रैक्ट शांति समझौता इस कुप्रथा के निवारण की व्यवस्था करता है।

21-6-5 lU;okn rFkk ljdkjh nM+ efDr

विरोध तथा सामुदायिक प्रतिरोध के होते हुए निवेशकर्त्ता तथा विकासकर्त्ता सामान्यत्या सुरक्षा बलों को तैनात करते हैं। बहुधा मेजबान सरकारें अपने सशस्त्र बलों के जरिये, सुरक्षा और शांति बनाये रखने के वेश में सहायता प्रदान करती हैं। कुछ कम्पनियां निजी सेना या नागरिक सशस्त्र बल का प्रयोग करने लगी हैं। यह नागरिक सशस्त्र बल आमतौर पर, लोगों के बीच और फूट डालने के लिए समुदाय से ही भर्ती किए जाते हैं।

विकास आक्रमण के समग्र प्रभाव को देशी स्त्रियों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। विस्थापन का अर्थ है कि वे अपने पारम्परिक स्थान तथा जीविकाओं को खो देती हैं, उनके आवासीय भूक्षेत्र और गाँव जहाँ वे बिना भय के बड़ी हुई और अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वह सब खो देती हैं। वे लोग प्रायः खेतों और उद्यानों जो कि आजीविका के मुख्य साधन होते हैं ..... , अपनी नदियां और वन जो खाद्य, ईंधन और औषधीय संसाधन प्रदान करने के साथउनके खेतों और उद्यानों की भी सहायता करते हैं, सब खो देते हैं।

विस्थापन का अर्थ है कि महिलाएं न सिर्फ अपने प्रदेशों और संसाधनों से लाभ एवं गम्यता के अधिकार से वंचित की जाती है परंतु वे अपनी उत्पादक भूमिका और स्त्रियों के रूप में अपनी प्रजनन भूमिकाओं के संबंध में मताधिकार से भी समान रूप से वंचित कर दी जाती है। परिवार में मुख्य पोषक एवं चिकित्सक होने के कारण, यह उनके लिए अतिरिक्त भार बन जाता है, मात्र दिन भर की प्यास एवं भूख को मिटाने के लिए भी। उनके जल के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं यदि पूर्णतया नष्ट नहीं। उनके खेत उनसे छीन लिए जाते हैं और स्वत्व का अंतरण हो जाता है और उनके औषधीय संसाधन वन कटाव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। स्थानीय रोजगार, शैक्षिक, स्वास्थ्य, एवं अन्य सेवाओं का सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास सामान्यत्या देशी लोगों की सहमति पाने हेतु उन्हें लुभाने के लिए, पारराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लटकाई गाजरों के समान हैं।

रोजगार से फायदे प्रायः पुरुषों के प्रति पक्षपाती होते हैं, जिन्हें इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रायः ज्यादा पसंद किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में ताड़ के बागानों मे, कंपनियों द्वारा समावेशित महिलाओं को कीटनाशक दवा स्प्रे कर्त्ता का कार्य दिया जाता है जो शारीरिक रूप से कम थकाऊ होता है। दुर्भाग्यवश, उन्हें विरले ही उपयुक्त सुरक्षात्मक साज–समान दिया जाता है। जब वे घर वापस आती है, तो उनकी त्वचा एवं कपड़ों पर अभी भी लगे कीटनाशक के साथ अकसर उन्हें भोजन तैयार करना पड़ता है।

विस्थापन के फलस्वरूप होने वाली गरीबी ने बहुत सी देशी महिलाओं को आजीविका की खोज में प्रव्रजन करने के लिए बाध्य कर दिया। बंगलादेश के मैदानी इलाकों से गारो और मण्डी महिलाओं का बहुसंख्यक समूह ढाका के ब्यूटी सैलूनों में देखने को मिलता है। उनसे जब पूछा गया वे क्यों यहाँ पर हैं, तो एक ने उत्तर दिया कि उनकी मुख्य आजीविका खेती थी। उनके पिता, भूक्षेत्र के पंजीकरण के बारे में कुछ न जानने के कारण अपना खेत खो बैठे, जिस कारण उसे काम खोजने के लिये गाँव से बाहर आना पड़ा। बहुत सी अन्य महिलाओं ने अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डाला और संविदा कामगारों के रूप में विदेशों में गई और अपने आप को श्रम एवं यौन संबंधी दुर्व्यवहार और साथ ही मानव व्यापार एवं वेश्यावृत्ति के प्रति पहले से ही प्रवृत कर लिया।

समुदायों से युवा महिलाओं तथा कन्याओं का ज्यादा से ज्यादा गायब होना भयप्रद है। कुछ जैसा कि उत्तर–पूर्व भारत से हाल ही में कुछ ने सूचित किया, कि वे लोग सिंगापुर लाई गई थी और फिर इन्हें नौकरी का लालच देकर मेलेशिया लाया गया था और बाद में वे वेश्यावृत्ति में फंस कर रह गई।

ckèk i:'u 4

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. महा विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले विस्थापन का महिलाओं पर क्या प्रभाव हुआ?

....

....

....

21-7 fu"d"k

यह सुस्पष्ट है कि वैश्वीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति जीवन निर्वाह दृष्टिकोण की कल्पना के विपरीत दिशा में कार्य करती है (डाइट्रिच, गैबरियल, 2007)। कोई भी विकास प्रयास सिर्फ तभी कायम रह सकता है जब लोगों की प्रभावी प्रतिभागिता हो और उन्हें स्वामित्व का बोध हो। यह तर्क दिया जाता है कि कुज़नेट की U (यू) के रूप में मुड़ी प्राक्कल्पना के अनुसार, महिलाओं के बीच कार्य प्रतिभागिता की दर में वृद्धि हो सकती है, परंतु वास्तविकता में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बहुत असंतोषजनक बने रहते हैं। संरचनात्मक सुधारों के कारणवश, अनौपचारिकीकरण और व्यक्तिगत संविदाओं तथा निम्न मजदूरी के परिणामस्वरूप, महिलाएं अत्यन्त असुरक्षा के साथ खतरनाक स्थितियों में कार्य कर रही हैं। उद्यमी कौशल निर्मित करने का लक्ष्य रखते हुए मध्यस्थता के जरिये महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। ऋण, बाजारों, सूचना और प्रशिक्षण की पहुँच के लिए कार्यविधि विकसित करने की भी आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को देश की महिलाओं का विकास करने के लिए प्राथमिकता समझा जाना चाहिए क्योंकि

इनमें महिलाओं को विकास की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने की सामर्थ्य है।

21-8 'kCnkoyh

1. बीपीओ (कारोबार प्रक्रिया आऊट सोर्सिंग) : बीपीओ आऊट सोर्सिंग का उप–समुच्चय है जो तृतीय पार्टी (पक्ष) सेवा प्रदायक को विशिष्ट कारोबारी कार्य के परिचालनों और जिम्मेदारियों को ठेके पर देने से जुड़ा है।
2. केपीओ (ज्ञान प्रक्रिया आऊट सोर्सिंग) : केपीओ अधिक वर्द्धित मूल्य प्रक्रियाओं की शृंखला के साथ आऊट सोर्सिंग का एक रूप है जहाँ कौशलों, ज्ञान क्षेत्र तथा क्रिया करने वाले लोगों के अनुभव पर उद्देश्यों की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

21-9 ckèk i'uksa d mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. इस प्रक्रिया के संबंध में महिलाओं के अनुभव अत्यन्त जटिल और विविध–सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं। नव–उदारवादी अर्थशास्त्र, क्षमता और संवृद्धि पर जोर देता है परंतु इसने जनसंख्या के कई समूहों को प्रायः विफल किया है विशेष रूप से महिलाएं जिन्होंने इन नीतियों के नकारात्मक प्रभाव को वहन किया है।

Ckkèk i'u 2

1. अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि सेज़ अंचलों में कार्यबल का बड़ा भाग महिलाएं हैं। इन महिलाओं का अत्याधिक शोषण किया जाता है, उदाहरणार्थ–बलात् रात्रि कार्य की पारियों, परिवहन सुविधा के अभाव, प्रसूति छुट्टी की अनुपस्थिति और गर्भवती होने पर काम समाप्त, यौन छेड़छाड़, संगठित होने के अधिकार से वंचन, सामूहिक सौदेबाजी की कोई गुंजाइश ना होना और निम्न मजदूरी।

Ckkèk i'u 3

1. आई.सी.टी. ने मुख्य रूप से नम्य समय और स्थान पर नौकरी के अवसर सृजित करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया है।

Ckkèk i'u 4

1. एशियाई देशों में बड़े पैमाने की खदानों, ताड़ का तेल और कृषिगत एकल फसल रोपण, जल विद्युत शक्ति बांधों, अनन्य पर्यटन विकास इत्यादि के रूप में आर्थिक वैश्वीकरण का आगमन हुआ। इस सम्पूर्ण आक्रामक विकास प्रतिमान का बड़ा और तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि लोगों को उनके भूक्षेत्रों तथा संसाधनों के अधिकार से वंचित कर दिया गया जो कि गरिमा के जीवन के अधिकार और विकास के उनके अधिकार के लिए मूलभूत पूर्व स्थितियां थी।

21-10 dN mi;kxh iLrdsa

Dictaan, Eleanor P., *"Glimpses of Neo-liberal Economic Globalization and Development Aggression against Indigenous Women in Asia"*, (Draft) Presented at the Asia Pacific Regional NGO Consultation with the UNSRAVAW, 15-16 October 2008, New Delhi, India.

Dietrich, Gabriele, .Globalization and Women in India in the nineties., in Ghadially, Rehana (ed.), *Urban Women in contemporary India: A Reader,* New Delhi: Sage Publication, 2007.

Editorial, *"Special Economic Zones: Their Impact on Labour*., *Labour File*, Vol 6, Nos 4-5, July - October, 2008.

Ghadially, Rehana (ed.), *Urban Women in contemporary India: A Reader,* New Delhi: Sage Publication, 2007.

Ghosh, Jayati, .Special Economic Zones: Their Impact on Labour", *Labour File*, Vol 6, Nos 4-5, July – October, 2008.

Gothoskar, Sujata, "Gender and Work in the =Digital Economy", *Economic and Political Weekly*, April 22, 2006.

Government of India, *Information Technology: Annual Report-2007-08*, Department of Information Technology, Ministry of communications and Information Technology.

Onyejekwe, Chineze J., "Economic Globalization and the Free Market Ethos: A Gender Perspective", *Nebula*, 2004.

Patel, Vibhuti, "Impact of Economic Globalization on Women", Discussion Paper, The Women Development Cell, University of Mumbai, March 7, 2003.

Pratap, Surendra, .SEZs: The New War Zones of the Working Class. *Labour File*, Vol 6, Nos 4-5, July - October 2008.

Sinha, Shalini, .At What Cost, For Whose Benefit? Women Workers in SEZs" *Labour File*, Vol 6, Nos 4-5, July - October 2008.

Swamy, Gurushri, "International Trade and Women", *Economic and Political Weekly*, Nov. 6, 2004.

IGNOU
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

21-11 ckèk iz'u ¼euu ,oa vH;kl gsrq½

1. नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों का संक्षिप्त पुनरावलोकन दीजिए।
2. सेज़ (SEZs), इ.पी.जैड (EPZs) और इ.ओ.यू. (EOLLs) के अंचलों में महिला कार्मिकों की स्थितियों का विश्लेषण करें।
3. क्या आप सोचते हैं कि आई.सी.टी. (ICT) क्षेत्र ने सिर्फ शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये हैं? आई.सी.टी. क्षेत्र के उदभव के नकारात्मक पहलु क्या है?
4. महा विकास परियोजनाओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप विस्थापित जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं की विपत्तियों की विवेचना करें।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY